तृतीय माला, खण्ड ९—अंक १०

मंगलवार, २० नवम्बर, १९६२
२९ कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २६९, २७२ से २८२, २८४ और २८६ से २८८ . . . . . १०३३–६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २८३, २८५ और २८९ . . १०६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६४१ . . . १०६३–९८

नेफा और लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १०९८–११०३

श्री जवाहरलाल नेहरू १०९८–११०३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११०३–०५

राज्य सभा से सन्देश ११०५–०६

परिसीमन विधेयक ११०६

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . ११०६

लोक लेखा समिति—

पहला प्रतिवेदन ११०६

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबधी समिति—

तीसरा प्रतिवेदन . . ११०६

कार्य मंत्रणा समिति—

नवां प्रतिवेदन ११०६–०७

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३ . . ११०७—२९

श्री हरिश्चन्द्र माथुर ११०७

श्री खाडिलकर . . . ११०७–०८

श्रीमती यशोदा रेड्डी ११०८–०९

डा० राम सुभग सिंह ११०९

श्री सोय ११०९–१०

श्री गौरी शंकर कक्कड़ १११०–१२

श्री जोकीम आलवा १११२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, २० नवम्बर, १९६२

२९ कार्तिक, १८८४(शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वस्तुओं के मूल्य

†२६२. **श्री विभूति मिश्र:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि से उत्पन्न चीज़ों की कीमतें, कारखाने में बनने वाले सामान की कीमतों के साथ जोड़ने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह योजना कब से लागू की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। (ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : सरकार किसानों से बराबर कहती रहती है कि वे अधिक अन्न का उत्पादन करें, मैं जानना चाहता हूं कि किसानों की चीज़ों की कीमत न बढ़े इस के लिए क्या सरकार फैक्टरीज़ से निकलने वाली चीज़ों को किसानों की चीज़ों की क़ीमत में जोड़ना नहीं चाहती ?

डा० राम सुभग सिंह: : सरकार का इरादा है कि जितनी भी कृषि पदार्थों के उत्पादक हैं उन को अपने पदार्थों के वाजिब दाम मिलें लेकिन अभी तक जो स्थिति है उस में उन पदार्थों की क़ीमतों को और जो उद्योगों में पदार्थ पैदा होते हैं उन की कोई एकरूपता स्थापित नहीं हुई है लेकिन धीरे धीरे प्रयास किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

2294 (Ai) LSD.—1.

श्री विभूति मिश्रः : मंत्री महोदय ने कहा कि कीमतों की एकरूपता लाने के लिये सरकार कोशिश कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अब तक इस की कोई निश्चित नीति निर्धारित की है ?

डा० राम सुभग सिंहः : जैसा मैं ने मूल प्रश्न के उत्तर में बतलाया अभी तक कोई नीति निश्चित नहीं हुई है लेकिन माननीय सदस्य एक बड़ी समिति के संचालक हैं और उस समिति की राय से और सदस्यों की राय से उस नीति को और आगे बढ़ाया जायेगा ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सरकार ने चीनी की 'रिकवरी' से गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो ब्योरा क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदयः** : वह हर किस्म के बारे में प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री रा० शि० पाण्डेयः : नौन एग्रीकलचरल प्रोड्यूस की कीमत अगर बढ़ेगी तो क्या उस का कोई डैटा एग्रीकलचर मिनिस्ट्री रखती है और उस की कीमत बढ़ने पर उस को एग्रीकलचरल प्रोड्यूस की कीमत के साथ लिंक करने का क्या इंतजाम है ?

डा० राम सुभग सिंहः : जो गैर कृषि पदार्थ हैं और उन के मूल्यों में जो वृद्धि होती है उस के आंकड़े हम लोग रखते हैं और जिन चीजों के आंकड़े नहीं हैं उन के रक्खेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों में समानता रहे ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्राः** : क्या, वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह देखने के लिये कोई कदम उठाये हैं कि कृषि वस्तुओं के मूल्य एक स्तर से अधिक या कम न हों ?

†**अध्यक्ष महोदयः** : प्रश्न यह था कि क्या मूल्यों को कारखानों द्वारा निर्मित वस्तुओं से मिलाया जायेगा । हम इस प्रश्न पर यह बात करें और इस का विस्तार न करें । श्री दी० चं० शर्मा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कृषि वस्तुओं के मूल्य को औद्योगिक उत्पादों के मूल्य के साथ विश्व के किसी देश में मिलाया गया है और यदि हां, तो यह उन्होंने किस रूप में किया है ?

†**डा० राम सुभग सिंहः** : यहां भी . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या किसी अन्य देश में ऐसा किया गया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : कुछ देशों में ऐसा किया गया है और एक या दो चीजों के बारे में हम ने भी ऐसा किया है परन्तु यह बिल्कुल वैसा नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जबकि सरकार ने कृषकों को कारखाना वस्तुओं की अपेक्षा लाभप्रद मूल्य देने के सिद्धान्त को मान लिया है, सरकार किस प्रकार मूल्य को मिलायेगी ? क्या वे इस को मांग और संभरण के सामान्य सिद्धान्त पर छोड़ देंगे अथवा वे कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदयः** : जहां तक मुझे पता है इस को मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । श्री महेश्वर नायक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री महेश्वर नायक : क्या इस समय कृषि वस्तुओं के अधिक मूल्य का कारखानों में निर्मित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से कोई सम्बन्ध है ?

†अध्यक्ष महोदयः : वह भिन्न प्रश्न है ।

†श्री रंगा : क्या में यह समझूं कि सरकार की यह नीति है कि वस यह देखे कि औद्योगिक वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के मूल्य स्तर बीच अधिक फर्क नहीं हैं ?

†डा० राम सुभग सिंहः : जी, हां । यह हमारा प्रयत्न होगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को यह पता है कि स्वर्गीय श्री रफी अहमद क़िदवई इस फारमूले को मान चुके थे कि अगर एक रुपये मन शक्कर की क़ीमत बढ़ेगी तो १ आना मन गन्ने की क़ीमत बढ़ेगी ?

अध्यक्ष महोदयः : आप ने कुछ पूछ न कर उलटे एनफारमेशन दे दी है ।

श्री रामसेवक यादव : खेती की उपज और कारखाने की उपज के दामों में संतुलन क़ायम करने का क्या सरकार के पास कोई फारमूला है अथवा कोई ऐसी चीज है जिस पर कि विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो उस पर कितना समय लगेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : अभी में ने बतलाया कि कोई निश्चित फारमूला अथवा कोई ख़ास निश्चय इस सम्बन्ध में नहीं हुआ है लेकिन ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे ताकि भविष्य में किसानों को उन के पदार्थों की वाजिब कीमत मिले ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए एवरो-७४८

+

†*२६३. { श्री स० मो० बनर्जीः
श्री दाजीः
श्री उमानाथ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० प० मंडल :
श्री म० ला० द्विवेदीः
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मुरारकाः

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने ऐवरो-४७८ खरीदने की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस ने कितने विमानों के लिये आर्डर दिया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन एवरो-७४८ अपने प्रादेशिक मार्गों पर इस्तेमाल के लिये, जैसे ही ये विमान वाणिज्यिक कार्यों के लिये उपलब्ध होंगे, खरीदेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने कितने एवरो-४७८ विमान मांगे हैं और क्या इन में से कोई उन को दिया गया है ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** अभी तक कोई विमान नहीं दिया गया है । अनुमान यह है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को इस प्रकार के लगभग १२ से १५ विमानों की जरूरत पड़ेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उस मूल्य का निर्धारण कर लिया गया है जिस पर इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ये प्रतिरक्षा मंत्रालय से खरीदेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीनः** : मूल्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है ।

†**श्री हेडा :** क्या इन विमानों की पहली किश्त का संभरण कब करेगी और पहली किश्त में कितनी संख्या होगी ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह प्रतिरक्षा उत्पादन के अन्तर्गत बनाये जाते हैं । जैसे ही ये मिलेंगे, हम ले लेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इन एवरो ७४८ विमान के लिये इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कितना मूल्य देना पड़ेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ध्यान नहीं दे रहे हैं । वह पूछा जा चुका है और उसका उत्तर दिया जा चुका है ।

'भूखों को खिलाओ' आन्दोलन

+

†*२६४. {श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः
श्री रामेश्वर टांटियाः
श्री राम रतन गुप्त :
श्री बसुमतारीः

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुनिया के निर्धन देशों में भूखों को खिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की निधि में भारत ने काफ़ी बड़ी रकम देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने ठीक ठीक कितनी रकम देने का वचन दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य–मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) "विश्व के निर्धन देशों में भूखों को खिलाने के लिये संयुक्त राष्ट्र की निधि" नामक कोई निधि नहीं है । परन्तु संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन ने सदस्य देशों द्वारा स्वेच्छा से दिये गये फालतू खाद्य पदार्थ के बहु उद्देशीय रूप में इस्तेमाल के लिये तीन वर्षों की अवधि के लिये प्रयोगात्मक कार्यक्रम के तौर पर विश्व खाद्य कार्यक्रम बनाया है । यह विचार है कि फालतू सामान की, प्रार्थना प्राप्त होने पर आपातकालीन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पूरी करने के लिये और कम विकसित देशों में आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिये सहायता के लिये खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल के लिये वृहत् परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिये, सहायता देने के लिये इस्तेमाल किया जाये ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तीन वर्ष की अवधि में भारत ने ५ लाख डालरों का योगदान करने को कहा है। योगदान का दो-तिहाई फालतू सामान के रूप में होगा और एक-तिहाई अपरिवर्तनीय रुपयों में।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के 'भूखों को खिलाओ' आन्दोलन में इस देश के लाखों व्यक्ति भी शामिल होते हैं और यदि हां, तो विभिन्न देशों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा निर्धारित करने की क्या कसौटी है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, यह विश्व खाद्य कार्यक्रम है। अतः उस में इस देश का भी अंश होगा। सहायता के बारे में, मैंने बताया कि हम पांच डालर का योगदान करने को राजी हो गये हैं, इसमें से दो-तिहाई फालतू सामान के रूप में होगा और एक-तिहाई अपरिवर्तनीय रुपयों में।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : भारत के अतिरिक्त, क्या एशिय का कोई अन्य देश भी योजना में योगदान कर रहा है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : संयुक्त राष्ट्र और खाद्य तथा कृषि संगठन ने कई देशों को कहा है परन्तु इस 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' की प्रमुख बैठक अगले ग्रीष्मकाल में न्यूयार्क में होगी। इस कार्यक्रम की ठीक सदस्यता का तभी पता चलेगा।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या सरकार ने इस देश में भूख से मुक्ति आन्दोलन के लिये कार्यक्रम पर कोई निश्चित धनराशि आवंटित की है और यदि हां, तो कितनी और कार्यक्रम की क्या मदें स्वीकार की गयी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदयः** वह बिल्कुल भिन्न बात है।

†**डा० पं० शा० देशमुखः** प्रश्न का शीर्षक भ्रामक है। यह "भूखों को खिलाओ" आन्दोशन है।

†**अध्यक्ष महोदयः** : मैंने प्रश्न पढ़ा है। इसमें लिखा है :

"(क) क्या यह सच है कि दुनिया के गरीब देशों में भूखों को खिलाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की निधि में भारत ने काफी बड़ी रकम देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने ठीक ठीक कितनी रकम देने का वचन दिया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुखः** योगदान के अतिरिक्त क्या कोई निश्चित रकम इस देश में कार्यक्रमों के लिये पृथक रखी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदयः** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार के निर्णय में संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, विशेषतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में ४५ करोड़ जनता को खाने के लिये पर्याप्त उत्पादन नहीं होता और वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए ?

†**अध्यक्ष महोदयः** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वर्तमान परिस्थितियों में निर्णय अन्तिम है ? यह निर्धन देश क्यों धन दे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं उत्तर का अन्तिम भाग नहीं सुन सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई भुगतान किया गया है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी, अभी नहीं। हमने यह करने का फैसला किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार उस निर्णय को पुनरीक्षित करेगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह वह कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र कुछ उत्पादन केन्द्र खोलने का प्रयत्न करेंगे। अतः हम माननीय सदस्य द्वारा सुझायी गयी बातों के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि हम अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ केन्द्र खोलेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार अपने देश में उत्पन्न संकट काल को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति को पुनरीक्षित करने पर विचार करेगी।

†**डा० राम सुभग सिंह** : संकट की स्थिति को देखते हुए हमने विशेषतः इस ओर उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठायें हैं। अतः इस कार्यक्रम का हमारे देश के विरुद्ध बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ केन्द्र खोलने का हक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अतः इस कार्यक्रम को पुनरीक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब हम अपने लोगों को भोजन नहीं दे सकते तो हम अन्य देशों को क्यों खिलायें ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : उस प्रकार हम अपना कृषि उत्पादन भी बढ़ा सकेंगे।

बिजली से रेलें चलाने का कार्यक्रम

+

†*२६५. { **श्री स० मो० बनर्जी** : **श्री प्र० चं० बरुआ** : **श्री दाजी** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली से रेलें चलाने के कार्यक्रम को फिर से कई दौर में विभाजित करने के लिये कार्यवाही की गई है ताकि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भेजने के लिए १० लाख टन अतिरिक्त कोयला कलकत्ता भेजा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाये गये हैं और क्या व्यवस्था पूरी हो चुकी है ; और

(ग) कार्यक्रम में क्या बड़े बड़े परिवर्तन किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अनारा, अदरा आदि कोयला वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त शाखा लाइनों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त, कलकत्ता के निकट निम्नलिखित सेक्शनों के विद्युतीकरण के लिये निर्धारित तिथि को आगे कर दिया गया है :

सेक्शन	से	तक
१. दुर्गापुर-बर्दवान-शक्तिगढ़	चतुर्थ योजना का आरम्भ	दिसम्बर, १९६४
२. बान्डेल-बर्दवान कनवर्ज़न	चतुर्थ योजना का आरम्भ	दिसम्बर, १९६४
३. सियालदह दक्षिण	सितम्बर, १९६५	मार्च, १९६५
४. शक्तिगढ़-कलकत्ता पत्तन, बरास्ता कोर्ड	चतुर्थ योजना का आरम्भ	दिसम्बर, १९६४
५. हावड़ा-बान्डेल, तारकेश्वर शाखा—कनवर्ज़न समेत	चतुर्थ योजना का आरम्भ	दिसम्बर, १९६५

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हावड़ा से मुगलसराय तक विद्युतीकरण के लिये और क्या प्रगति की गयी है और सारा कार्यक्रम कब पूरा होगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : असैनिक इंजीनियरिंग की दिशा में काम प्रगति पर है और विद्युतीकरण के लिये अन्य सम्बन्धित बातें पूरी की जा रही हैं । हमें आशा है कि कानपुर तक यह कार्य तृतीय योजना-काल में पूरा हो जायेगा ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी**: : क्या सरकार को पता है कि चम्बल जल-विद्युत् योजना में लाखों किलोवाट बिजली बरबाद हो रही है और इसको रेलें चलाने के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है; यदि हां, तो उस सब बिजली को इस्तेमाल के लिये योजना सभा में कब पेश की जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह बता रहे हैं कि चम्बल परियोजना में अधिक बिजली बेकार जा रही है और इसका रेलों के विद्युतीकरण के लिये इस्तेमाल किया जाना चाहिये ।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं समझता हूं कि चम्बल परियोजना में बनाई जा रही बिजली के इस्तेमाल के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यक्रम है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : १,४०,००० किलोवाट बिजली बेकार जा रही है ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या सरकार विजयवाड़ा के आस पास, जो दक्षिण में रेलवे परिवहन में सबसे खराब हालत में है, के क्षत्रों के विद्युतीकरण की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है और हम समझते है कि लाइनों को दुहरा करने से हम उस दिशा में सारे यातायात को पूरा कर सकेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में, क्या इस बारे में हमारा कोई ख्याल है कि किस समय तक हम रेलवे विद्युतीकरण कार्यक्रम से अतिरिक्त १० लाख टन भार वहन कर सकेंगे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : लगभग दिसम्बर, १९६४ तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को पता है कि बिजली से रेलवे चलाने में जो बिजली खर्च होगी, उस से ग्राडिनेन्स फ़ैक्ट्रीज़ सफ़र करेंगी और डेढ़ लाख एग्रिकल्चरल कनसर्न्ज़ को नुकसान होगा ?

श्री शाहनवाज खां : अगर बिजली से गाड़ियां चलेंगी, तो उससे ज़रायत या किसी और चीज़ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है । यह बिल्कुल अलहदा चीज़ होगी ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेलवे मंत्रालय की हावड़ा डिवीजन के हावड़ा-बर्दवान कोर्ड सेक्शन के विद्युतीकरण की कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : यहां पर इस प्रकार प्रत्येक सेक्शन की बात नहीं की जा सकती ।

भाप के इंजनों का निर्यात

†*२६६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सु० भू० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री ब० कु० दास : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाप के इंजन विदेशों को निर्यात करने और बाज़ार ढूंढने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आगे कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या किन्हीं देशों ने इंजन प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो किन किन देशों ने ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) यद्यपि प्रयत्न जारी है, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या हमारे पास कोई फालतू रेलवे इंजन है जो निर्यात किये जा सकें और यदि हां, तो इस समय उनकी क्या संख्या है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस समय फौरन निर्यात के लिये कोई फालतू होने का प्रश्न नहीं है परन्तु यदि आर्डर किया जाय तो हम कुछ भाप वाले रेलवे इंजनों का निर्यात करेंगे ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** सरकार किस प्रकार के रेलवे इंजनों का निर्यात करना चाहती है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** चित्तरंजन और टेल्को में निर्मित बड़ी लाइन और मीटर गेज के कुछ भाप वाले रेलवे इंजन ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० कु० दास : क्या हमने इस बारे में अभी तक किसी देश को प्रभावित किया है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : दुर्भाग्यवश, पड़ौसी देश अधिकाधिक डीज़ल इंजनों को इस्तेमाल कर रहे है और स्टीम इंजनों की कोई मांग नहीं है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इन रेलवे इंजनों के निर्यात के मार्ग में क्या कठिनाइयां है ? जिन देशों में ये बिक्री के लिये रखे गये है, क्या उनको कोई कठिनाई हुई है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : जैसा मैंने बताया, हम स्टीम इंजनों का ही निर्यात कर सकते हैं । दुर्भाग्यवश, पड़ौसी देश अधिकाधिक डीज़ल इंजनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप हम स्टीम इंजन नहीं बचा सकते ।

विभागातिरिक्त कर्मचारी

\+
*२६७. { श्री भक्त दर्शनः
　　　　श्री स० मो० बनर्जी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पहिले यह निश्चय किया गया था, कि विभागातिरिक्त कर्मचारियों के भत्तों में वृद्धि की जाये, तथापि बाद में उस निश्चय में परिवर्तन कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो विभागातिरिक्त कर्मचारियों के भत्तों में किस दर से वृद्धि होगी ; और

(ग) यह निश्चय कब से लागू किया जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग). उन के भत्ते को १ नवम्बर, १९६२ से बढ़ा देने के लिये २६-६-६२ को आज्ञा जारी की गई । अतिरिक्त विभागीय डाक पालों और छंटाईकारों का भत्ता एतदर्थ ३ रुपये प्रतिमास और दूसरे कर्मचारियों का २ रुपये प्रतिमास बढ़ा दिया गया है । उन्हें बढ़े हुए भत्ते मिल रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शनः : श्रीमन्, इस निर्णय के लिये धन्यवाद देते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि मेरी सूचना के अनुसार इस सम्बन्ध में आदेश नीचे तक नहीं पहुंचे और आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है, इस लिये क्या इस बारे में जांच की जायेगी और तत्काल आदेश भेज दिये जायेंगे?

श्री जगजीवन राम : अगर नहीं पहुंचे हैं, तो जल्दी पहुंचा दिये जायेंगे ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व बताया था कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से क्रियान्वित किया जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह उसी तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से कर दिया गया है जिसको वेतन आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित की गयी थीं ?

†श्री जगजीवन राम : यह १ नवम्बर, १९६१ से है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी कलाकारों को नियुक्त करनें पर पाबंदी

+

†*२६८. **श्री रामेश्वर टांटिया:**
श्री राम रतन गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्रान्ति गृहों आदि में अतिथियों का मनोरंजन करने वाले कलाकारों[1] और संगीतज्ञों को नियुक्त करने पर लगायी गयी सरकारी पाबन्दी से पर्यटक उद्योग पर कोई असर पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). ये प्रतिबन्ध अगस्त, १९६२ में लगाये गये थे और पर्यटन उद्योग पर इन प्रतिबन्धों के प्रभाव का पता लगाया जा रहा है पृथक पृथक होटलों और भारत के होटल तथा रेस्टोरेन्ट संस्था के फेडरेशन से कई अभ्यावेदन प्राप्त हूए हैं ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इन प्रतिबन्धों के क्या कारण हैं और इस कार्यवाही से हम कितनी विदेशी मुद्रा बचायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : एक कारण यह है कि हम विदेशी मुद्रा में बचत करना चाहते हैं दूसरे हम यह चाहते हैं कि हम मनोरंजन, संगीत आदि के लिये अपने कलाकारों को तैयार करें।

†**श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या इस से हमारे उन कलाकारों पर प्रभाव पड़ा है जो विदेश जा रहे हैं ?

†**श्री राज बहादुर**: : मैं नहीं समझता कि उन पर प्रभाव पड़ा है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस हुक्म के बाद भी दिल्ली के बड़े बड़े होटलों में फारेन आर्टिस्ट्स काम कर रहे हैं। यदि हां, तो क्या यह इस हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं हैं ?

श्री राज बहादुर : जो पहले आ चुके होंगे, वे अभी तक काम कर रहे होंगे । उन के आईन्दा आने के लिये पाबन्दी लगा दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Foreign Cabaret Artistes.

रेलों की जोन व्यवस्था

+

†*२६९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर:
श्री उमानाथ:
श्री कोल्ला वेंकैया:
श्री प० कुन्हन :
डा० मा० श्री अणे :
श्री कजरोलकर:
श्री ज्योति स्वरूप :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान जोन-व्यवस्था की छानबीन इस आशय से की जा रही है कि और अधिक पुनर्गठन की आवश्यकता की जांच की जा सके ;

(ख) क्या किन्हीं वर्तमान जोनों के पुनर्गठन की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और प्रयोजन क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) संचालन और पुनर्गठन की आवश्यकताओं के बारे में मामले पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है ।

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर: : क्या इस बारे में आन्ध्र सरकार ने कुछ प्रस्ताव रखे और क्या इस बारे में रेलवे प्रशासन और आन्ध्र सरकार के बीच कोई बातचीत हुई है ?

†श्री शाहनवाज खां: यह किसी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजने का मामला नहीं है । नये जोन बनाने की केवल कसौटी रेलवे के संचालन की कुशलता है जब कभी हम यह समझते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता है, कार्यवाही की जायेगी चाहे किसी राज्य सरकार ने यह प्रश्न उठाया हो अथवा नहीं ।

†श्री रंगा: : वह उत्तर पर्याप्त नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : उस का उत्तर दिया जाना चाहिये ।

†रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल में सरकारी तौर पर नहीं लिखा है परन्तु एक या दो मंत्रियों ने इस बारे में मेरे से जिक्र किया था और एक मंत्री ने मुझे लिखा भी है कि इस मामले की पड़ताल की जाये । मैंने उपमंत्री महोदय द्वारा बतायी गयी बातों पर उन्हें स्थिति बता दी है ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि उपलब्ध तथ्यों से मंत्रीमहोदय स्वयं यह महसूस करते हैं कि इन रेलवे पर कार्यभार इतना अधिक बढ़ गया कि जब तक अन्य दो नये जोन न बनाये जायें, इस से अकार्य कुशलता बढ़ेगी ? क्या ये दो नये जोन बनाने के इस प्रस्ताव पर मंत्री महोदय ने कोई ध्यान दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स्वर्ण सिंह** : जैसे ही मैं देखूंगा कि किसी जोन में कार्य-भार इतना बढ़ गया है कि यह कुशलता से पूरा नहीं किया जा सकता, मैं अवश्य इसका पुनर्गठन करके अन्य जोन बनाउंगा जब तक अन्य जोन नहीं बन जाता, यह समझना चाहिये कि मैं माननीय सदस्य द्वारा सुझाये गये निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूं ।

†**डा० मा० श्री अणे** : नागपुर के निकट कालमना में कुछ कर्मचारी क्वार्टर वगैरह बनाये गये थे और जनता से कहा गया था कि ये क्वार्टर बनने वाले नये जोन के लिये रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिये बनाये जा रहे हैं । क्या यह सत्य है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस बारे में कुछ गलतफहमी है । नागपुर में क्वार्टर दक्षिण-पूर्व रेलवे में लागू विभागीकरण योजना के परिणामस्वरूप नये डिवीजन के लिये बनाये जा रहे हैं । वे नये जोन के लिये नहीं हैं ।

†**श्री हेडा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि एक ओर विजयवाडा और वाल्टेयर के बीच और दूसरी ओर विजयवाडा और चान्दा के बीच, गाड़ियों का ठीक समय पर न चलना इस कारण है कि ये दो सेक्शन दो विभिन्न जोनों के अन्तिम छोर पर स्थित हैं ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यह सच नहीं हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद**: : क्या सतत विभागीय देखभाल के अतिरिक्त हाल में जोन व्यवस्था के पुनर्गठन के औचत्यि का पता लगाने के लिये संगठन और प्रशासनिक मामलों पर विचार किया गया है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : समय समय पर इस पर विचार किया जाता रहा है । आय व्ययक पर विवाद के समय भी इस पर विचार किया गया था जब यह बताया गया था कि पुनर्विलोकन के परिणाम-स्वरूप दो नये जोन, अर्थात्, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमांत जोन बनाये गये हैं ।

†**श्री तुलसीदास जाधव** : शोलापुर डिविजन को सिकंदराबाद डिविजन में शामिल करने वाली जो बात है क्या वह सही बात है और अगर सही बात है तो वहां पर जो बिल्डिंग्ज वगैरह हैं, उनका आप क्या करेंगे ?

श्री शाहनवाज खां: : अभी तक ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

†**डा० मा० श्री अणे**: क्या रेलवे बोर्ड के समक्ष बम्बई सरकार द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकार द्वारा भेजा गया इस आशय का प्रस्ताव है कि नागपुर की महत्ता को देखते हुए एक सेन्ट्रल जोन बनाया जाये जिसका सदरमुकाम नागपुर में हो ?

†**श्री स्वर्ण सिंह**: : सेन्ट्रल जोन है । सेन्ट्रल रेलवे नामक रेलवे है । किसी अन्य जोन के, जिसका सदरमुकाम नागपुर में हो, बनाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । संभवत: माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछना चाहते हैं जो वे सीधे नहीं पूछ रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्ची चीनी का निर्यात

+

†*२७२. { श्री रामेश्वर टांटियाः
श्री श्याम लाल सर्राफः
श्री बसुमतारीः
श्री प्र० चं० बरुग्राः }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान को कच्ची चीनी का निर्यात तुलनात्मक रूप से अनुकूल शर्तों पर किया गया जब कि अमरीका को निर्यात की गयी साफ की गयी चीनी पर सरकार को भारी मात्रा में आर्थिक सहायता देनी पड़ी ; और

(ख) यदि हां, तो विश्व में अन्य आयात करने वाले देशों को कच्ची चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिये और क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । कच्ची चीनी के इस वर्ष के उत्पादन के आधार पर जिसका प्रथम बार प्रयत्न किया जा रहा है—आने वाले वर्षों में भारतीय चीनी कारखानों से अधिक मात्रा में कच्ची चीनी का उत्पादन करने को कहा जा सकता है ।

†श्री रामेश्वर टांटियाः : जहां तक पिछली बिक्री का सम्बन्ध है, रुपये प्रति मन के हिसाब से विश्व बाजार भाव क्या था और अब वर्तमान विश्व बाजार भाव क्या है ?

†श्री शिन्देः : वर्तमान विश्व बाजार मूल्य २९-२५ पौंड है और यह हमेशा टनों में होती है, मनों में नहीं ।

†श्री रामेश्वर टांटियाः : मैं मूल्य रुपये प्रति मन में चाहता था ।

†श्री शिन्देः : उसका हिसाब लगाया जा सकता है ।

†श्री शिवनंजप्पाः : क्या उन कारखानों को, जो केवल कच्चा माल बना रहे हैं, कोई विशेष रियायत दी गयी है ?

†श्री शिन्देः : कोई विशेष रियायत नहीं दी गयी है । कच्ची चीनी निर्यात करने का काम भारतीय चीनी मिल संस्था, निर्यात डिवीजन को सौंप दिया गया है । कुछ व्यवस्था की गयी है । परन्तु जहां तक कच्ची चीनी के निर्यात का सम्बन्ध है, कोई विशेष रियायत नहीं है ।

†श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : सहकारी चीनी कारखानों को, जो कच्ची चीनी का उत्पादन करना चाहें, क्या रियायत मिल सकती है ?

†श्री शिन्दे : इसमें सहकारी चीनी कारखाने भाग ले रहे हैं और भारतीय चीनी मिल संस्था के निर्यात डिवीजन में उनका प्रतिनिधान है । जहां तक कच्ची चीनी के निर्यात का सम्बन्ध है, उन्हें समान समझा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तुलसीदास जाधव** : क्या महाराष्ट्र में चीनी कारखाने कच्ची चीनी का उत्पादन करने और इसका निर्यात करने को राजी हो गये हैं और यदि हां, तो कौन कौन से कारखाने राजी हुए हैं और कितनी मात्रा का निर्यात किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय:** : वह बड़े विस्तार में जा रहे हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम:** : क्या छोटे खांडसारी कारखानों को भी कच्ची चीनी बनाने की अनुमति दी जावेगी और उनकी चीनी का भी निर्यात किया जायेगा ?

†**श्री शिन्दे** : कच्ची चीनी के नमूने के मुताबिक कच्ची चीनी ९६ डिग्री या इससे अधिक होनी चाहिये और खांडसारी संयंत्र उस प्रकार की चीनी नहीं बना सकते।

†**अध्यक्ष महोदय:** : श्री दी० चं० शर्मा। अगला प्रश्न।

†**श्री बसुमतारी:** : श्रीमान् जी मेरा नाम भी इसमें है।

अमरीका से चावल का आयात

†*२७३. **श्री दी० चं० शर्मा:** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार से पी० एल० ४८० के अधीन १० लाख टन चावल का अतिरिक्त संभरण करने के लिये कहा गया है ताकि मूल्य में किसी असामान्य वृद्धि का सामना करने की दृष्टि से 'बफर स्टाक' में वृद्धि की जा सके; और

(ख) यदि उनसे कोई उत्तर प्राप्त हुआ है, तो क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं। अमरीकी सरकार से अतिरिक्त आवंटन की कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** : क्या सरकार ने चावल के सम्बन्ध में कोई बफर स्टाक बनाया है और यदि हां, तो किस देश से यह बफर स्टाक आया है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : हम प्रश्न सुन नहीं सके।

†**अध्यक्ष महोदय:** : प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्य को अध्यक्ष की ओर देखना चाहिए जिससे सब सुन सकें।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** : मैं हमेशा ऐसा करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय:** : वह केवल मंत्री महोदय को संबोधित करते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** : मैं हमेशा आपको संबोधन करता हूं। आप मेरे अभिभावक हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने चावल के सम्बन्ध में बफर स्टाक बना लिया है और यदि हां, तो यह बफर स्टाक किस देश से आया है ?

†**श्री अ० म० थामस:** : इस सभा में प्राय: यह बताया जाता है कि इस समय गेहूं और चावल का २० से २५ लाख टन का बफर स्टाक है। गेहूं का भांडार पी० एल० ४८० के अधीन

†मूल अंग्रेजी में

अमरीका से आयात करके बनाया गया है। चावल का भांडार आन्तरिक समाहार क्या बर्मा, मिस्र और अमरीका से आयात करके बनाया गया है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्राः** : क्या वर्तमान संकटकाल के कारण गत महीने में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने पी० एल० ४८० के अतिरिक्त अमरीका से चावल का आयात करने का कोई प्रबंध किया है ?

†**श्री अ० म० थामसः** : १९६० में हुए पी० एल० ४८० के अधीन समझौते में हम ने १० लाख टन मंगाने का निश्चय किया था जिसमें से लगभग ४ लाख टन का अभी तक आयात किया गया है। अभी ६ लाख टन का आयात करना बाकी है। शेष का क्रम बनाने तथा कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न लेने की संभावना की खोज की जा रही है। परन्तु अमरीका को कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं भेजी गई है क्योंकि हमें अपनी तथा अमरीका की फसल की स्थिति का निर्धारण करना है।

†**श्री वी० चं० शर्माः** : मैं खोजी जाने वाली संभावनाओं को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि इन संभावनाओं पर सरकार क्या निर्णय लेगी।

†**श्री अ० म० थामसः** : तथ्य यह है कि हम को बर्मा से लगभग २ लाख टन अथवा इससे कुछ अधिक मिल सकता है। हम मिस्र से भी कुछ निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जसा कि मैंने अभी बताया कि हम को अभी ६ लाख टन का निर्यात अमरीका से करना है। अतिरिक्त मात्रा अमरीका तथा भारत की फसल की स्थिति पर निर्भर करती है।

रेलवे वर्कशापों द्वारा रद्दी इस्पात (स्टील स्क्रैप) का इस्तेमाल

+

†*२७४. { **श्री रा० शि० पाण्डेयः**
श्री विद्याचरण शुक्लः

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के निदेशों के अन्तर्गत रेलवे को अपना रद्दी इस्पात (स्टील स्क्रैप) बेचने से रोका गया था ताकि उसका रेलवे वर्कशापों में इस्तेमाल किया जा सके;

(ख) क्या उक्त निदेश जारी किये जाने से पहिले इस बात का कोई अनुमान लगाया गया था कि इस प्रकार कितने स्टील स्क्रैप के उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा कितनी मात्रा रेलवे वर्कशापों में काम में आ सकती है;

(ग) क्या यह सच है कि "स्टील स्क्रैप" के इकट्ठा हुए स्टाक के खराब हो जाने के कारण ८ लाख रुपये से ऊपर की हानि हुई क्योंकि रेलवे वर्कशाप इस स्क्रैप का इस्तेमाल नहीं कर सकी; और

(घ) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही की गयी है, तो वह क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं। रेलवे बोर्ड स्क्रैप की बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है।

(ख) जी हां। जो भी प्रतिबन्ध है वह रेलवे की आवश्यकता के कारण लगाई गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी:** : क्या सरकार जानती है कि लगभग ४ लाख रुपये के आयरन स्क्रैप अजमेर के निकट मदार स्टेशन पर पड़े हैं और गत चार वर्षों से उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री शाहनवाज खां:** : मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है परन्तु यह सच है कि हमारे विभिन्न डिपों में आयरन स्क्रैप की पर्याप्त मात्रा पड़ी है । सम्भव है यह भी एक डिपो है । परन्तु हम जितना संभव है उतना स्क्रैप का उपयोग कर रहे हैं । हम इस्पात कारखाने को लोहा तथा इस्पात स्क्रैप बड़ी मात्रा में भेज रहे हैं और हम रेलवे वर्कशापों तथा आयुध कारखानों को दे रहे हैं । अब प्रतिबन्ध उठा लिया गया है और हम उसको गैर सरकारी उपभोक्ताओं को भी दे सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : आपको उससे बढ़ावा देना चाहिए ।

†**श्री महेश्वर नायक:** : इस समय विभिन्न रेलों के पास अनुमानतः कितना स्क्रैप है और रेलवे वर्कशापों द्वारा उसका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरे पास १९६०–६१ के आंकड़े हैं । अनुमान लगभग २,५८,००० टन का है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** : वह जानना चाहते हैं कि उसका किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ।

†**श्री शाहनवाज खां:** : जैसा कि मैंने बताया इसका कुछ भाग इस्पात कारखानों को भेजा जा रहा है, कुछ का उपयोग रेलवे वर्कशाप कर रही है और कुछ भाग लोहे के ढले हुए स्लीपर आदि बनाने के लिए गैर सरकारी ढलाई कारखानों को दिया जा रहा है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम:** : क्योंकि यह स्क्रैप कई वर्षों से बेकार पड़ा है इसलिए क्या रेलवे मंत्रालय ने वर्तमान संकट काल में इस स्क्रैप का शीघ्रातिशीघ्र उपयोग करने के बारे में विचार किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां:** : जी हां । हमने विभिन्न रेलों को प्राधिकार दिया है कि वह जैसे चाहें उसका वैसे इस्तेमाल करें ।

पांडीचेरी पत्तन

+
†*२७५. { **श्री कपूर सिंह** :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडीचेरी प्रशासन ने केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वहां उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पांडिचेरी पत्तन में यातायात की व्यवस्था करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३**]

†**श्री बूटा सिंह** : इस बन्दरगाह के लिए पर्याप्त यातायात की व्यवस्था करने के लिए क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : हाल ही में पांडिचेरी बांध को खोल दिया गया है और यातायात बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाहियों को विवरण में बता दिया गया है।

जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन के लिये नागासाकी (जापान) में जहाज का समुद्र में उतारा जाना

†*२७६. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री दाजी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागासाकी शिपयार्ड, जापान में जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन के लिये एक नवीन जहाज़ बनाया तथा उतारा गया है;

(ख) यदि हां, तो वह जहाज़ किस प्रकार का है तथा कितने टन भार का है; और

(ग) इसके निर्माण पर कितनी लागत आई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) जहाज़ सिंगल स्क्रू मोटर लगभग ३२,२५० डी० डब्ल्यू० टी० भार ढोने वाला है।

(ग) जहाज़ का ठेका मूल्य ४,४६१,००० अमरीकी डालर (अनुमानतः २.१ करोड़ रुपये) है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस जहाज के भुगतान के लिए जयन्ती नौवहन निगम ने क्या प्रबन्ध किये हैं ? निगम इस जहाज़ के लिए किस प्रकार भुगतान करेगी। क्या जहाज़ को कोई पैट्रोलियम अथवा तेल कम्पनी किराये पर लेने जा रही है।

†**श्री राज बहादुर** : यह एक मालवाही जहाज है। इसका उपयोग हमारे देश से अथवा दूसरे देश से हमारे देश को खाद्यान्न अथवा लौह-अयस्क आदि लाने लेजाने के लिए किया जायगा। यदि इसको भारतीय व्यापार में लगाया जायेगा तो इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी और यदि इसको लाने लेजाने के व्यापार में लगाया जायेगा तो दूसरे इससे हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी।

१० प्रतिशत मूल्य का कम्पनी अपने साधनों से भुगतान करेगी और ९० प्रतिशत ऋण के द्वारा मूल्य दिया जायेगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विशेष परिस्थितियां थीं जिनके कारण इस जहाज को समुद्र में लाने के समारोह पर वित्त मंत्री, नौवहन मंत्री तथा भारतीय राजदूत, जापान का वहां पर रहना जरूरी था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर:** वित्त मंत्री अपने जापान के दौरे पर जापान में थे और उनका दौरा पहले ही निश्चित कर दिया गया था । इसलिए उनकी वहां पर उपस्थितियों का लाभ उठाया गया क्योंकि यह पहला मालवाही जहाज था और हमारे वाणिज्यिक जहाजों में सबसे बड़ा जहाज था । जहाज दिसम्बर के अन्त में मिल रहा है ।

मैं नौवहन मंत्री दूसरे शिपयार्ड के लिए सहयोग की संभावनाओं की खोज करने के लिए वहां था । राजदूत को आमंत्रित किया गया था और वह वहां पर थे ।

†**अध्यक्ष महोदय:** : अगला प्रश्न ।

परदीप पत्तन

\+

†*२७७. { **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री यशपाल सिंह:
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री बिशनचन्द्र से5 :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में परदीप पत्तन का विकास करने का फैसला कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कुल अनुमानित व्यय कितना होगा ;

(ग) क्या इस के लिय कोई विदेशी सहायता मांगी गई है ;

(घ) यदि हां, तो कहां से, और

(ङ) उसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

परदीप पत्तन का माध्यमिक पत्तन के रूप में विकास करना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है और भारत सरकार ने इस संबंध में व्यय पूरा करने के लिए राज्य सरकार को १.५ करोड़ रुपये का ऋण दिया है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है कि परदीप पत्तन का गहरे समुद्र के पत्तन के रूप में विकास किया जाये जिससे उड़ीसा की खानों से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का निर्यात हो सके । योजना आयोग योजना की जांच कर रहा है । राज्य सरकार में प्रस्तावों के अनुसार परदीप के द्वारा रोम्पा-दाइतारी खानों से २० लाख टन के लौह अयस्क का निर्यात करने का है । इस यातायात को पूरा करने के लिए परदीप पत्तन का १६ करोड़ रुपय से विकास करने का अनुमान लगाया गया है । जापानी हितों का ध्यान रखने वाला एक जापानी दल इस समय भारत में है और परदीप पत्तन से निर्यात होने वाले लौह अयस्क की खरीद समेत परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत कर रहा है । बातचीत हो रही है ।

†**श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा:** तीसरी योजना में इस बन्दरगाह पर कितना धन व्यय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : जैसाकि विवरण में बताया गया है तीसरी योजना के अधीन १.५ करोड़ रुपये निश्चित कर दिए गए हैं। कितना धन व्यय हुआ है इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए।

†**श्री यशपाल सिंह** : संकटकालीन परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ष को एक्स्पेडाइट करने के लिए क्या किया जा रहा है और यह कब तक खत्म हो जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इससे तो हम आयरन एक्सपोर्ट करना चाहते है। संकटकालीन स्थिति है इसका कहां तक संबंध होगा, यह कहना मुश्किल है।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या पत्तन निर्माण को अन्तिम रूप देने के लिए जापान के विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मेरी यह जानकारी है कि जापानी विशेषज्ञों का यह दल परदीप से रोम्पा-दाइतारी खानों से लौह अयस्क का निर्यात करने की संभावनाओं की खोज कर रहा है। इस समय वह बातचीत कर रहे है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या इस पत्तन के विकास के लिए जापान से कोई वित्तीय सहायता लेने का विचार है क्योंकि जापान को निर्यात होने वाले लौह अयस्क इसी बन्दरगाह से निर्यात किए जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे ब्योरे मालूम नहीं है। और यह भी मालूम नहीं है कि बातचीत किस आधार पर हो रही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने पूर्व और पश्चिम तटों के विभिन्न बन्दरगाहों के संबंध में प्राथमिकताओं समेत स्पष्ट नीति बना ली है ? यदि हां, तो अन्य पत्तनों की तुलना में परदीप पत्तन को क्यों प्राथमिकता दी गई है।

†**श्री राज बहादुर** : इस पत्तन के संबंध में मैं बता चुका हूं कि तीसरी योजना के अधीन इसके विकास के लिए १.५४ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिससे ५० लाख टन यातायात इससे हो सकें। जब हम इस स्तर पर आयेंगे तब हम देखेंगे .....

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा प्रश्न पत्तन निर्माण की प्राथमिकताओं के बारे में था।

†**श्री राज बहादुर** : उन्होंने सिद्धान्तों के बारे में पूछा और मैंने सिद्धान्त बता दिए है कि यातायात एक स्तर पर आने पर हम अग्रेतर कार्यवाही करेंगे। अर्थात् २० लाख टन निर्यात करने की योजना बन जाने पर हम और कार्यवाही करेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मने निर्माण के मामले में प्राथमिकतायें पूछी थीं। उत्तर इससे विभिन्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक मंत्री माननीय सदस्य को यह नहीं बतायेंगे कि पत्तन को क्या प्राथमिकता दी गई है उनको संतोष नहीं होगा।

†**श्री राज बहादुर** : सभा जानती है कि तृतीय योजना में हमने मंगलौर और तूतीकोरिन के विकास की प्राथमिकता दी है। परदीप पत्तन के विकास का प्रस्ताव अलग है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं यही जानना चाहता था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : विवरण में बताया गया है कि परदीप पत्तन के विकास का व्यय १६ करोड़ रुपये होगा । मैं जानना चाहती हूं कि यह धनराशि भारतीय मुद्रा में होगी अन्यथा विदेशी मुद्रा में ?

†**श्री राज बहादुर** : इसकी जांच हो रही है । योजना आयोग इन आंकड़ों की जांच करेगा । मैं समझता हूं कि इसका अधिकांश भाग भारतीय मुद्रा में होगा और थोड़ा सा भाग विदेशी मुद्रा में होगा ।

दण्डकारण्य का सर्वेक्षण

†*२७८. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह:**
श्री बिशनचन्द्र सेठ:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दंडकारण्य में कृषि उद्योग और बागबानी की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिये विशेषज्ञों का एक दल वहां भेजने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक इस दल के भेजे जाने की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह:)** : (क) जी हां ।

(ख) दल का गठन विचाराधीन है और निर्णय होने के बाद उनके दौरे के समय पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

कच्ची चीनी का निर्यात

†*२७९. **श्री महेश्वर नायक:** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संस्था (इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन) के निर्यात अभिकरण विभाग ने दो लाख टन तक कच्ची चीनी के निर्यात के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था के साथ करार किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग विदेशों से उर्वरकों का आयात करने के लिये किया जाएगा ; और

(ग) इस करार का ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) चीनी निर्यात से ५० प्रतिशत का उर्वरकों के आयात का उपयोग होगा ।

(ग) करार के द्वारा अच्छे किस्म की चीनी १.५ से २.० लाख मीट्रिक टन का निर्यात जापान, रिपब्लिक आफ कोरिया, साउथ विएटनाम, वेस्ट योरोप, नार्थ अफ्रीका, साउथ अमरीका को १९६३ में किया जायेगा । चीनी के मूल्य लन्दन दैनिक मूल्य के आधार पर निश्चित होंगे ।

†**श्री महेश्वर नायक** : उर्वरक के देसी उत्पादन तथा देश की आवश्यकता के बीच कितना अन्तर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिन्दे**: इस समय हमारे पास निर्यात के लिए पर्याप्त है और ३१ अक्तूबर को लगभग १० लाख टन था।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या इस होने वाले करार के द्वारा चीनी के निर्यात के मूल्य के कारण उर्वरक का आयात करने के मूल्य रियायती हो जायेंगे ?

†**श्री शिन्दे** : जैसा कि मैंने बताया चीनी के मूल्य लन्दन दैनिक मूल्य से संबंधित होंगे। आयात किए जाने वाले उर्वरक के मूल्य के संबंध में से बताना चाहता हूं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलित मूल्य होंगे ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या चीनी के निर्यात का प्रतिवर्ष बनाये गये रिजर्व स्टाक पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री शिन्दे** : निर्यात मात्रा आन्तरिक आवश्यकताओं और निर्यात की जाने वाली संभावना पर आधारित है ।

†**श्री तुलशीदास जाधव**; : मैं जानना चाहता हूं कि जो रा शुगर बाहर भेजी जाने वाली है इसमें महाराष्ट्र की सहकारी शुगर मिल्स ने कितना सहकार दिया है और कौन कौन सी मिल ने कितना कितना सहकार दिया है ।

†**श्री शिन्दे** : महाराष्ट्र के सहकारी चीनी कारखाने चीनी के उत्पादन में भाग ले रहे हैं, और महाराष्ट्र में कारखानों ने चीनी का उत्पादन आरंभ कर दिया है ।

†**श्री शिवाजी राव श०देशमुख** : क्या करार में सहकारी चीनी कारखानों के लिए कोटा रिजर्व करने के बारे में भी है और क्या निर्यात के पत्तन से कारखाने की दूरी का भी ध्यान रखा जायेगा जब कोटा और लागत का निर्धारण होगा ?

†**श्री शिन्दे** : कोई भी कारखाना चीनी का निर्माण करे हम उनका स्वागत करेंगे । इस लिए कारखानों के किसी भी ग्रुप का रिजर्वेशन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मध्य प्रदेश से बाहर भेजे गये खाद्यान्न

†*२८०. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६० से सितम्बर, १९६२ की अवधि में प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश राज्य से बाहर कितना खाद्यान्न भेजा गया है ; और

(ख) क्या खाद्य मंत्रालय के केन्द्रीय सरकारी भंडागार और राज्य के केन्द्रीय गोदामों में इतना स्टाक उपलब्ध है जो कोई कमी होने पर उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त हो ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** (क) व्यापार करारों तथा सरकारी व्यापारियों से नवम्बर, १९६० से सितम्बर, १९६२ तक मध्य प्रदेश से रेल से लाई ले जाई गई खाद्यान्नों की मात्रा अनुमानतः नीचे दी जाती है :—

(हजार मीट्रिक टनों में)

अवधि	मात्रा
नवम्बर, तथा दिसम्बर, १९६०	१६०
१९६१	११७३
१९६२ (३० सितम्बर तक)	७६३

†मूल अंग्रेजी में

सड़क द्वारा लदान की जानकारी नहीं है । सरकारी कारखानों पर सड़क द्वारा खाद्यान्नों का लदान नहीं किया गया ।

(ख) मध्य प्रदेश में खाद्यान्न फालतू है । आपातकाल की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चावल और गेहूं पर पर्याप्त भंडार बना लिया गया है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार सामुहिक महत्व के स्थानों पर खाद्यान्न के बड़े भांडार बना रही है जिससे उनका अल्प सूचना पर लदान किया जा सके ।

†**श्री अ० सिं० सहगल** : क्या मध्य प्रदेश के विशेषत: छत्तीसगढ़ इलाके में बहुत कमी है और क्या सरकार ने अपने गोदामों से भंडार देना शुरू कर दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: छत्तीसगढ़ के बारे में समाचार बढा चढा कर दे रहे हैं । हमने जांच की है । संभव है कि उत्पादन कम हुआ हो, परन्तु छत्तीसगढ़ में कमी नहीं है ।

†**श्री अ० सिं० सहगल** : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जांच करायें और यह मालूम करने का प्रयत्न करें कि छत्तीसगढ़ में कमी है अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस सुझाव को मान लेंगे ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : माननीय मंत्री द्वारा दिये उत्तर में बताया गया था कि सरकार ने सड़क परिवहन द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को मध्यप्रदेश से भेजे गये खाद्यान्नों के आंकड़े इकट्ठे नहीं किये थे । क्या यह सच है कि यह परिवहन नियमित तस्कर व्यापारियों द्वारा मध्यप्रदेश की सभी सीमा पर नियुक्त पुलिस से सांठ गांठ में होता है और इसी लिये आंकड़े यहां नहीं बताये जा रहे है ?

†**श्री अ० म० थामस**: तस्कर व्यापार का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र एक जोन में है । वहां पर बिना रोक टोक खाद्यान्न आ जा सकता है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : चावल के मामले में ऐसा नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभव है माननीय मंत्री गलत हों परन्तु माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री वही जानकारी दे सकते हैं जो उनको मालूम है । यदि सरकार इस बात को जान जायेगी तो तस्कर व्यापार कहां रहा ।

†**श्री बड़े** : क्या यह बात सच है कि मध्य प्रदेश में स्केरसिटी के कारण चीप ग्रेन शाप्स खोले गये है और इस वास्ते मध्य प्रदेश सरकार ने लिखा है कि हम ज्यादा अनाज बाहर नहीं भेज सकते और जोन सिस्टम बन्द किया जाये ?

†**श्री अ० म० थामस**: मैं बता चुका हूं कि कमी नहीं है, सच यह है कि हम मध्य प्रदेश को २,७०० टन चावल की अनुमति दे चुके हैं परन्तु वह अब तक केवल ३१९ टन उठा सके हैं क्योंकि उचित मूल्य की दूकानों से खाद्यान्न नहीं बिक रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एयर इंडिया पर यात्रा प्रतिबन्ध का प्रभाव

+

†*२८१. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर:
श्री राम रतन गुप्त :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही विदेशी यात्रा पर लगाये प्रतिबन्धों का एयर इंडिया की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सरकारी उपक्रम की वित्तीय स्थिति स्थिर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जुलाई, अगस्त, सितम्बर, १९६२ में भारतीय स्टेशनों से इसी अवधि की तुलना में यात्री राजस्व २० प्रतिशत कम मिला है। यह कमी १ जुलाई, १९६२ से विदेशी यात्रा पर रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के कारण है ।

(ख) एयर इंडिया की राजस्व आय को बढ़ाने के लिये यातायात की निम्न श्रेणियों में बिक्री बढ़ाने के प्रयत्न किये गये हैं :—

(१) देश से जाने के लिये जिन यात्रियों को 'पी' फार्म की आवश्यकता नहीं होती है अर्थात् भारत में रहने वाले विदेशी राष्ट्रजन ।

(२) व्यापारी या विद्यार्थी जिनको रिजर्व बैंक "पी' फार्म देता है ।

(३) माल यातायात ।

(४) एयर इंडिया के मार्गों पर भारत और अन्य भागों को विदेशों से यातायात ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : इस समय एयर इंडिया इंटरनेशनल प्रति सप्ताह कितनी उड़ाने कर रहा है और प्रति उड़ान औसतन कितने व्यापारी होते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : लन्दन की उड़ानें पहले के समान हैं अर्थात् एक सप्ताह में सात उड़ानें। भार के बारे में मैं बता चुका हूं कि यह कम हो गया है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : राजस्व में कमी के कारण क्या मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कुछ रियायतें मांगी हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी, नहीं ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या यह सच है कि यातायात में कमी पश्चिम की ओर हुई है पूर्व की ओर नहीं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : ऐसा ही है क्योंकि भारत से पश्चिम की ओर जाने पर ही प्रतिबन्ध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक तथा तार विभाग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था का ऋण

|+

†*२८२. श्री भक्त दर्शनः
श्री प्र० चं० बरुआः
श्री भागवत झा आजादः
श्री तन सिंहः
श्री अ० ब० राघवनः
श्री पोट्टेकाट्टः

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने डाक तथा तार विभाग के लिये भारत को ४ करोड़ ३० लाख डालर का ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां, ।

(ख) ऋण का उपयोग विदेश से आयात किये जाने वाले दूर संचार के यंत्रों को खरीदने के लिये होगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या यह बताने की कृपा की जायेगी कि यह जो ऋण लिया गया है किन शर्तों पर लिया गया है ?

श्री जगजीवन राम : शर्त तो यह है कि इस पर सूद बहुत कम होता है और इसको बहुत लम्बे अर्से के बाद वापस करना होता है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, इस ऋण से जो धन प्राप्त हो रहा है, इसके देर से देर कब तक उपयोग कर लिये जाने की आशा की जा सकती है ?

श्री जगजीवन राम : इसी पंचवर्षीय योजना के भीतर ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि इस कार्य के लिये डाक तथा तार का एक विशेष शिष्टमंडल नियुक्त किया गया था और यदि हां तो क्या भारतीय राजनयिक शिष्ट मंडल इसके सम्बन्ध में बातचीत नहीं कर सका था ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां, एक शिष्टमंडल भेजा गया था और ऐसा विश्व बैंक और वहां पर हमारे दूतावास के कहने पर किया गया था ।

†**श्री अ० ब० राघवन** : क्या इस धनराशि में से कुछ भाग त्रिवेन्द्रम और कोजीकोड के बीच टेलीफोन और टेलीग्राफ सुविधाओं पर व्यय करने का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह अलग प्रश्न है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : पहली किश्त कब तक आजाने की आशा है और पहली किश्त कितनी होगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जगजीवन राम : आयात की गयी सामग्री और विशिष्ठ तारों की गणना की जा रही है और गणना हो जाने के बाद विश्व के टेंडर मंगाये जायेंगे। विश्व टेंडर मंगाये जाने के बाद सामग्री का आयात किया जायेगा और आई डी०ए० द्वारा भुगतान किया जायेगा।

†श्रीमती सावित्री निगम : आई० डी० ए० के श्रेणी से कौन सी विशेष परियोजनाओं ली जायेंगी ?

†श्री जगजीवन राम : यह एक परियोजना के लिये नहीं है। यह देश में दूरसंचार सुविधाओं के सामान बढ़ाने के लिये है।

†अध्यक्ष महोदय : शोर बहुत है। इस प्रकार कार्यावाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। या तो मैं चुप हो जाऊं अथवा माननीय सदस्यों को चुप हो जाना चाहिये। श्री पोट्टेकाट्ट।

†श्री पोट्टेकाट्ट : क्या केरल में टेलीग्राफ और टेलीफोन संचार के लिये कोई राशि अलग रखी जायेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। अगला प्रश्न।

फसल का बीमा

+

†*२८४. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल का बीमा आरम्भ करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या फसल के बीमे के साथ साथ ढोर का बीमा भी लागू किया जायेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) १९४७ में संसद को दिये गये आश्वासन के अनुपालन में फसल बीमा की योजना बनाई गई थी और अपनाये जाने के लिये विविध राज्यों को भेजी गयी थी। तथापि राज्य सरकारों ने वित्तीय कठिनाई के कारण इस को कार्यान्वित करना संभव नहीं समझा।

तथापि पंजाब सरकार ने तीसरी योजना अवधि में फसल के बीमे के लिये एक अग्रिम योजना कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था की है। इस योजना के लिये विधान बनाये जाने के पश्चात १९६३–६४ में इस कार्य के आरम्भ किये जाने की संभावना है क्योंकि योजना अनिवार्यता के आधार पर कार्यान्वित की जायेगी।

पंजाब में इस योजना को आगे जारी रखने या अन्य राज्यों में इस का आरम्भ किया जाना इस अग्रिम योजना की प्रगति के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ख) जी नहीं।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार ने इस बीमा की संभाव्यता की जांच की है और यदि हां तो क्या उपाय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी, हां, हमने संभव्यता की जांच की है और हम सोचते हैं कि इसे जारी करना संभव है और इस कारण हमने अन्य सरकारों को सलाह दी है कि यदि वे चाहते हैं तो वे इसे आरम्भ करें ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : पिछले सत्र में माननीय मंत्री ने पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सांख्यिकी इस योजना के सम्बन्ध में एकत्रित की जा रही है । इसे एकत्र करने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : अब विधेयक तैयार है और हमने पंजाब सरकार को परामर्श के लिये अपने अफसर भेजने को कहा है । किन्तु इस बीच, जैसा कि मा० सदस्य जानते हैं, यह संकट काल आ गया है और हम यहां पंजाब सरकार के अफसरों के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पंजाब में अग्रिम योजना चलाई जा रही है । उस योजना का विस्तार क्या है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : छः केन्द्र छः जिलों में एक एक, इस योजना के अनुसार आरम्भ किये जा रहे हैं अधिनियम लागू हो जाने के पश्चात् ।

†**श्री दे० द० पुरी** : इस योजना के लिये पंजाब को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : वास्तव में इसका निश्चय किया जायेगा, किन्तु यह केन्द्र द्वारा घोषित योजना होने वाली है ।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या पंजाब सरकार इस योजना के लिये अब सब व्यय दे रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह केन्द्रीय योजना है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : फसलों या पशुओं की बीमा कराने सम्बन्धी योजनाओं को जिनका कि किसानों के जीवन से सीधा सम्बन्ध है अंतिम रूप देने से पहले क्या किसानों के भी मुख्य प्रतिनिधियों से कुछ परामर्श किया गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : वस्तुतः हम लोग समझते हैं कि संसद के सदस्य और विधान सभाओं के सदस्य लोग किसानों का काफी प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन यदि जरूरत समझी जायेगी तो हम और लोगों से भी राय ले लेंगे ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : क्योंकि मंत्री जी ने बताया है कि राज्य वित्तीय कठिनाई के कारण योजना को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार इस योजना को क्यों कार्यान्वित नहीं कर रही है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमने इसे समाप्त नहीं किया है । हम ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इस योजना को आरम्भ करें और पंजाब सरकार पहला राज्य है जिसने इसे आरम्भ किया है । अन्य राज्यों का भी स्वागत है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस में नैचुरल कलैमिटी के लिये भी कोई प्राविजन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : जी हां इस में प्राकृतिक प्रकोपों के लिये काफी व्यवस्था है। इस में बहुत सारी व्यवस्थायें हैं ।

बिजली के इंजनों का उत्पादन

+

†*२८६. { **श्री महेश्वर नायक** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने 'ग्रुप्स' नामक आठ विदेशी संस्थाओं से भारत में बिजली के इंजन बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) विदेशी संस्थाओं के आठ प्रतिनिधियों द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जायगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल बिजली के इंजन बना रहा है ? हमें बताया गया है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स तथा "मैसर्स ग्रुप" के बीच एक करार किया गया है। क्या हैवी इलैक्ट्रिकल पहले से बिजली के इंजनों का निर्माण कर रही है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : बिजली के इंजनों के निर्माण के दो भाग हैं। मशीनी भाग चित्तरंजन में बनाया जायगा और बिजली का भाग हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल में बनाया जायगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : इस समवाय वर्ग को हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा परामर्श शुल्क के रूप से कितनी राशि दी जायगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : एक करार किया गया है। भिन्न भिन्न चीजों के लिये भिन्न भिन्न, राशियां हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या बिजली के इंजनों की तीसरी योजना में बनाये जाने की संभावना है या इसे चौथी योजना में किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम तीसरी योजना के अन्त में प्रति वर्ष लगभग ६० बिजली इंजन बनाने की आशा करते हैं ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

+

†*२८७. { **श्री रा० शि० पाण्डेय** :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च १९५९ में लागत ढांचा समिति की सिफारिशों के अनुसार इंडियन एयर-लाइन्स की आस्तियों को कम करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख) समिति की यह सिफारिश थी कि सरकार को निगम की पूंजी के पुनर्मूयन का ध्यान रखना चाहिये और इस के किसी भाग का अपलेखन करने का अधिकार देना चाहिये, जो आस्तियों के वसूल किये जाने वाले मूल्य के समान नहीं हो, निगम के परामर्श के साथ जांच की गई थी, और यह फैसला किया गया था कि निगम की पूंजी का इस प्रकार पुनर्मूल्यन करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उस से निगम की पूंजी रचना में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय गन्ना प्रौद्योगविज्ञ समाज

+

†*२८८. { **श्री बसुमतारी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगविज्ञ समाज की ग्यारहवीं कांग्रेस इस वर्ष सितम्बर में मारिशस में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस कांग्रेस में भारत के प्रतिनिधि कौन थे ?

(ग) उन में क्या मुख्य सिफारश/टिप्पणियां की गई थीं ; और

(घ) उन के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय शिष्टमंडल में तीन प्रतिनिधि थे—दो सरकारी और एक गैर-सरकारी, अर्थात्–

(१) डा० जे० टी० राव, निदेशक, गन्ना उगाना संस्था (कोयम्बटूर) ।

(२) श्री एस० सी० गुप्त, मुख्य टेक्नालोजिस्ट (विस्तार) राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर ; और

(३) श्री डी० आर० नारंग, सभापति, शूगर टैक्नालोजिस्ट असोसिएशन आफ इंडिया, कानपुर ।

(ग) कांग्रेस ने कोई सिफारिश नहीं की । केवल प्रविधिक कागजों की चर्चा की गई थी ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री बसुमतारी** : कांग्रेस में किन देशों ने भाग लिया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : यह मारिशस में हुई थी । ३२ देशों ने भाग लिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल तथा प्रश्न सूची पूरी हुई ।

---

†मूल अंग्रजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विमान निगमों को स्वीकृत राज-सहायता

†*२७०. श्री मुरारका :
श्री कृ० चं० पंत :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया को कुल कितनी राज-सहायता मंजूर की गई ;

(ख) इस राज-सहायता का क्या औचित्य है ; और

(ग) निगमों को आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग). पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

रेलवे यात्रियों के लिये दुर्घटना बीमा

†*२७१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ समय से रेलवे की 'यात्रियों के लिये दुर्घटना बीमा' योजना पर विचार करती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में इस बीच क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

फतेहपुर-चुरू लाइन पर रेलवे का किराया

†*२८३. **श्री मुरारका** : क्या **रेलवे** मंत्री फतेहपुर-चुरू लाइन पर रेलवे के किराये के संबंध में १० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायत मिली हैं कि इस सेक्शन पर कम आय राजस्व की चोरी तथा बिना टिकट यात्रा आदि के कारण हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अव्यवस्था को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है ; और

(ग) किराये की स्थिति पर दोबारा कब विचार होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०-वें० रामस्वामी)** : (क) कुछ शिकायतें आई थीं कि फतेहपुर-चुरु लाइन पर कम आय होने का कारण यह था कि उस सेक्शन पर बिना टिकट यात्रा बहुत प्रचलित थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सेक्शन पर बिना टिकट यात्रा पर, विशेष निगरानी कर के नियंत्रण किया गया है।

(ग) इस स्थिति पर जनवरी १९६३ में पुनर्विचार किया जायगा।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन

†*२८५. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराना 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन, जिस रूप में कि वह शुरु में था, छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). योजनाओं की क्रियान्विति में विलम्भ को रोकने की दृष्टि से अलग अलग योजनाओं के लिये धन नियत करने तथा केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया में मई १९५८ से शोधन किया गया था। शोधिक प्रक्रिया के अधीन अधिक अन्न उपजाओ योजनायें विकास शीर्षक "कृषि जन्य उत्पादन" में शामिल हैं। भारत सरकार खाद्य उत्पादन योजनाओं समेत सब कृषि संबंधी उत्पादन वाली योजनाओं को पर्याप्त महत्व देती है और इन योजनाओं की कार्यान्विति की गति को बहुत तेज़ कर दिया गया है।

चावल का स्टाक

†*२८६. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चावल का २० लाख टन स्टाक बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है और चावल मिलों पर शुल्क भी बढ़ा रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव से सरकार को कितनी सहायता मिलेगी ;

(ग) विभिन्न राज्यों में यह कितने प्रतिशत बढ़ेगा ; और

(घ) सरकार खाद्यान्नों के वितरण का किस प्रकार नियमन करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) भारत सरकार ने १० लाख टन चावल का रक्षित स्टाक रखने का पहले निर्णय किया था। अब सरकार अधिक बड़ा रक्षित स्टाक रखने का विचार करती है, यदि संभव हुआ २० लाख टन तक। चावल मिलों पर कुछ राज्यों में शुल्क बढ़ा दिया गया है।

(ख) सरकार द्वारा रखे गये बड़ी मात्रा में रक्षित स्टाक से जनता में विश्वास उत्पन्न होता है और इस से सरकार को मूल्यों को काबू में रखने तथा उपभोक्ताओं को सरलतापूर्वक संभरण देने में सहायता मिलती है।

(ग) रक्षित स्टाक अंशतः आयात से तथा अंशतः अन्दरूनी संग्रह से बनाने का इरादा है। चावल भारत सरकार द्वारा पंजाब, मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में चावल मिलों तथा व्यापारियों पर शुल्क लगाने के द्वारा संग्रह किया जा रहा है। पंजाब में इस समय शुल्क ६६$^{२}/_{३}$ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में ५० प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश में २५ प्रतिशत है। अन्य राज्यों में चावल संग्रह करने की संभाव्यता का भी इस समय विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सरकारी स्टाक से खाद्यान्न उचित दामों वाली दुकानों के द्वारा कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार वहां बांटा जाता है, जिसका समय समय पर अनुमान लगाया जाता है ।

पौधों की वृद्धि पर संगीत का प्रभाव

†५६२. श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्नामलाई, जब्बलपुर और पांडिचेरी में किये गये प्रयोगों के आधार पर संगीत का पौधों की वृद्धि पर बड़ा प्रभाव पाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस तरीके का प्रचार करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) वैज्ञानिकों का एक दल भारत सरकार द्वारा, अन्नामलाई विश्वविद्यालय के डा० टी० सी० एन० सिंह तथा महां कौशल महाविद्यालय जबलपुर के डा० बी० गोरे द्वारा पौधों की वृद्धि पर संगीत के प्रभाव के बारे में कही गई बात का सत्यापन करने के लिये १९६१ में नियुक्त किया गया था । वह दल इस मामले पर कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं कर सका क्योंकि जो प्रयोग किये गये उनका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला ।

(ख) क्योंकि किये गये प्रयोगों से पौधों की वृद्धि पर संगीत के सक्रिय प्रभाव के बारे में कही गई बात पुष्ट नहीं हुई । अन्य संस्थाओं में इस कार्य को आगे जारी न रखने या इस तरीके का प्रचार न करने का फैसला किया गया है ।

उर्वरकों का मूल्य

†५६३. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री स० ब० पाटिल :

क्या खद्य तथा कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि राज्य खाद्य मंत्रियों के मामले में उर्वरकों की कीमत में कमी करने के बारे में चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर क्या निर्णय किया गया था ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, इस विषय पर राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक में चर्चा की गई थी ।

(ख) कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट की पुन: निर्णय कीमत ५ अक्तूबर, १९५० में ३१० रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटा कर २७८ रुपये कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूमि कटाव

†५६४. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य खाद्य मंत्री सम्मेलन ने भूमि कटाव को रोकने के उपायों पर विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) हां ।

(ख) कांफ्रेंस में दिये गये सुझावों और बाद में प्राप्त हुए कुछ राज्यों के विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर निम्न निश्चय किये गये हैं :—

(१) वर्ष १९६२–६३ में भूमि रक्षण प्रोग्राम को दुरुस्त बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को २३.१८ लाख रु० का अधिक आवंटन किया गया है ।

(२) बिहार सरकार का यह सुझाव कि एक समय में एक वर्ष के बजाय तृतीय योजना की समूची अवधि के लिए केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं के लिए प्रशासी अनुमति दी जाये, स्वीकार हो गया है । मयूराक्षसी के जलमग्न क्षेत्र में भूमि संरक्षण की उनकी योजना समूची तृतीय योजना अवधि के लिए स्वीकार हो गई है । अन्य राज्यों से प्राप्त हुई ऐसी योजनाओं के बारे में यही कहा गया है या किया जा रहा है ।

(३) मैसूर सरकार ने भूमि संरक्षण का विस्तृत प्रोग्राम प्रस्तुत किया है जिसका उद्देश्य आगामी ९ वर्षों के लिए ९ लाख एकड़ भूमि प्रतिवर्ष बचाना है और उस पर लगभग १,४८० लाख रु० व्यय होंगे । २२ लाख रु० का अतिरिक्त आवंटन वर्ष १९६२–६३ के लिए राज्य को इस कार्य के लिए किया गया है और ऐसा करने में संगठनात्मक तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा गया है ।

(४) पंजाब सरकार का यह सुझाव कि उसकी खेत-नाली प्रदर्शन परियोजनाओं को भूमि संरक्षण की केन्द्रीय योजना माना जाये, स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि इस कार्य का संबंध सिंचाई से है ।

(५) नये विज्ञान-स्नातकों के लिए तीन वर्षीय भूमि संरक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(६) पिछड़े क्षेत्रों में लागू होने वाली राज्य भमि संरक्षण योजनाओं के बारे में वित्तीय सहायता के रूप में परिवर्तन करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

सिंचाई योजनायें

†५६५. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य खाद्य मंत्री सम्मेलन ने छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा सामने आने वाली कठिनाइयों की जांच करने के लिये एक कार्यकारी दल बनाया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, इस दल की रिपोर्ट कब प्रस्तुत होने की आशा है?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). कृषि के राज्य मंत्रियों के एक अनौपचारिक सम्मेलन में, जो इस मंत्रालय द्वारा २९ व ३० अगस्त, १९६२ को बुलाई गई थी, कहा गया था कि सीमेन्ट, लोहा और इस्पात तथा कोयला का अपर्याप्त तथा विलम्बित संभरण से सिंचाई के छोटे कार्य तथा कृषि विकास के अन्य प्रोग्रामों में बाधा पड़ी। तदनुसार मंत्रियों ने सुझाव दिया था कि इन महत्वपूर्ण वस्तुओं की संभरण स्थिति में सुधार करने में सहायता देने के लिए वर्तमान प्रक्रिया का ध्यानपूर्वक परीक्षण होना चाहिये और उनमें अनुकूल परिवर्तनों का सुझाव देना चाहिये। यह कार्य कृषकों को और साधारण रूप में कृषि विकास के प्रोग्रामों के लिए उन वस्तुओं की समय पर पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जायेगा। इसमें कृषि उपलब्धियों तथा कृषि उत्पादों को रखने के लिए गोदामों की सुविधा भी शामिल है। अतः सम्मेलन ने एक व्यापक कार्यकारी दल बनाने का निश्चय किया, इस दल की बैठक २४ और २५ सितम्बर, १९६२ को हुई और इस बीच उसकी रिपोर्ट दे दी गई है।

त्रिपुरा में सर्वेक्षण तथा निपटान विभाग के कर्मचारी

†५६६. श्री दशरथ देव : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में सर्वेक्षण तथा निपटान विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ता साप्ताहिक छुट्टी, अर्थात् इतवार को छुट्टी, मनाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन कर्मचारियों को, सरकारी छुट्टी वाले दिनों में काम करने के लिए कोई विशेष वेतन या अधिसमय वेतन दिया जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) सर्वेक्षण तथा निपटान कार्य निश्चित प्रोग्राम के अनुसार होता है। लम्बी वर्षा ऋतु होने के कारण, क्षेत्र के लिए उपलब्ध समय कम है। अतः अक्टूबर से मई तक कोई छुट्टी नहीं मनाई जाती। फिर भी, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का बिना काम के मौसम में पूरे वेतन पर आराम तथा छुट्टी मनाने से, पूरा प्रतिकार हो जाता है।

रेढ़ी वालों की सहकारी समितियां

†५६७. श्री अ० क० गोपालन :
श्री यलमन्दा रेड्डी :

क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेढ़ी/ठेला वालों द्वारा सहकारी समितियां बनाने की कोई योजना स्वीकार की है ;

(ख) इस योजना के लिए कितना धन आवंटित किया जा रहा है और उसका क्या ब्यौरा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या किसी राज्य में ऐसी कोई सहकारी समितियां बनाई गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) हां, श्रीमान् रेढ़ी चलाने वालों की सहकारी समितियां बनाने की एक योजना अग्रिम आधार पर स्वीकार हो गई है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार (१) राज्य सरकारों को इतना ऋण देगी कि वे समितियों को रेढ़ी खरीदने के लिए ऋण दे सकें, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा १०,००० रु० प्रति समिति होगी और यह राशि पांच वर्ष में समान वार्षिक किस्तों में देय होगी, (२) राज्य सरकारों–संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों को अनुदान देगी ताकि वे इसे ५ वर्ष की अवधि में प्रत्येक समिति को ९०० रु० तक सीमान्त व्यय को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता दे सकें। आर्थिक सहायता राज्य सरकार के साथ मिलकर ५०:५० के आधार पर दी जायेगी ।

(ग) अब तक, इस योजना के अन्तर्गत कोई समिति नहीं बनी है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में मोटर परिवहन

†५६८. **श्री दशरथ देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कुल कितनी गाड़ियां परिवहन कार्य में लगी हुई हैं;

(ख) इन मोटर परिवहनों में कितने लोग ड्राईवर तथा सहायक के तौर पर काम करते हैं;

(ग) इन कर्मकारों को अधिक से अधिक तथा कम से कम कितना वेतन मिलता है; और

(घ) क्या सरकार इन कर्मचारियों के लिये कोई निम्नतम मजूरी निश्चित करने का विचार करती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १,६१९ (२९-१०-६२ को) ।

(ख) २,५६१ (१,६५९ ड्राईवर और ९०२ ड्राईवर सहायक) ।

(ग) क्रमशः १७५ रुपये तथा ५० रुपये मासिक ।

(घ) मामला त्रिपुरा प्रशासन के विचाराधीन है ।

डाक व तार कर्मचारी

†५६९. **श्री बूटा सिंह** :
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन साल या अधिक सेवा के कितने डाक व तार कर्मचारियों को भारत भर में १९६०, १९६१ तथा अक्तूबर १९६२ तक जुलाई १९६० की सामान्य हड़ताल से असंबंधित मामलों के कारण अस्थायी सेवाएं नियमों के नियम ५ के अन्तर्गत नौकरी से निकाला गया था;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन में अनुसूचित जातियों के कितने लोग थे; और

(ग) उन कर्मचारियों को अर्ध-स्थायी न बनाने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती):** (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फार्म की उपज

†५७०. **श्री सोंधियान :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में फार्म की उपज को बढ़ाने के लिये विविध राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने अल्पकालीन ऋण दिये गये हैं; और

(ख) १ अप्रल, १९६० से पहले दिये गये ऋणों में से राज्यों द्वारा कितनी राशि और ऋण अभी लौटाना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ख) सम्बद्ध महालेखापाल केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूल करने के जिम्मेवार हैं । १-४-६० से पहले दिये गये ऋणों की बकाया राशि तथा वसूल किये जाने वाले ब्याज की राशि इस समय इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं है । यह सूचना महालेखापालों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में रेलवे लाइनों का निर्माण

†५७१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली और दूसरी योजनाओं की अवधियों में पंजाब में कितने मील नई रेलवे लाइन बनाई गई है; और

(ख) तीसरी योजना अवधि में पंजाब में कितनी नई रेलवे लाइनें खोलने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेलवे लाइनों के निर्माण की सूचना राज्यवार नहीं रखी जाती, रेलवे अनुसार रखी जाती है । प्राप्त अभिलेख से यह मालूम होता है कि पहली और दूसरी योजना अवधियों में किये गये कामों में से लगभग ४० मील नई लाइन और लगभग ५४ मील उखाड़ी हुई लाइन को पुनः चालू किया गया है ।

(ख) तीसरी योजना के लिये रेलवे के कार्यक्रम में नियत नवीन लाइनों में से तो जोजना आयोग ने प्रकाशित की है, १.२७ मील का माधोपुर–कथुआ लाइन का टुकड़ा पंजाब में आता है ।

फीरोजपुर डिवीजन में नये स्टेशन खोलना

†५७२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में उत्तर रेलवे के फीरोजपुर डिवीजन में कितने नये स्टेशन खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: एक फ्लैग स्टेशन खोला गया है और दो ट्रेन हाल्ट खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

वैतरणी रोड रेलवे स्टेशन के यात्री प्लेटफार्म पर छत डालना

†५७३. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उड़ीसा में दक्षिण-पूर्व रेलवे के वैतरणी रोड रेलवे स्टेशन के यात्री प्लेटफार्म पर छत डालने का निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तम्बाकू की खपत

†५७४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि देश में प्रति वर्ष कितने तम्बाकू की खपत हो रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : हां, पिछले ५ वर्ष के लिए तम्बाकू की खपत का किस्मवार अखिल भारतीय ब्यौरा संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]**

तम्बाकू की अग्रिम परियोजनायें

†५७५. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फ्लू क्योर्ड वरजिना तम्बाकू' आने के लिये अग्रिम परियोजनायें बनाने का सरकार का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्यौरा है और इन अग्रिम परियोजनाओं की स्थापना के लिए कौन स्थान चुने गये हैं; और

(ग) इस परियोजना के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) हां।

(ख) नये क्षेत्रों में वरजिना तम्बाकू उगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मैसूर राज्य में कुण्डसाद और धारवाड़ क्षेत्र के अंकलगी और अक्तंगीकल क्षेत्रों, मद्रास राज्य के सेलम तथा धर्मपुरी क्षेत्रों और गुजरात राज्य के सूरत, कैरा और मेहसाना जिलों में परीक्षण किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कोई विशेष आवंटन नहीं किया गया है। राज्य सरकारों के साथ मिल कर परीक्षण किये जा रहे हैं।

पी० सी० रे एण्ड कम्पनी का मामला

†५७६. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० सी० रे एण्ड कम्पनी, पोर्ट ब्लेयर, अन्दमान का मामला, जो पंच निर्णय के लिए भेजा गया था, निश्चित हो गया है; और

(ख) क्या उस कम्पनी के विरुद्ध शिकायत मिली है कि वहां मजदूरों को मजूरी का अनियमित भुगतान होता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) अभी नहीं।

(ख) हां।

डिब्बों में बन्द फलों का उत्पादन

†५७७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डिब्बा बन्द फल उद्योग के छोटे उत्पादन एकक आरम्भ करने के इच्छुक छोटे कृषकों को क्या प्रोत्साहन व सुविधा दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : फलों और सब्जियों का उत्पादन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार निम्न सुविधायें तथा रियायतें देती है :—

१. फल तथा सब्जी उत्पादों के निर्माण में प्रयोग होने वाली टीन की चादर पर ५०० रु० प्रति टन आर्थिक सहायता देना।

२. छोटे एककों को १०,००० रु० तक ऋण सहायता देना।

३. चीनी पर (केवल निर्यात पर) उत्पादन शुल्क में छूट देना।

४. निर्यात होने वाले निर्मित उत्पादों के परिवहन के लिए भाड़े में ५० प्रतिशत रियायत देना।

५. टिन की चादर, आदि पर आयात शुल्क की वापसी।

६. निर्यात आय पर १० प्रतिशत नकद अनुदान देना।

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारों ने फल तथा सब्जी परीक्षण तथा सहकार के आधार पर फल तथा सब्जी परिरक्षण एकक बनाने में छोटे उगाने वालों को ट्रेनिंग देने के लिए रियायत सम्बन्धी योजनायें भी बनाई हैं। प्रदर्शन तथा प्रोपेगण्डा के लिए मंचल एकक बनाने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने अपनी तीसरी पंच वर्षीय योजना में भी उपबन्ध किया है।

वन लकड़ी (लटठे)

†५७८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४–५५, १९५५–५६ और १९६१–६२ में घरेलू प्रयोग के लिए अन्दमान के लोगों को जंगल की लकड़ी किस दर पर दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: अन्दमान में ग्रामीणों को मकान बनाने के लिए १२ टन और मरम्मत के लिए ५ टन जंगल की लकड़ी स्वामिस्व के बिना दक्षिण अन्दमान में राजस्व वन से लेने की अनुमति है । घरेलू प्रियोग के लए अपेक्षित लकड़ी की कसी भी मात्रा के लिए निम्न मूल्य लिया जाता है :—

गुद्दे 'क' श्रेणी	६ आना प्रति वर्ग फुट
गुद्दे 'ख' श्रेणी	४ आना प्रति वर्ग फुट

इसके अतिरिक्त, उन भूमिधारियों को भी, जो पोर्ट ब्लयर में अवेरडीन के अलावा और कहीं रहते हैं, स्वामिस्व के बिना जंगल की लकड़ी दी जाती है ।

चतम और नेतापुर में सरकारी आरा कारखानों से चिरी हुई लकड़ी की बिक्री दर दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । कृपया देखिये एल० टी० ५५८/६२]** अन्दमान के लोगों को और लोक निर्माण विभाग सहित सरकारी विभागों को १ नवम्बर, १९५४ से निश्चित दरों ३० प्रतिशत कमी की गई, परन्तु यह रियायत १५-१२-१९५७ से, लेखा परीक्षण के इस सुझाव पर कि अन्दमान वन विभाग वाणिज्यिक विभाग के रूप में यह आर्थिक सहायता नहीं दे सकता, पूर्णतया वापस ले ली गई ।

केन्द्रीय मत्स्य पालन कार्यकर्ता प्रशिक्षण संस्था

†५७९. **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोचीन में एक केन्द्रीय मत्यस्यपाल संचालन प्रशिक्षण संस्था चालू करने में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : नार्वे के विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रख कर एक विस्तृत योजना तैयार की गई है और अब भारत सरकार के विचाराधीन है ।

केरल में नारियल की खेती

†५८०. **श्री प० कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल की खेती बढ़ाने का कोई प्रस्ताव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने कुछ सहायता देने का वचन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल के लिये कितना धन स्वीकार किया गया है ; और

(ङ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहिले और दूसरे वर्ष में कितना धन स्वीकार किया गया और कितना धन व्यय हो चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख) हां, राज्य की तीसरी योजना में नारियल के पौदे लगाने के लिय १६६ एकड़ कायल भूमि और ९५७ एकड़ तटीय भूमि के कृष्यकरण की योजना शामिल की गई है। बाद वाले क्षेत्र में फिल्टर-बिन्दु वाले नल कूपों से सिंचाई की सुविधायें देने का विचार है। इस कार्य के लिये ऋण तथा आर्थिक सहायता दे दी गई है।

(ग) योजना को राज्य योजना की परियोजनाओं के समान केन्द्रीय वित्तीय सहायता मिलेगी।

(घ) इस योजना के लिये कुल १५.८५ लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

(ङ) केरल सरकार ने वर्ष १९६१-६२ में ५०,००० रु० स्वीकार किये थे और वर्ष १९६२-६३ में १.७९ लाख रु० का उपबन्ध किया है।

वर्ष १९६१-६२ में ८०० रु० और १९६२-६३ में ३०-९-१९६२ तक २१,८९० रु० व्यय हुए थे।

विदेशों में जहाजों का निर्माण

†५८१. **श्री ब० कु० दास**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० प० मंडल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कम्पनियों ने विदेशों में अपने जहाजों के निर्माण के लिये आदेश दिये हैं ;

(ख) उन जहाजों द्वारा कितनी टनभार क्षमता प्राप्त हो जायेगी ; और

(ग) उन में से कितने समुद्रपार और कितने तटीय व्यापार के लिये होंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) केवल एक नौवहन कम्पनी, अर्थात् दि जयन्ती शिपिंग कम्पनी प्राइवेट लि०, नई दिल्ली ने एक जापानी जहाज निर्माण कारखाने को आठ खुले वाहक जहाज बनाने का आदेश दिया है।

(ख) इन आठ जहाजों में से प्रत्येक लगभग २०,००० जी० आर० टी० (प्रत्येक ३२,२५० डी० डब्लू० टी०) के दो जहाजों को ३१-३-६३ से पहिले की आने की आशा है।

(ग) आठों जहाज समुद्रपार व्यापार के लिये हैं।

कंक्रीट के स्लीपर

†५८२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलों के लिये आर० एस० कंक्रीट के स्लीपर लेने का अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब आरम्भ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे मंत्रालय म उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे इंजन बनाने की लागत

†५८३. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री उमानाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६२ में चित्तरंजन रेलवे इंजनों की लागत और कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जमशेदपुर स्थित टेल्को में बने रेलवे इंजनों की अपेक्षा इस का मूल्य कम है या अधिक ; और

(ग) अन्त होने का क्या कारण है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि टेल्को द्वारा दिये जाने वाले रेलवे इंजन छोटी लाइन के हैं जबकि बड़ी लाइन के रेलवे इंजन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनते हैं ।

अलितालिया विमान की दुर्घटना

५८४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० के० देव :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलितालिया विमान दुर्घटना की जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इटली तथा अन्य देशो से गवाही देने के लिये कोई गवाह आये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):(क) और (ख). दुर्घटना की जांच अभी हो रही है । ५-१०-६२ तक बावन गवाह जांच अदालत के सामने गवाही दे चुके थे । इन में से सात व्यक्ति इटली के थे और एक अमरीकन था जोकि आजकल रोम में रह रहा है ।

कौंकण तटीय सेवा

५८५. श्री यशपाल सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण तटीय सेवा चलाने के लिये एक गोआनी जहाज-मालिक का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि अमुक जहाज मालिक ने वर्तमान भाड़े में किसी भी वृद्धि के बिना सेवा चलाने का प्रस्ताव किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस मामले में अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया है ।

(ख) हां, श्रीमान ।

मद्रास-आर्कोणम सेक्शन का विद्युतीकरण

†५८६. **श्री उमानाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सेन्ट्रल से आर्कोणम तक रेलवे विद्युतीकरण के लिये केन्द्रीय सरकार को मद्रास सरकार से कोई सिफारिश या प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार का क्या निश्चय है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) इस सेक्शन के विद्युतीकरण के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जबकि भाप-चालित रेलवे इंजनों की यातायात-क्षमता का अधिकतम प्रयोग होने लगेगा । अब तक की जांच पड़ताल से पता लगता है कि यह छोटी सी योजना को वित्त की दृष्टि से लागू करना उचित नहीं है ।

मुरादाबाद के निकट एक रेलवे स्टेशन का लूटा जाना

५८७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, ६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५६१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ४ अगस्त, ६२ को मुरादाबाद के निकट सेहल स्टेशन को लूटने वाले अपराधियों को दण्ड देने और उन से रुपया बरामद करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): इस मामले से संबंधित नौ डाकुओं में से पांच गिरफ्तार किये जा चुके हैं । बाकी डाकुओं को भी गिरफ्तार करने और लूट का माल बरामद करने के लिये जोरदार कोशिश हो रही है ।

लखनऊ के निकट मल्हौर स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

५८८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **रेलवे** मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १० अगस्त, १९६२ को लखनऊ के निकट मल्हौर स्टेशन पर एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारणों की जांच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दुर्घटना एक माल-डिब्बे की कमानियों के उभार में बहुत अधिक फर्क हो जाने के कारण हुई । दुर्घटना के लिये जो कर्मचारी जिम्मेदार ठहराये गये हैं उन के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई करने के सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुपर मार्केट

†५८९. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दामों पर उपभोक्ता माल बेचने वाले स्टोरों की श्रृंखला को थोक माल देने के लिये एक सहकारी सुपर मार्केट बनाने की योजना योजना आयोग के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सहकारी सुपर मार्केट बनाने की कोई योजना नहीं है । भारत सरकार ने समूचे देश में २०० थोक सहकारी स्टोर तथा ४००० प्राथमिक । शाखा स्टोर खोलने की जांच की मंजूरी दे दी है ताकि ५०,००० से अधिक जनसंख्या के शहरों और कस्बों में उपभोक्ताओं को देने के लिये प्रबन्ध किया जा सके । राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इस योजना को कार्यान्वित करें । समूची वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जायेगी ।

खेत्री तांबा परियोजना

†५९०. श्री मुरारका :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में खेत्री तांबा परियोजना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, वहां रेलवे लाइन डालने का काम तेज किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). खेती तांबा निक्षेप क्षेत्रों को मिलाने के लिये एक रेलवे लाइन डालने के लिये टोह इंजीनियरी तथा यातायात सवक्षण किया गया है । उठाये जाने वाले संभावित यातायात तथा यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस लाइन पर इतना कम यातायात होने की सम्भावना है कि इस समय इस लाइन का निर्माण करना युक्तियुक्त नहीं है ।

भद्रक स्टेशन पर बुक हुए माल से वसूल हुआ भाड़ा

†५९१. श्री महन्ती : क्या रेलवे मंत्री भद्रक स्टेशन पर बुक किये गये माल से वसूल किये गये भाड़े के सम्बन्ध में ७ अगस्त १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाड़े से आय में हुई कमी के कारण मालूम किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के हेतु क्या कार्रवाई की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) १९६१ और १९६२ के पूर्वार्ध में १९६० की उसी अवधि की तुलना में वसूल किये गये भाड़े में कमी का कारण यह नहीं है कि यातायात में कोई बहुत कमी हो गई थी, किन्तु कुछ यातायात के कारण था जो १९६१ और १९६२ में 'देने वाला' भाड़ा बुक होकर १९६० में भद्रक 'पूर्व दत्त' भाड़ा के तौर पर बुक किया गया था।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

झूमियों और जोतदारों के बीच झगड़ा

†**५९२. श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सबरूम सब डिवीजन में बसाये गये झूमियों और स्थानीय जोतदारों के बीच कोई झगड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या झगड़ा है, और

(ग) उस झगड़े को निपटाने के लिये त्रिपुरा प्रशासन ने क्या कदम उठाये हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) सबरूम सबडिवीजन में एक जोतदार ने यह दावा किया है कि प्रशासन द्वारा झूमिया पुनर्वास योजना के अन्दर झूमियों को दी गई भूमि जोत भूमि के अन्दर पड़ती है न कि खान भूमि के अन्दर।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

त्रिपुरा में बस व्यवस्था

†**५९३. श्री दशरथ देव** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में हाल ही में बस के किराये में कोई शोधन या कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन किरायों का पालन त्रिपुरा की बस मालिक संथा द्वारा किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं तो त्रिपुरा सरकार के बस किराये की नवीन दर के संबंध में निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). त्रिपुरा प्रशासन १५ अगस्त, १९६२ से बसों का घटाया गया किराया लागू करने का इरादा रखता है। त्रिपुरा मोटर मालिकों की संथा ने प्रस्तावित कमी का विरोध किया है। उनकी आपत्ति को त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त ने अस्वीकार कर दिया, ६ नवंबर १९६२ को हुई एक बैठक में अब प्रशासन नवंबर १९६२ के अन्तिम सप्ताह से शोधित किराया लागू करना चाहता है।

चन्द्रपुर बस्ती

†**५९४. श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि त्रिपुरा की चन्द्रपुर बस्ती (धर्मनगर) के निवासियों में भूमि का वितरण उचित रूप से नहीं किया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती में भूमि के पुनर्वितरण या पुनर्समायोजन के लिये, तीन सदस्यों की एक गैर सरकारी समिति कुछ वर्ष हुए त्रिपुरा के पुनर्वास विभाग के उपनिदेशक के कहने पर बनाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस समिति ने क्या सुझाव दिये थे और उन सुझावों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये प्रारंभ में अधिग्रहीत भूमि का उचित रुप से वितरण किया गया था। किन्तु कुछ आवंटियों को, जिन्होंने पुनर्वास ऋण प्राप्त किया, बस्ती छोड़ गये तथा अन्यत्र बस गये, और कुछ ऐसे व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप में काफी भूमि पर कब्जा कर लिया, जिनको भूमि आवंटित नहीं हुई थी, कुछ ने कम भूमि पर कब्जा किया, कुछ ने अधिक पर।

(ख) जी हां।

(ग) समिति ने अस्थायी तौर पर फैसला किया कि बस्ती की भूमि को गैर-शरणार्थी कब्जेदारों को छोड़कर, प्रति परिवार दस 'गंडाओं' के हिसाब से पुनरावंटित की जाए, जो अपने कब्जे की भूमि को छोड़ दें और कुछ निवासियों को इस बस्ती से कुछ दूरी पर अधिग्रहीत नवीन भूमि पर भेज दिया जाए । किंतु इसके सदस्यों में कुछ मतभेद होने के कारण, समिति ने प्रशासन के पास कोई औपचारिक रिपोर्ट या सुझाव नहीं दिया। अब समिति का काम बन्द हो चुका है।

त्रिपुरा प्रशासन उक्त समिति के दो अस्थायी निर्णयों को कार्यान्वित करना तथा धर्म नगर सब डिवीजन का भूपरिमाप सर्वेक्षण पूरा हो चुकने व तथा खास भूमि मालूम हो चुकने के पश्चात् उचित परिवारों को पुनः आवंटित कर दी जाए।

नौवहन माल भाड़ा दरें

†५९५. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, देश के निर्यात व्यापार के हित में, विभेदपूर्ण सभी माल भाड़ा दरों को नियमित करने के लिए नौवहन कंपनियों से आग्रह किया है ;

(ख) क्या भारत-ब्रिटेन-यूरोपीय सम्मेलन ने भारत से मध्य पूर्व के गंतव्य स्थानों तक अलग तटकर लागू करने के प्रश्न की छानबीन करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की है;

(ग) जब कभी भाड़ादरों में परिवर्तन करने का प्रश्न उपस्थित हो तब व्यापारियों और जहाज-कंपनियों और सरकार के बीच परस्पर सलाह मशविरा करने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गयी है; और

(घ) नौवहन कंपनियों के सहयोग से मालभाड़ा जांच बोर्ड नौवहन कठिनाइयां दूर करने में कहां तक सफल हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी हाँ। भारत–ब्रिटेन–यूरोपीय सम्मेलन ने भी मध्य पूर्व के गन्तव्य स्थानों तक अलग तटकर लागू करने के प्रश्न की छानबीन करने के लिए एक उपसमिति नियुक्त की है। सम्मेलन से कहा गया है कि यथा शीघ्र तटकर जारी करने में वह शीघ्रता करे।

(ग) जी हाँ।

(घ) जहाज कंपनियों के सहयोग से मालभाड़ा जांच बोर्ड अनेक समस्याएँ सुलझाने में सफल हुआ है। उन समस्याओं में से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ इस प्रकार हैं :—

(१) १ जनवरी, १९६१ से ३१ अक्तूबर, १९६२ तक की अवधि में पटसन माल, कपास, कहवा, चाय आदि जैसी लगभग २११ वस्तुओं के संबंध में मालभाड़ा दरों में कमी करना।

(२) सौराष्ट्र के बन्दरगाहों से और वहाँ तक जहाजों पर लगाये अतिरिक्त कर हटा देने।

(३) जब कभी ऐसी कठिनाइयों की ओर ब्यूरो का ध्यान दिलाया जाता तब कई चीजों के लिए जहाजों में आवश्यक स्थान दिलाना।

(४) जब कभी व्यपगत–माल भाड़ा (डेडफ्रेट) लेने, छूट रोकने आदि जैसे मामलों में कठिनाइयां पैदा होती हैं तब सम्मेलन और व्यापारियों के बीच संपर्क के तौर पर काम करना।

रंगून बन्दरगाह पर भारतीय जहाज का रोका जाना

†५९६. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शुक्रवार, १४ सितम्बर, १९६२ को 'जयगंगा' नामक भारतीय जहाज को रंगून बन्दरगाह पर रोक लिया गया था और उसका पर्यन्वेषण किया गया था और कुछ कीमती चीजें जब्त कर लेने के बाद १५ सितम्बर, १९६२ को उसे जाने दिया गया; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या थे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). वह जहाज मेसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, बंबई, का 'जग गंगा' नाम का था, 'जय गंगा' नहीं। वह जहाज अनिवार्य परिस्थितियों के कारण रंगून में २४ घंटे तक रोक लिया गया था। १४ सितम्बर, १९६२ को १० बजे प्रशुल्क पर्यन्वेषण दल जहाज पर चढ़ गया और उसने कैसब–व–कारपेन्टर स्टोर्स में निम्नलिखित संपत्ति पायी और इस कारण जहाज को रोकना पड़ा :—

(१) संश्लिष्ट पत्थरों के ३१ छोटे पैकेज और

(२) लगभग २३ गज सूती कपड़ा।

†मूल अंग्रेजी में

तीन संदेहास्पद नाविकों से पूछताछ करने के लिए उन्हें किनारे पर लाया गया। प्रशुल्क दल १६.०० बजे फिर जहाज पर सवार हुआ और उसने फिर तलाशी ली लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद यह जहाज १८.०० बजे छोड़ दिया गया और २२.०० बजे एक एक करके नाविकों को भी रिहा कर दिया गया। पूछताछ का नतीजा अभी तक मालूम नहीं हुआ है।

पटसन बीज फार्म

†५९७. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुदबुद, पानागढ़ में, केन्द्रीय पटसन बीज फार्म ने एक ऐसा नया तरीका निकाला है जिससे पिछले साल के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में बीज उत्पादन २०० प्रतिशत बढ़ाना संभव हो सकेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह तरीका बहुत प्रविधिक और काफी आसान है और पटसन खेतिहर भी उसे अपना सकते हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). आसान तरीका अपनाने से पानागढ़ फार्म में इस साल पटसन बीज के उत्पादन में काफी वृद्धि होने की संभावना है। अभी यह काम प्रयोग की दशामें है और किसानों के बीच उसका प्रचार करने से पहले परिणामों की और अधिक पुष्टि आवश्यक है।

मिरज-लातूर में इंजन का फेल हो जाना

†५९८. **श्री तुलशीदास जाधव :**
श्री वि० नु० पाटिल :
श्री जेधे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के मिरज–लातूर छोटी लाइन सेक्शन में बराबर ही इंजन फेल होते रहते हैं जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है ; और

(ख) यदि हाँ तो इंजनों के बराबर ही फेल होते रहने के क्या कारण है?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संतरों की बरबादी

†५९९. **श्री तुलशीदास जाधव :**
श्री वि० नु० पाटिल :
श्री जेधे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नागपुर, कोटोल और अन्य स्थानों जैसे स्टेशनों पर ठंडे गोदामों की सुविधाएं न होने के कारण, नागपुर क्षेत्रों में पैदा होने वाले सतरों में से लग भग १५ से २० प्रतिशत संतरे खराब हो जाते हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो इन स्थानों पर ठंडे गोदामों की सुविधाएँ देने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ईंधन संकट

†६००. **श्री तुलशीदास जाधव :**
श्री वि० न० पाटिल :
श्री जेवे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार, १९६८ में भारत के सामने ईंधन संकट उपस्थित होगा;

(ख) यदि हाँ, तो यह संकट टालने के लिए सरकार ने क्या योजनाएँ सोची हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जो केवल जलाने की लकड़ी तथा कोयले के संबंध में हो।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

घोंड-मनमाड मार्ग पर तेज गाड़ियां

†६०१. **श्री तुलशीदास जाधव :**
श्री वि० नु० पाटिल :
श्री जेवे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घोड़–मनमाड़ मार्ग पर तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां चालू करने के संबंध में मध्य रेलवे ने जो निश्चय किया था उसके बारे में क्या हुआ; और

(ख) वह निश्चय कहाँ तक कार्यान्वित किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). घोंड़ और मनमाड़ के बीच तेज गाड़ी चलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

अगरतल्ला में खास भूमि का बन्दोबस्त

†६०२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खास भूमि के कुछ हिस्से का, जो अगरतल्ला शहर के लोगों के कब्जे में है, बन्दोबस्त उन्हीं लोगों के बीच में कर दिया जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो यह बन्दोबस्त संभवतः कब कर दिया जायगा;

(ग) क्या कोई अधिमूल्य लिया जायेगा; और

(घ) यदि हाँ, तो अधिमूल्य की दर क्या होगी ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). अगरतल्ला में अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में जो खास जमीन है उसका बन्दोबस्त त्रिपुरा संबंधी मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित किये गये और स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार सर्वेक्षण और बंन्दोवस्त कार्यों के दौरान किया जायेगा ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) अधिमूल्य पड़ोस में उसी प्रकार की जमीन के बाजार-मूल्य पर लिया जायगा ।

भूमिहीन मजदूर

†६०३. श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में अब तक कितने भूमिहीन मजदूरों को बसाया जा चुका है ;

(ख) अभी तक कितने ऐसे मजदूरों का बसाना बाकी है ; और

(ग) उन्हें जमीनें देकर या और किसी तरह बसाने के लिए कौन कौन सी विभिन्न योजनाएं हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय वनविद्या बोर्ड की बैठक

†६०४. श्री हेम राज :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री वारियर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वनविद्या बोर्ड की कोई बैठक अक्तूबर, १९६२ में हुई थी ; और

(ख) उसमें किन किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गयी, क्या सिफारिशें की गयीं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–५६/६२] ।

वन-नियम

†६०५. **श्री हेम राज : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों के वन-नियमों का समन्वय करने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** विभिन्न राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों के वन-नियमों का समन्वय करने की कोई योजना अभी भारत सरकार के सामने नहीं है । फिर भी भारतीय वन अधिनियम, १९२७ में संशोधन करने के प्रश्न पर १ अक्तूबर, १९६२ को देहरादून में आयोजित केन्द्रीय वनविद्या बोर्ड की पिछली बैठक में चर्चा की गयी थी । बोर्ड ने यह सिफारिश की कि यदि सभी राज्य सरकारें इस मामले की छानबीन करें और हाल की घटनाओं को देखते हुए अधिनियम में परिवर्तन करने के सुझाव दें तो बहुत लाभ होगा । उसकी यह भी सिफारिश है कि इन सुझावों की छानबीन की जाये और वांछित दशाओं में अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार किये जायें । इन आधारों पर इस मामले में कार्यवाही की जा रही है ।

मछली उद्योग का विकास

†६०६. **श्री वारियर :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मछली उद्योग के विकास की कठिनाइयों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए केरल राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गयी जांच पड़ताल की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). केरल सरकार ने ऐसी कोई जांच पड़ताल नहीं की है । फिर भी उसने समय समय पर भारत सरकार का ध्यान उन कठिनाइयों की ओर दिलाया है जो विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उसे समुद्री डीजल इंजन और मीन क्षेत्र विषयक अन्य साधनों का आयात करने में हुई थीं । भारत सरकार ने ये मांगें पूरी करने के लिए यथासंभव प्रयत्न किये हैं लेकिन वर्तमान दशा में केरल या और किसी राज्य की सारी की सारी आवश्यकताएं पूरी करना बिल्कुल संभव नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन

†६०७. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन का १४वां अधिवेशन रोम में इस साल अगस्त-सितम्बर में हुआ था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में कौन कौन सी मुख्य मुख्य सिफारिशें की गयी थीं ; और

(ग) उस चर्चाओं के ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस वर्ष रोम में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन ने असैनिक उड्डयन की अनेक समस्याओं पर विचार-विमर्श किया और अनेक नीजि-विषयक संकल्प स्वीकृत किये जिनसे अगले तीन वर्षों में शिल्पिक, विधि संबंधी, आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में संगठन के काम संचालित होंगे । दूसरी बातों के साथ साथ, महत्वपूर्ण निश्चय सुपरसैनिक हवाई जहाज, शिल्पिक सहायता, प्रादेशिक योजनाओं की कार्यान्विति, विमान यातायात सेवा क्षेत्र, असैनिक तथा सैनिक विमान यातायात का समन्वय, हावई अड्डों और विमान चालन सुविधाओं का हानि लाभ, और प्रशुल्क लागू करने के संबंध में है । सभा ने वर्ष १९६३–६५ के लिए संगठन का बजट स्वीकृत किया और अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के अभिसमय में एक संशोधन भी स्वीकृत किया जिसमें यह व्यवस्था थी कि अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन के साथ ठेके करने वाले वर्तमान दस राज्यों की बजाय कुल राज्यों में से १/५ राज्यों की प्रार्थना पर सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाय । यह संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ६६ राज्यों ने उस पर अनुमोदन न दिया हो । अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन सभा ने तीन वर्ष की अवधि के लिए एक नयी परिषद् का निर्वाचन किया । परिषद् में इस प्रकार चुने गये राज्यों में से भारत एक राज्य है ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन से बैठक की औपचारिक रिपोर्ट आदि प्राप्त होने के बाद इस की छानबीन की जायगी ।

उड़ीसा में चावल का संग्रह

†६०८. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापट जैसे दूरस्थित जिलों में चावल का अतिरिक्त स्टाक उठाने के बारे में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उड़ीसा को इस जोन से बाहर क्षेत्रों में अपना संग्रहीत चावल का स्टाक निर्यात करने का अधिकार नहीं दिया गया तो उड़ीसा सरकार पूर्वी चावल जोन में सम्मिलित होने के लिये अनिच्छुक है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने पश्चिम बंगाल को चावल भेजना बंद करने का निर्णय कर लिया है ; और

(घ) क्या इन मतभेदों को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार के आमंत्रण पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के खाद्य विभाग के प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस १ अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). उड़ीसा में कालाहांडी और कोरापट जैसे दूरस्थित जिलों में चावल का अतिरिक्त स्टाक उठाने के बारे में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकारों के बीच कोई मतभेद नहीं है । उड़ीसा से पश्चिम बंगाल चावल व्यापार स्रोतों द्वारा जाता है तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता है ।

---

†भूल अंग्रेजी में

पूर्वी चावल जोन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को सम्मिलित करते हुए २१ दिसम्बर, १९५९ को स्थापित किया गया था और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ।

उड़ीसा सरकार ने यह बात भारत सरकार को बताई थी कि पश्चिम बंगाल में कच्चे चावल की अपेक्षा उबले चावल को पसंद किया जाता है अत: कालाहांडी और कोरापट जिलों में उत्पादित चावल के निबटान में कुछ कठिनाई हुई थी । भारत सरकार स्वैच्छिक आधार पर यह चावल लेने के लिये सहमत हो गई है ।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि के उपाय

†६०९. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय खाद्य मंत्री और योजना आयोग ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये दो उपाय ढूंढे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन दो उपायों का क्या ब्यौरा है और इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने में किस प्रकार सहायता मिलेगी;

(ग) क्या २९ और ३० अगस्त को आयोजित राज्य कृषि मंत्रियों की मीटिंग में इस कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रियों के निर्णय और प्रतिक्रियाएं क्या है ; और

(ङ) इस मीटिंग में और किन बातों पर चर्चा की गई थी और यह कहां तक सफल हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि उत्पादन को गहन रूप देने के लिये यह निर्णय किया गया था कि लघु सिंचाई और भूमि संरक्षण के अखिल भारत तीसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य में २० प्रतिशत वृद्धि का प्रयत्न किया जाये । अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था करने और लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण कार्यक्रम के लिये राज्यों को अतिरिक्त आवंटन करने का विचार है और यह आवंटन केन्द्रीय वित्तीय सहायता तथा सम्पूर्ण योजना व्यय की अधिकतम राशि से अतिरिक्त है । तदनुसार सब राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से २० अगस्त, १९६२ को प्रार्थना की गई थी कि राज्य की योजनाओं में सम्मिलित लघु सिंचाई और भूमि संरक्षण कार्यक्रमों पर पुनर्विचार कर उनमें तीव्रता लाने की दृष्टि से रूपरेखा पुन: तैयार कर उन अतिरिक्त आवंटनों के लिये निश्चित प्रस्ताव प्रस्तुत करें जिन्हें वे चालू वित्तीय वर्ष, १९६२-६३ के शेष महीनों में प्रयुक्त करने की स्थिति में हों । पश्चाद्-वर्ती वर्षों में प्रत्येक राज्य में अतिरिक्त व्यय और आवंटन १९६३–६४ और उसके बाद की अवधि के लिये वार्षिक योजना की चर्चा के दौरान निर्धारित किये जायेंगे । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित सुझाव दिये गये थे :—

(१) कार्यक्रम को गहन रूप देने के लिये उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जो शीघ्र प्रारम्भ कर पूरी की जा सकें जैसे, बने हुए कुओं को खोदना और गहरा करना, पम्प लगाना तथा तालाबों को पुन: चालू करने की योजनाएं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) इसी प्रकार उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिनके फलस्वरूप सिंचाई की सुविधाओं का तुरन्त उपयोग किया जा सके और सिंचाई वाली फसलों के क्षेत्र में सारभूत वृद्धि हो ।

(३) राज्य सरकारों को भूमि संरक्षण कार्यक्रम में गहन प्रशिक्षण का संगठन और राज्य में समस्या प्रधान क्षेत्रों की गवेषणा और खोज करना चाहिये ।

(४) पंचायतों को अधिकार दिया जाना चाहिये कि वे बांधों की मेंढ़ बांधने और जलमार्गों की उचित मरम्मत करने का कार्य कृषकों से करा सकें ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राज्य कृषि मंत्रियों ने इन उपायों को स्वीकार कर लिया है और लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण योजनाओं को अधिक गतिमत बनाने का वायदा किया है ।

(ङ) उपरोक्त मीटिंग में निम्नलिखित बातों पर भी चर्चा की गई थी :—

(१) खाद्यान्न, कपास, तिलहन और जूट के अच्छे बीजों का कार्यक्रम ।

(२) उर्वरक प्रयुक्त करने के लिये बलवती कार्यक्रम ।

(३) टिड्डियों की स्थिति और टिड्डियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(४) टिड्डियों के विरुद्ध कार्यवाही के अतिरिक्त पौधा संरक्षण उपाय ।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये उपयुक्त कदम उठाने में राज्य कृषि मंत्रियों ने पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया है ।

पंचायती राज

†६१०. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायतों की व्यवस्था के लिये पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संशोधन के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन करने की आशा है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते हैं ।

पर्यटन विकास परिषद्

†६११. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन उद्योग के विकास के लिये उटकमंड में हाल में आयोजित पर्यटन विकास परिषद् की छठी बैठक की सिफारिशें क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रियायें क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २८ और २९ सितम्बर, १९६२ को उटकमंड में आयोजित छठी बैठक में पर्यटन विकास परिषद् ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं :—

(१) पर्यटक सम्बन्धी मामलों के लिये राज्य सरकारों को पूरे समय वाले सीनियर अधिकारी के अन्तर्गत जिसे पर्यटन निदेशक कहा जायेगा, एक पृथक विभाग स्थापित करना चाहिये ।

(२) पर्यटक बंगलों और विश्राम गृहों आदि की समुन्नत व्यवस्था और सुचारू कार्य संचालन के लिये राज्य सरकारों को अपने पर्यटक विभाग के अन्तर्गत एक हाउस कीपिंग अनुभाग स्थापित करना चाहिये जिसमें उपयुक्त कर्मचारी हों ।

(३) राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को ऐसी पूर्ण जानकारी दें जिसमें पर्यटन के सम्बन्ध में दूसरी योजना की सफलतायें तथा तीसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य बताये गये हों ।

(४) चुने हुए पर्यटक केन्द्रों और/अथवा क्षत्रों के एकीकृत विकास की आवश्यकता बताते हुए परिषद ने राज्य सरकारों को केन्द्रीय पर्यटक विभाग द्वारा नियत विशेषज्ञों के कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत मास्टर प्लान उचित रूप से विचार करने के लिये कहा है ।

(५) राज्य सरकारों को उनके अपने संसाधनों से स्थानीय पर्यटक केन्द्रों में उचित नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये ।

(६) राज्य सरकारों को पर्वतीय केन्द्रों में पर्यटक यातायात का संवर्द्धन करने की समस्या पर विचार करना चाहिये । इस दिशा में मध्य आय वर्ग के पर्यटकों के ठहरने के लिये सस्ते स्थान का विस्तार करने की अधिक आवश्यकता है । इस विषय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं :—

१. स्कूलों और कालिजों आदि में बारी बारी से छुट्टियां ।
२. प्रत्येक पर्वतीय केन्द्र में एक केन्द्रीय आवास एजेन्सी स्थापित करना ।
३. कम समय के लिये किराये पर स्थान देने की सुविधाओं का उपबन्ध ।

(७) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित कर देना चाहिये कि शिकार के स्थान (शूटिंग ब्लाक) अमान्यता प्राप्त शिकार आउटफिटरों के लिये रक्षित न किये जायें— जब वे विदेशी पर्यटकों की ओर से कार्य कर रहे हों और मान्यताप्राप्त शिकार आउटफिटरों पर उचित नियंत्रण रखा जाये ।

(८) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रचार कार्यक्रम में निकट समन्वय होना चाहिये ।

(९) आकाशवाणी की वैदेशिक सेवा के माध्यम से पर्यटक प्रचार को अधिक व्यापक रूप दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१०) मध्यम आकार वाली कारों को पर्यटक टैक्सियों के रूप में लाइसेंस देने के सम्बन्ध में परिषद द्वारा पहले की गई सिफारिश को उन राज्यों में भी लागू किया जाये जहां अभी तक ऐसा नहीं किया गया है ।

(११) विदेशी पर्यटकों को अखिल भारत मदिरा परमिट जारी करने की योजना लागू करने के लिये नियमों में शीघ्र आवश्यक परिवर्तन जिन राज्यों ने अभी तक नहीं किये हैं, वहां किये जायें ।

(१२) राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य पर्यटक विकास बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्यों को नामजद करना चाहिये ।

(१३) राज्य सरकारों को अपने राज्यों में अधिक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों में पर्यटक विकास समितियां स्थापित कर इन समितियों की कार्यवाही में पर्यटन व्यवसाय तथा अन्य प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्तियों को सम्बद्ध करना चाहिये ।

(ख) सरकार की दृष्टि में पर्यटक विकास परिषद की सिफारिशें देश में पर्यटक यातायात के संवर्द्धन के लिये महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय हैं ।

पर्यटक विकास परिषद सरकार द्वारा बनाई गई थी । अतः इसकी सिफारिशें सरकार स्वीकार करेगी । प्रत्येक राज्य में उक्त सिफारिशें क्रियान्वित करने की दिशा में हुई प्रगति का ध्यान रखने के लिये पर्यटक विभाग का एक पदाधिकारी उत्तरदायी है ।

पर्यटकों से आय

†६१२. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अभी तक पर्यटकों से कितनी आय हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया हर वर्ष पर्यटन से होने वाली आय का पत्री वर्ष के लिये हिसाब रखता है । १९६१ के लिये रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने १८·४९ करोड़ रुपये अस्थायी आय आंकी है । तीसरी योजना अवधि की शेष अवधि की आय का लेखा प्रत्येक पत्री वर्ष के अन्त में लगाया जायेगा और भविष्य की आय के बारे में अभी पूर्वघोषणा करना समय के पूर्व है ।

विस्तार निदेशालय

†६१३. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत विस्तार निदेशालय कब स्थापित किया गया था ;

(ख) उसके क्या क्या कार्य हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसके पृथक निदेशालय के रूप में स्थापित किये जाने के पहले इन कार्यों को कौन कर रहा था ; और

(घ) पृथक निदेशालय के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[दखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७]** ।

जोत भूमि पर कब्जा

†६१४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में बेलोनिया सब-डिवीजन के कलमचूड़ा स्थान पर त्रिपुरा प्रशासन के तहसील विभाग और वन बी० ओ० पी० ने कुछ जोत भूमि पर कब्जा कर लिया है ;

(ख) क्या जोतकारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ;

(ग) कितने वर्षों से उन विभागों ने बिना औपचारिक रूप से अर्जन किये इस जोत भूमि पर कब्जा कर रखा है ; और

(घ) इस अनधिकृत कब्जे का क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां, बेलोनिया सब-डिवीजन नहीं बल्कि सोनानुड़ा सब-डिवीजन के मौजा कलमचेड़ा में ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लगभग १० वर्ष से ।

(घ) रक्षित वन के भीतर यह टिल्ला भूमि होने के कारण फारेस्ट बीट आफिस के लिये इसे चना गया था । ३० अप्रैल, १९६२ तक किसी ने इस भूमि पर अपना हक नहीं बताया । ३० अप्रैल, १९६२ को एक व्यक्ति का दावा मिलने पर विभाग ने इसे अर्जित करने की कार्यवाही आरम्भ की । अर्जन की कार्यवाही पूरी हो जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को आवश्यक प्रतिकर दे दिया जायगा ।

मुकेरियां-तलवाड़ा रेलवे लाइन

†६१५. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री २५ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सर्वेक्षण को पूरा करने और पांग बांध के लिय मुकेरिया को तलवाड़ा से मिलाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : सर्वेक्षणकार्य पूरा हो चुका है । परियोजन की अनुमित लागत की सरकार द्वारा मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है । यह मंजूरी मिले विना लाइन का निर्माण आरम्भ नहीं किया जा सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक लकड़ी की जरूरत

†६१६. { श्री यशपाल सिंह :
श्री य० ना० सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९७५ तक देश में औद्योगिक लकड़ी की मांग कितनी होगी ;

(ख) १९७५ तक अनुमान से इसका उत्पादन कितना होगा ; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये यदि कोई योजनायें हैं तो वे क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). १९६० में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ के कथनानुसार भारत में १९७५ तक ९५ लाख टन औद्योगिक लकड़ी की जरूरत होगी जब कि उत्पादन ५२ लाख टन होगा।

(ग) जहां तक संभव होगा राष्ट्रीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत वृक्ष लगाने के विस्तृत योजनाओं द्वारा इसकी कमी को पूरा किया जायेगा। आशा है कि तृतीय योजना काल म लगभग ७ लाख एकड़ भूमि पर राज्य वनरोहण के सामान्य कार्यक्रम के अधीन लाभप्रद बागान लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त १५ वर्षों की अवधि के लिये तेजी से बढ़ने वाली किस्मों के पेड़ों के बागान लगाने का एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्र द्वारा चलाये गये उपायों से १३७,५०० एकड़ भूमि पर बागान लगाये जायेंगे।

परासिया से नागपुर की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

†६१७. **श्री प्र० के० देव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परासिया से नागपुर तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इसे बदलने का काम कब आरम्भ होगा और कब तक पूरा होगा ; और

(ग) इस परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

डाक टिकट

†६१८. **श्री प्र० के० देव :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में टिकटों को चाट कर चिपकाया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि फ्रांस में चिपकाये जाने वाले टिकट विशेषकर १०० फैंक मूल्य के टिकट पीपरमेंट, लेमन, वेनीला के स्वाद से युक्त होते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या भारतीय टिकटों के लिये भी ऐसे प्रयोग करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां, कुछ लोग ऐसा करते हैं परन्तु प्रायः डैम्पर अथवा स्पंज का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) पत्रों में समाचार छपे हैं कि फ्रांस में डाक टिकटों में सुगन्धित गोंद का प्रयोग किया जाता है ।

(ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और यथासमय इस मामले का परीक्षण किया जायेगा ।

सवारी गाड़ियों में सशस्त्र रक्षक

†६१९. **श्री प्र० के० देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और झांसी के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों में सशस्त्र रक्षक नियुक्त कये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री** (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मालगाड़ी द्वारा व्यापार

६२०. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि व्यापारी माल गाड़ी के जरिये गलत और जाली नामों से व्यापार करते हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को कुछ विशेष स्टेशनों के बारे में सूचित किया जा चुका है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) रिपोर्ट मिली है कि कभी-कभी टैक्स से बचने के लिये व्यापारी कुछ स्टेशनों पर माल गाड़ी द्वारा अपना माल फर्जी या गलत नाम से बुक कराते हैं ।

(ग) आयकर विभाग द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ।

कामरहटी में डाक घर

†६२१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामरहटी, २४ परगना में डाक घर के निर्माण के लिये किसी केन्द्रीय स्थान पर भूमि प्राप्त करने में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) भूमि की खरीद के लिये भुगतान कर दिया गया है ।

(ख) क्योंकि भूमि की मिलकियत के बारे में कुछ झगड़ा है अतः यह बताना सम्भव नहीं कि कब्जा कब मिलेगा ।

कामरहटी में सार्वजनिक टेलिफोन

†६२२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कामरहटी, २४ परगना में कोई सार्वजनिक टेलिफोन नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या एक टेलिफोन लगाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** (क) कामरहटी डाक घर में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बेलघारिया और सोदपुर स्टेशनों पर ऊपरी पुल

†६२३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री ८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में अपना अन्तिम निर्णय बता दिया है कि वे किस वर्ष पश्चिम बंगाल की तीसरी योजना में बेलघरिया, सोदपुर और बैरकपुर लेवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल बनाने की योजना शामिल करेंगे ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं क बारे में योजना बनाने में शीघ्रता करने के लिये कोई कदम उठाया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) पूर्व रेलवे प्रशासन ने ८-६-६२ को और फिर १५-९-६२ को अपने निर्णय को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार से कहा है परन्तु राज्य सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

मत्स्य पालन

†६२४. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तालाबों और जलाशयों में, नदियों और छोटी नदियों में, अन्तर्देशीय झीलों और तटवर्ती और गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने में मत्स्य पालन का कहां तक विकास हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सामान्य व्यक्ति को किस हद तक मछली दी गयी है ताकि उसके पोषक आहार की कमी को पूरा किया जा सके ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अन्तर्देशीय जल क्षेत्र के ५ लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में मत्स्य पालन किया गया। देश में मछली के कुल उत्पादन में लगभग ४ लाख मीटरिक टन अथवा लगभग ४० करोड़ किलो की वृद्धि हुई।

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि सारे भारत में मछली की प्रति व्यक्ति खपत लगभग १ किलो से बढ़ गई है।

गाजीपुर में डाकघर की इमारत

६२५. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३० मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजीपुर में डाकघर की इमारत के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). प्रारम्भिक नक्शे स्वीकार किये जा चुके हैं और प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पूरा होने पर इमारत बनाने का काम शुरू होगा।

राज्य सड़क परिवहन निकायों के लिये केन्द्रीय एकक

†६२६. **श्री राम रतन गुप्त :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दाजी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सड़क परिवहन निकायों के लिये केन्द्रीय एकक बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जुलाई, १९६१ में श्रीनगर में हुए राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रतिनिधियों के नवें सम्मेलन में उनको अपेक्षित स्टोर के संभरण की व्यवस्था करने और सामान्यतः उनकी कार्यवाहियों का समन्वय करने के लिये एक केन्द्रीय एकक स्थापित करने का फैसला किया गया है। प्रस्तावित एकक के गठन का ब्योरा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में पुल

†६२७. श्री तुलशीदास जाधव :
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :
श्री जेधे :
श्री रावनदल :
श्री किशन वीर :
श्री वि० तु० पाटिल :
श्री जु० शं० पाटिल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पचवर्षीय योजना-काल में महाराष्ट्र में रेलवे क्रासिंगों पर पुल बनाने के प्रस्ताव का क्या व्योरा है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : संलग्न अनुसूची में व्योरा दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८] ।

तटवर्ती व्यापार के लिये जहाजों का क्रय

†६२८. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी पक्ष को तटवर्ती व्यापार के लिये चलाने के लिये 'लिबर्टी' और अन्य पुराने जहाज खरीदने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन जहाजों की क्या लागत है और यह अनुमति किन पक्षों को दी गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित व्योरा निम्न प्रकार है :

कम्पनी का नाम	जहाजों की संख्या	लागत (लाख रुपये)
१. मेसर्ज कलकत्ता स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	१ जहाज	२२.४०
२. मेसर्ज आर० सेन एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	१ जहाज	७.८७
३. मेसर्ज जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली	७ जहाज*	१३५.३३
४. मेसर्ज राज कुमार लाइन्स लिमिटेड, कलकत्ता	१ जहाज	१५.५०
५. मेसर्ज सुरेन्द्र (ओवरसीज) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	४ जहाज	७५.०० (लगभग)

*लिबर्टी जहाज

†मूल अंग्रेजी में

चीनी कारखानों को उत्पादन प्रोत्साहन

†६२९. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में चीनी कारखानों को सरकार ने क्या उत्पादन प्रोत्साहन दिया ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक चीनी-कारखाने को निर्यात हानि और पुनर्वास भत्ता के रूप में गन्ना कर में छूट और आर्थिक सहायता कितनी दी गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) वर्ष १९५९–६ में केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित उत्पादन प्रोत्साहन दिये गये :—

(१) ४ नवम्बर, १९५९ तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में और १० नवम्बर, १९५९ तक पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में आरम्भ होने वाले कारखानों को आरम्भ होने की तिथि से १५ नवम्बर, १९५९ तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में और २१ नवम्बर, १९५९ तक पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम और उत्तर बिहार में पेरे जाने वाले सभी गन्ने पर ३१ नये पैसे प्रति मन की रियायत ।

(२) वर्ष १९५९–६० में कारखानों में वर्ष १९५७–५८ और १९५८-५९ में औसत उत्पादन से अधिक चीनी के उत्पादन पर मूल उत्पादन-शुल्क (जो ११.२५ रुपये प्रति हंडर्डवेट है) में ५० प्रतिशत की छूट ।

वर्ष १९६०–६१ में पहले दो वर्षों १९५८–५९ और १९५९–६० में औसत उत्पादन से अधिक चीनी के उत्पादन पर मूल उत्पादन-शुल्क में ५० प्रतिशत की छूट की अनुमति दी गयी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने किसी कारखाने को पुनर्वास भत्ता के रूप में कोई आर्थिक सहायता नहीं दी । चीनी के निर्यात पर केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९६०–६१ में (३१ अक्तूबर, १९६१ तक) संसद् द्वारा अगस्त, सितम्बर, १९६१ के मौसम में मंजूर किये गये ५.५ करोड़ रुपये के अनुदान में से २.१५ करोड़ रुपये की राजसहायता दी ।

गन्ने पर उप-कर में छूट राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कारखाने को चीनी (निर्यात संवद्धन) अधिनियम के अन्तर्गत निर्यात के लिये मात्रा पर दी जाती है । आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मद्रास, मैसूर और पंजाब की सरकारों ने वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ के मौसम में अभ्यंश पर छूट दी दे है । अन्य राज्यों में मामला विचाराधीन है ।

पटसन का उत्पादन

†६३०. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में, राज्य-वार, कितने क्षेत्र में पटसन की खेती होती थी और प्रति एकड़ कितना उत्पादन हुआ और पटसन का प्रतिमन मूल्य क्या है ; और

(ख) इस वर्ष प्राक्कलित एकड़-योग, प्रति-एकड़ उत्पादन और प्रति-मन मूल्य क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) दो विवरण संलग्न हैं जिनमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ५६०/६२] ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९६२–६३ में पटसन के क्षेत्र और उपादन के अन्तिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि अखिल भारत प्रथम पटसन प्राक्कलन, १९६२–६३ संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ५६०/६२]**। कुछ चुने हुये केन्द्रों में वर्ष १९६२–६३ में पटसन के मूल्य बताने वाला विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ५६०/६२] ।

सहकारी कृषि समितियां

†६३१. **श्री बाल्मीकि** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६२ के तीसरे सप्ताह तक देश में सहकारी कृषि समितियों की क्या संख्या है ; और

(ख) एक राज्य में अधिकतम संख्या कितनी है और वह किस राज्य में हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार १५ नवम्बर, १९६२ तक २४५६ सहकारी कृषि समितियां थीं ।

(ख) पंजाब राज्य, जहां ५०९ सहकारी कृषि समितियां हैं ।

सेवा सहकारी समितियां

†६३२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६२ के अन्तिम सप्ताह तक देश में सेवा सहकारी समितियों की क्या संख्या है ;

(ख) किस राज्य में अधिकतम संख्या है ; और

(ग) ग्राम्य क्षेत्रों में इस आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ३० जून, १९६२ को समाप्त होने वाले सहकारिता वर्ष के अन्त तक लगभग ३६,०३० नयी सेवा सहकारी समितियां बनायी गयीं और लगभग ७०,४५० वर्तमान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को सेवा सहकारी समितियों में पुनर्गठित और पुनर्जीवित/परिवर्तित कर के लिये कार्यवाही की गयी। बाद की अवधि के लिये आंकड़े इकट्ठे नहीं किये गये हैं ।

(ख) उत्तर प्रदेश ।

(ग) (१) राज्य सरकारें आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये पर्याप्त प्रचार कर रही हैं। गोष्ठियां और सम्मेलन किये जाते हैं । साहित्य और पुस्तिकायें भी परिचालित की जा रही हैं । कई परिगामी प्रशिक्षण दल सहकारिता के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं और इसके लाभ के बारे में ग्राम्य जनता को शिक्षित कर रहे हैं ।

(२) सरकार भी सेवा सहकारी समितियों को निम्नलिखित सहायता दे रही है :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) ३ से ५ वर्ष तक की अवधि के लिये प्रबन्ध व्यय के लिये प्रबन्ध सहायता जो ९०० रुपये से अधिक नहीं होगी ।

(ख) कुछ चुनी हुई समितियों के पूंजी अंश में प्रत्येक में ५,००० रुपये तक और कुछ में १०,००० रुपये तक सरकार द्वारा भाग लेना ।

(ग) समाज के निर्धन वर्ग को ऋण के जोखिम को पूरा करने के लिये प्रत्येक समिति के कोष में कुछ सीधे अंशदान ।

(३) राज्य सरकारें भी कदम उठा रही हैं ताकि सेवा सहकारी समितियां विभिन्न प्रोत्साहन देकर जैसे बीज, उर्वरक, अन्य कृषि आवश्यकताओं और आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिये इस्तेमाल किये जा सकें, अपने सेवा कार्यों को बढ़ा सकें । प्रत्येक राज्य सरकार स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये एक कार्यक्रम बना रही है ।

पंचायतों के मंत्री

६३३. श्री भक्त दर्शन : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय शासकीय सेवाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के पंचायत मंत्रियों के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में किये गये उपबन्धों के अनुसार राज्य में पंचायत मंत्रियों को जिला परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है । पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति जिला परिषद् करती है और पदोन्नति, पदच्युति तथा हटाना भी पंचायत समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में है । छुट्टी, स्थानांतरण और दूसरे अनुशासनिक विषयों का नियंत्रण क्षेत्र समिति के हाथ में है ।

दिल्ली में सड़क के पुल

६३४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २८ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में सड़क के तीन पुलों के निर्माण में प्रत्येक में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण संलग्न है ।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६९] ।

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार

†६३५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या और स्वरूप क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को दोष-सिद्ध किया गया ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) वर्ष १९६१ में निम्न प्रकार के १३० मामले पकड़े गये :

(१) आय के संसाधनों के अननुपात में धन जमा करना ।

(२) अवैध रूप से उपहार मंजूर करना ।

(३) धोखा देना ।

(४) सरकारी धन का गबन ।

(५) रिकार्ड को झूठे रखना ।

(६) पास और पी०टी०ओ० का दुरुपयोग ।

(७) रेलवे सामान और श्रम का दुरुपयोग ।

(८) नमूने से कम के सामान और कार्य को मंजूर करना ।

(९) ठेकेदारों को अधिक भुगतान ।

(ख) तृतीय श्रेणी के ४ कर्मचारी ।

पहिये निकले हुए रेलवे माल-डिब्बे

†६३६. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालमना रेलवे स्टेशन पर (नागपूर के समीप) कई रेलवे माल डिब्बे ऐसे पड़े हैं जिनके पहिये अलग किये हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) ये छोटी लाइन के रेलवे माल-डिब्बे हैं जो निर्माताओं द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार सेन्टर बफर कपलर्स के बगैर दिये गये थे । पृथक रूप से आर्डर दिये गये सैंटर बफर कपलर माल-डिब्बों के संभरण से मेल नहीं का खा पाये और इसलिये माल डिब्बे खड़े रखने पड़े । इस बीच सेन्टर बफर कपलरों का संभरण आरम्भ हो गया है और यह आशा की जाती है कि ये माल-डिब्ब शीघ्र ही काम में लाये जायेंगे ।

तृतीय योजना में उड़ीसा में रेलवे लाइनें

†६३७. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कुल कितने मील लाइन दुहरी की गयी है अथवा दुहरी की जावेगी ;

(ख) क्या उड़ीसा की सरकार ने लाइन को दुहरा करने के एक नये प्रस्ताव का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) लाइनों को दुहरा करने की जानकारी राज्य-वार इकट्ठी नहीं की जाती है बल्कि रेलवे-वार इकट्ठी की जाती है । तथापि,

†मूल अंग्रेजी में

मोटे तौर पर पता चलता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दुहरा की जाने वाली सारी लाइनों में से लगभग ३०० मील लाइन उड़ीसा राज्य में होगी ।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने जाजपुर क्योंझर रोड और खुर्दा रोड़ के बीच लाइन को दुहरा करने का सुझाव दिया है । इसमें से नरगुंडी और खुर्दा रोड के बीच दुहरा करने का काम प्रगति पर है । जाजपुर-क्योंझर रोड और नरगुंडी के बीच सेक्शन पर लाइन को दुहरा करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

मध्य प्रदेश में यंत्रीकृत फार्म

†६३८. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थापित किये जा चुके फार्म के रूप में एक बड़े पैमाने का यंत्रीकृत फाम स्थापित करने के लिये एक अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : जी, नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†६३९. **श्री बूटा सिंह** :
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में डाक तथा तार ने केन्द्रीय लोक कर्म विभाग से लगभग ९०० क्वार्टर लिये है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में जरूरतमन्द डाक तथा तार कर्मचारियों को ये क्वार्टर कब दिये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के संभरण के लिये अभिकरण

†६४०. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और समीपवर्ती क्षेत्रों में खाद्यान्न, चीनी, नमक, दालें और खाये जाने वाले तेल जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं का निरन्तर संभरण सुनिश्चित करने के लिये एक केन्द्रीय अभिकरण स्थापित करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित अभिकरण का गठन और ठीक कृत्य क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). एक विशेष अभिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु आसाम और समीपवर्ती क्षत्रों में नियमित और पर्याप्त मात्रा में अत्यावश्यक वस्तुओं के संभरण को सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था की गयी है ।

पर्यटक परामर्शदात्री समिति

†६४१. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक परामर्शदात्री समिति द्वारा जनवरी, १९६२ में की गयी ज़ोनल समितियों की प्रथम बैठकों में क्या मुख्य सिफारिशें की गयीं;

(ख) उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या आसाम राज्य में पर्यटन के विकास के लिये कोई बड़ी सिफारिश है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ५६१/६२]** ।

(ग) कलकत्ता और आसाम में पर्यटक महत्व के स्थानों के बीच नदी यातायात खोलने की संभावनाओं को ढूंढने के प्रस्ताव की जांच की गयी है और इसको अकार्यान्वित पाया गया है ।

नेफा और लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य, प्रतिरक्षा तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, हमारे मोर्चे, जहां पर लड़ाई हो रही है, की स्थिति के बारे में कल मैं कुछ सूचना दे चुका हूं । कल के मेरे स्थिति बताने के बाद से शाम को हमें सूचना मिली कि बोमडिला भी हमारे हाथ से निकल गया है । बोमडीला १८ नवम्बर की शाम को दुश्मन के हाथ में चला गया था परन्तु क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं थी इसलिए यह समाचार हमें कल शाम से पहले न मिल सके थे । अब चीनी बोमडीला फूट हिल्स रोड पर आगे बढ़ रहे हैं । उनके सामने प्रतिरक्षा मोर्चे बना लिये गये हैं और हमारी सेनायें उन से लड़ेंगी ।

चुशूल के पूर्व में छः मील पर हमारी चौकी पर चीनियों ने भारी तादाद में कल दोपहर बाद पांचवीं बार हमला किया था । डेढ़ घंटे से अधिक समय तक घमासान की लड़ाई होती रही और चीनी हमलावरों को भारी नुकसान हुआ । परन्तु अन्त में चौकी को छोड़ना पड़ा । इस चौकी के नजदीक की दो चौकियों पर भी हमला किया गया और हम को वापस हटना पड़ा । परन्तु चुशूल अब तक हमारे हाथ में है ।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं हमारे सेनाध्यक्ष जनरल पी० एन० थापर ने आज प्रातःकाल स्वास्थ्य खराब होने के कारण लम्बी छुट्टी मांगी है । उनको छुट्टी दे दी गई है और उनकी सिफारिश पर सीनियर आर्मी कमान्डर, लैफ्टिनेंट जनरल जे० एन० चौधरी को सेनाध्यक्ष के पद पर काम करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारी हार होती जा रही है और सभा को अभी यह मालूम नहीं है कि सरकार की योजना क्या है। अब सरकार को दुश्मन का लड़ने का तरीका कुछ मालूम हो गया है तो क्या हमारे प्रधान मंत्री विदेशी मित्र देशों से सहायता मांगेंगे। ऐसा भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि हमारे कार्यवाहक दूत चीन में चीनी प्रधान मंत्री से मिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वह किस लिये मिले थे। अन्त में मेरा एक सुझाव है कि अविलम्ब सभी दलों की एक संसदीय समिति बनानी चाहिए जिसको प्रधान मंत्री दिन प्रति दिन स्थिति बताते रहें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे बताया गया है कि प्रधान मंत्री ने कांग्रेस तथा विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को आज दोपहर बाद मिलने के लिए बुलाया है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : अब तक निमंत्रण नहीं मिले हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक माननीय सदस्य ने बताया है कि उनको निमंत्रण मिला है। इसलिए निमंत्रण भेजे गये हैं। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इन सभी बातों को वह वहां पर स्पष्ट करें। मुझे यह भी बताया गया है कि प्रधान मंत्री वहां पर अधिक विस्तार से स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे।

संसदीय समिति के बारे में मैं कल ही सुझाव दे चुका हूं। परन्तु इस बात पर यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है। मैं कुछ माननीय सदस्यों को इस बारे में बातचीत के लिए बुलाने का विचार कर रहा हूं।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : आपके सुझाव के साथ साथ मेरा भी एक सुझाव है कि कांग्रेस तथा विरोधी दलों के नेताओं को जब सम्भव हो तब युद्धस्थल के निकट जाने की अनुमति दी जाये जिससे उनको यह मालूम हो सके कि क्या तैयारी की गई है और हमारे सैनिकों को क्या कठिनाइयां हो रही हैं।

प्रधान मंत्री ने कुछ समय पहले यह बताया था कि हमारे सैनिकों के पास पूरे हथियार न होने पर भी हम दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। बाद में विदेशी हथियार भी मिल गये। तब उन्होंने कहा कि हम उनको निकाल फेंकेंगे परन्तु फिर भी वह आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है ?

†**श्री त्यागी** : क्या सामरिक स्थिति और हमारे सैनिकों के बारे में नियमित रूप से समाचार आ रहे हैं ? सभी यह जानने के लिए इच्छुक हैं कि बोमडीला में दुश्मन के आने के बारे में सावधानी क्यों नहीं रखी गई थी। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अब भी चीन से राजनयिक सम्बन्ध बनाये रखने का है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह यह सभी प्रश्न उसी बैठक में पूछें जो प्रधान मंत्री ने आज बुलाई है।

†**श्री रंगा** : मेरा एक निवेदन है। कुछ समय पहले हम ने गुप्त अधिवेशन की मांग की थी। परन्तु आपने उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया था। अब आप के विचारों से ऐसा मालूम होता है कि आप आज एक लघु सभा बुलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : हम प्रधान मंत्री से आज दोपहर बाद मिल रहे है। मैं आप से पूर्णतः सहमत हूं कि सामरिक महत्व की बातों को सभा में नहीं बताया जाना चाहिए। परन्तु कुछ बातें ऐसी होती है जिनका प्रत्यक्षतः युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। मेरा अनुरोध है कि उनके बारे में हमें प्रश्न पूछने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उदाहरणस्वरूप हम जानना चाहते हैं कि दुश्मन की सेनायें कहां पर स्थित है। उन्होंने बोमडीला ले लिया है। क्या वह तेजपुर की ओर बढ़ रही हैं ? क्या तेजपुर की असैनिक जनता को वहां से हटाया जा रहा है ?

बालोंग की ओर से वह कहां तक बढ़ी हैं, हम सब यही जानना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल यह चाहता था कि माननीय सदस्य पहले प्रधान मंत्री से मिलकर चर्चा कर लें। यदि फिर भी कोई बात रह जाती है तो मैं उसके बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं समझता हूं कि आप स्वीकार करेंगे कि आज की यह समिति सभा का स्थान नहीं लेगी। क्या माननीय प्रधान मंत्री सभा को यह नहीं बता सकते हैं कि हमारे कार्यवाहक दूत चीनी प्रधान मंत्री से क्यों मिले थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह चीनी विदेश कार्यालय को भारत सरकार का एक पत्र देने गये थे।

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : आज की संकटकालीन स्थिति के कारण प्रधान मंत्री को आवश्यकतानुसार वक्तव्य देने चाहिएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संसदीय प्रक्रिया के अनुसार प्रधान मंत्री को सामरिक महत्व के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें जिससे इस संकटकाल में सामरिक महत्व के प्रश्नों का उत्तर न दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारी प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। मैं कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता हूं। जिस प्रकार की स्थिति होगी उस प्रकार का निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, आज देश में जो हालात पैदा हुए हैं, उनमें हर आदमी और इस सदन का हर सदस्य अपनी जिम्मेवारी को महसूस करते हुए अपने फरायज़ को निभा रहा है। मैं यह क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि कुछ न कुछ जो हम सवाल करते हैं इस सदन में, उनको पूछने की आया हमारी भी कोई जिम्मेवारी है या नहीं है और क्या उन सवालों का जवाब इस सदन में लेना गलत है ? हमारा यहां पर इनफार्मेशन लेना अगर गलत है तो फिर हम देश के प्रति वफादार नहीं है और देश की भावनाओं के बिल्कुल विपरित हम जाते हैं। इस सदन में प्राइम मिनिस्टर की या किसी एक दूसरे आदमी की ही जिम्मेवारी नहीं है बल्कि हर हिन्दुस्तानी की जिम्मेवारी है और जहां तक मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैं अपनी जिम्मेवारी को सब से ज्यादा समझता हूं। मैं समझता हूं कि अब भी देश के अन्दर सही बात जनता तक नहीं पहुंच रही है। देश को क्या आप फौज से ही बचाओगे या वहां पर जो आबादी वगैरह आप छोड़ आए हैं, उसके जरिये गुरीला फाइट भी करेंगे या क्या तरकीब होगी। पांच आदमी कहीं पर बैठ कर क्या कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैं एक सवाल का प्राइम मिनिस्टर साहब से जवाब चाहता हूं। जो आबादियां रह जाती हैं पीछे, उसको क्या हिदायतें रहती हैं, वे क्या गुराला फाइट करेंगी? जो आपका राशन वगैरह रह जाता है, उसके बारे में क्या आपने उन लोगों को हिदायत वगैरह कर रखी है, सरकारी अफसरों या जिम्मेवार अफसरों को हिदायत वगैरह कर रखी है कि उसको वे आग लगा दें? कल को तेल के कुओं का भी सवाल पैदा होगा और उनको बरबाद करना भी पड़ सकता है। क्या गुरीला पलटन के लिए भी कुछ आदमी आपके रहेंगे और क्या कुछ को इस तरह की हिदायत भी है या नहीं है?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : कल रात रेडियो से भाषण देते हुए देश को प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि परिस्थिति बहुत गम्भीर है और हम उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयारी पर हैं। लेकिन पिछले तीन चार दिनों में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उससे इस सदन के सदस्यों की आकृतियां देख कर ही आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे और इसी आधार पर देश की भावनाओं का भी आपको अनुमान लग जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज आप इस सदन के द्वारा देश को यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि बोमडीला के पतन के बाद, सेला की पहाड़ियां चीनियों के हाथों में चले जाने के पश्चात् और चुशूल की हवाई पटरी पर उनका आक्रमण होने के पश्चात्, क्या आप असम में तेजपुर की स्थिति को तथा लद्दाख में लेह की स्थिति को सुरक्षित समझते हैं? साथ ही क्या आपके पास ऐसी भी कोई सूचना आई है या सुझाव आए हैं कि असम में इस भयंकर संकट में कोई आंतरिक उपद्रव उत्पन्न न हों, इसलिए असम की जो प्रबन्ध व्यवस्था है, वह केन्द्रीय सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिये और तब तक अपने हाथ में रखनी चाहिये जब तक कि आपात स्थिति चलती है, यदि हां तो इस सम्बन्ध में आपने क्या निर्णय किया है?

अध्यक्ष महोदय : मेरी मुश्किल यही है कि उत्तर देने का काम पंडित जी का है, मेरा नहीं है और मुझे अफसोस है कि मुझे दखल देना पड़ता है। मैं खुद अपने आपको रोके रखता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैम्बर साहिबान को एतराज़ होगा। मगर सवाल यह है कि क्या यह चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछी जाए जो बागड़ी साहब ने पुछी है कि क्या क्या प्रोग्राम है, राशन का क्या किया जाएगा, वहां जो खुराक रही है, उसका क्या किया जाएगा? क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि यह प्रोग्राम इस वक्त हमें बतला . .

कुछ माननीय सदस्य : नो, नो।

अध्यक्ष महोदय : मैं मैम्बर साहिबान से दरख्वास्त करता हूं कि वे अपने आप पर कुछ रेस्ट्रेंट रखें और जैसा बागड़ी साहब ने कहा कि हमारी भी जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी का खयाल रखें। इसलिए मुझे बार बार दोहराना पड़ता है मगर मैं गलत समझा जाता हूं। मगर मैं रह नहीं सकता हूं। नको आप छोड़िये। बार में हमेशा होता है कि अपोजीशन वाले या दूसरे भी मैम्बर साहिबान जब प्राइम मिनिस्टर से या एक्सटर्नल एफेयर्ज़ मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं तो उनको इतनी आज़ा और लिबर्टी रहती है कि उस में से जो वह समझते हों कि जवाब देना देश के इंटिरेस्ट में नहीं होगा, उसका जवाब न दें और जिसका देना चाहें दें। उतने का ही वे जवाब दे सकते हैं जितने का वह समझते हैं कि जवाब देना देश के इंटिरेस्ट में है। अब भी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से यही कहूंगा कि जो सवाल हैं, इनमें से जिन का जवाब आसानी से दिया जा सकता हो **विदाउट डेटरीमेंट टू दी इंटिरेस्ट आफ दी कंट्री**, उनका दे दें, बाकी का जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूं कि जहां तक मुमकिन हो, मैं सदन के सामने, लोक-सभा के सामने, जो वाकयात हों उन्हें रखता जाऊं, और यह भी कि जो हमारे या हमारे फौजी अफसरों के इरादे हों वह भी मैं खुशी से रक्खूं । लेकिन आप समझ सकते हैं कि यह किया नहीं जाता है कहीं, न मुनासिब है, और खतरे से भरा है, कि हम बतायें कि हम क्या करने वाले हैं । हमारे सामने एक अहम, हौलनाक और खतरनाक मौका है, लड़ाई की बात है । और इस लड़ाई के मामले में, फौजी लड़ाई वगैरह के, मैं खुद अपने को बहुत लायक नहीं समझता ।

श्री बागड़ी : यह बात नहीं है, आप बहुत लायक हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आखीर में जो लोग जिम्मेदार हैं लड़ाई लड़ने के यानी हमारे आर्मी हैडक्वार्टर्स वगैरह के जो लोग हैं, जो हमारे जनरल्स वगैरह हैं, वे नक्शा बनाते हैं और फैसला करते हैं । कुछ हम को भी बतला देते हैं । कुछ यह उन के लिये भी मुश्किल होता है क्योंकि वक्त पर तय करना पड़ता है मैदाने जंग में, पहले से नक्शा नहीं बनाया जाता, हां **आइडली** बना लिया जाय यह दूसरी बात है । यह हो रहा है । कई बातें हुई हैं । जो हम ने नक्शे बनाये, हम देखते हैं, वह पूरे नहीं हुए । हमें धक्का लगा, सबों को धक्का लगा । लेकिन यह कोई मेरे आश्वासन देने की बात नहीं है कि यह होगा या नहीं होगा, न मेरे न किसी के भी । कोई जनरल हो या कोई दूसरा, वह पूरी कोशिश करे और पूरा इन्तजाम करे, जितनी उस की ताकत हो । हम ने उन से बता दिया है जो वह दो या तीन बातें मैं आपको बतला सकता हूं । एक तो यह कि हम ने उनसे बिल्कुल सफाई से बतला दिया है कि इस मामले में जो शरारत वगैरह पेश होती रहती हैं, चीनियों की तरफ से होती हैं, उन के मामले में हम समझौता नहीं करेंगे । दूसरे यह कि जहां तक हमारी इमकान है, जहां तक हम मदद कर सकते हैं, वह तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जहां तक हम मदद मांग सकते हैं, अपने मित्र देशों से, वह हम मांग रहे हैं, हर किस्म की । बाकी नक्शे वह बनाते हैं । लेकिन नक्शों को भी बदलना पड़ता है वाकयात के बदलने से । क्या हम करें और क्या न करें, जाहिर है कि इस का बतलाना यहां पर मुनासिब नहीं है । आज ही मैं ने आपके सामने अर्ज किया कि हमारी फौज के जो सब से बड़े अफसर हैं, वह बिलफेल आरजी तौर से या पक्की तौर से बदल दिये गये हैं । तो मैं इस पेच में हूं कि यहां मैं क्या कहूं । मैं कोई खास बात छिपाना नहीं चाहता, लेकिन यह छिपाने के इरादे की बात नहीं है । बदलती हुई हालत में मैं क्या कहूं और क्या न कहूं, किस बात का आश्वासन दूं सिवा इस के कि मेरा पक्का यकीन है, मैं यकीन से कहता हूं, जबानी बात नहीं है, कि चाहे कुछ हो, हम इस जंग को जारी रक्खेंगे जब तक कि हम बिल्कुल जीत न जायें आखीर में, चाहे इसमें वर्षों लगें या कितना भी जमाना लगे । इसे हम मंजूर नहीं कर सकते कि हिन्दुस्तान की आजादी पर हमला हो, हिन्दुस्तान की जमीन पर हमला हो और दुश्मन आकर उस पर कब्जा करे, और हम सर झुकायें उस के सामने । यह नामुमकिन बात है चाहे जो कुछ हो । मैं समझता हूं कि इस मामले में यह कोई मेरी राय नहीं है न किसी और की राय है । यह लोक-सभा और पार्लियामेंट के एक एक मेम्बर की राय है, यह हिन्दुस्तान के हर मर्द, औरत और बच्चे तक की राय है ।

आज हमारे सामने एक बहुत मुश्किल और कठिन समय आया है । जाहिर है कि इस में जो कुछ तैयारी हम कर सकते हैं, जो कुछ मदद मिल सकती है, उस को हमें करना है और यह हमारा फर्ज है ।

एक बात और अर्ज कर दूं । यहां पर जिक्र हुआ था कुछ मेम्बरों को बुलाने का और मुझ से मिलने का । मेरे मित्र मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेअर्स ने कल मुझ से कहा इस के बारे में और मैं ने खुशी से उसे स्वीकार किया । मुझे अफसोस है कि इस सम्बन्ध में निमंत्रण पत्र आदि भेजने में कुछ देर हो गई इसलिये वह त्यागी जी को मिला नहीं, शायद उन के घर में रक्खा हो । जाहिर है कि सब पार्लियामेंट के मेम्बरों को बुला कर बात करना बहुत कठिन हो जाता है । इस में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वह एक पब्लिक मीटिंग या बड़ी भारी मीटिंग हो जायेगी । जहां तक मुझे मालूम है उस में दोनों हाउसेज के २५ सदस्य अपोजीशन के और कोई दोनों हाउसेज के ५० या ६० सदस्य कांग्रेस के बुलाये गये हैं । वे अलग अलग बुलाये गये हैं । मैं उन से खुशी से बात करूंगा और जो कुछ भी बतला सकूंगा उन्हें बतलाऊंगा । लेकिन यह मैं आपसे अर्ज कर दूं कि वहां भी क्या तफसील में हम जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, यह गौरतलब बात होगी ।

श्री बागड़ी : मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से एक बात अर्ज करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब और कोई चीज नहीं रहनी चाहिये ।

श्री बागड़ी : मैं आनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करूंगा कि सारा मुल्क आपकी पुश्त पर है । जिस चीज़ को बतलाने की उन की तबियत हो वह बतायें बाकी न बतायें । लेकिन जो न बतलाने वाली बात हो उस को उन्हें नहीं कहना चाहिये । जैसे वे कहते हैं कि तजुर्बा नहीं है या उन में पूरी ताकत नहीं है । उन के पास सारी ताकत है और उन के पीछे सारा तजुर्बा है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने एक मामूली सी बात कही जिस पर माननीय सदस्य ने एतराज किया । मैं ने कहा कि हम में कोई लियाकत नहीं है । मुझ में किसी लियाकत की कमी होने का एतराज किसी ने नहीं किया है, लेकिन जिस बात को मैं जानता हूं उस को जान कर मैं कह सकता हूं, जिस बात को पूरे तौर से नहीं जानता उस के बारे में जो लोग जानते हैं उन से राय लेता हूं । मैं हवाई जहाज नहीं चलाता तो मैं कैसे कहूं कि जहाज ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ ? मैं पाइलट नहीं हूं । मैं जबर्दस्ती कहूं कि इस तरह से चलाओ, तो यह कैसे हो सकता है ? फौज के मामले में, या किसी भी मामले में, जो एक्सपर्टस होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं उन की सलाह से काम किया जाता है । उनको अपनी राय दी जा सकती है लेकिन फैसला उन का होता है, खास कर जो लड़ाई हमारी हो रही है उस के बारे में फैसला दिल्ली में बैठ कर निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता । वह रोज बदलता है और मैदाने जंग में जो अफसर हैं वह फैसला करते हैं अपनी ज़िम्मेदारी पर ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय टेलीग्राफ (ग्यारहवां संशोधन) नियम और इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५६ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (ग्यारहवां संशोधन) नियम, १९६२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(तीन) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास की ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ५४५/६२, एल० टी० ५४६/६२ और एल० टी० ५४७/६२] ।

वणिक नौवहन (समुद्र में टक्करों की रोक) विनियम और मुगल लाइन लिमिटेड, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१५ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (समुद्र में टक्करों की रोक) विनियम, १९६० ।

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई की ३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(तीन) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम् की वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(चार) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा- परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ५४८ । ६२, एल० टी० ५४९/६२ और एल० टी० ५५०/६२] ।

आत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं आत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(एक) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७७ जिसमें दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(दो) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४४६ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ५५२/६२ और एल० टी० ५५३/६३]

रेलवे दुर्घटना (प्रतिकर) द्वितीय संशोधन नियम

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ८२जे के अन्तर्गत दिनांक १० नवम्बर,१९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३४०१ में प्रकाशित रेलवे दुर्घटनायें (प्रतिकर) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५५४/६२]

गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६० में प्रकाशित गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५५५/६२]

भारतीय विमान अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४क के अन्तर्गत भारतीय विमान नियम, १९३७ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं : —

(एक) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२३८ ।

(दो) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२९६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ५५६/६२]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान जी, मैंने राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा १६ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) कि राज्य सभा अपनी १९ नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १६ जनवरी १९६२ को पास किये बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा अपनी १९ नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १६ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये कम्पनीज (संशोधन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(चार) कि राज्य सभा अपनी १९ नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा ८ अगस्त, १९६२ को पास किये गये हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

परिसीमन विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

†**श्री सचीन्द्र चौधरी** (घाटल) : मैं परिसीमन विधेयक, १९६२ सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

पहला प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं विनियोग लेखे (रेलवे), १९६०-६१ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६२ के बारे में लोक लेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

†**श्री मूल चन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी नि का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

नवां प्रतिवेदन

र्यमंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नवें प्रतिवेदन से, जो १९ नवम्बर, १९६२ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है ।"

---

†मूल अंग्रेजी म

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के नवें प्रतिवेदन से, जो १९ नवम्बर, १९६२ की सभा में प्रस्तुत की गयी थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६२-६३

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : दिन प्रति दिन यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इस आपात-कालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमें बहुत महान प्रयत्न करने होंगे । मेरा सुझाव यह था कि देश में सभी जगह लोगों से आय का १० या १५ प्रतिशत ले लिया जाय तो बिना किसी कठिनाई के ३०० करोड़ रुपया प्राप्त हो जायेगा । इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को नागरिक सुरक्षा पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना चाहिए । इस सब की जिम्मेदारी तो वर्तमान अधिकारियों पर डालनी चाहिए । यदि संभव हो तो इस के लिए सेवा-निवृत्त हुए अधि-कारियों से भी सहायता ली जा सकती है । असैनिक सुरक्षा कार्य के निर्माण के लिए ५० वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करना मेरी समझ में नहीं आया । हमें इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए ।

उत्पादन वाले उद्योगों में भी काम की वृद्धि होनी चाहिए । समस्त उद्योगों के वर्तमान काम घरों को बढ़ा देना चाहिए । इन संस्थानों में कम से कम ९ अथवा १० घंटे काम होना चाहिए । इस प्रकार जो १० प्रतिशत मजूरी की वृद्धि हो उसे प्रतिरक्षा कोष में देना चाहिए । और सभी लोग ऐसा खुशी से करने को तैयार हो जायेंगे । जर्मनी ने अपनी हार के पश्चात् भी अपने श्रमिकों से देश के हित के लिए दिन में १० घंटे तक काम लिया था ।

इसी तरह सोने के भाव कम करने के प्रयत्न करने चाहिए । सभी प्रकार के प्रयत्न करके तस्कर व्यापार को रोका जाना चाहिए । और सोने की बिक्री को लिखा जाना चाहिए । अनाज के एकत्रित करने का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए । यदि अनाज एकत्रित हो जाय तो इससे हम खाद्य स्टाक बना सकेंगे और इससे मूल्य वृद्धि भी रोक सकने में समर्थ हो सकेंगे ।

आज की आपातकालीन स्थिति में बड़ा "कैबिनेट" अर्थात् मंत्रिमंडल रखने की कोई आव-श्यकता नहीं है । उत्पादन और सम्भरण के सम्बन्ध में प्रशासन को सक्रिय बनाया जाना चाहिए । मेरे विचार में आज की वर्तमान व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है । अन्त में मेरा कहना है कि गृह-कार्य मंत्रालय को बढ़ाया जाना चाहिए, उसके जिम्मे बहुत अधिक भार है । गृह-कार्य मंत्रालय के कर्म-चारियों की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए । देश के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ।

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : आज की स्थिति में तो हमें यही सोचना चाहिए कि संकट का मुकाबला कैसे किया जा सकता है । सरकार का और हम सब का ध्यान केवल इस बात पर ही केन्द्रीभूत होना चाहिए । हमें अपनी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित करनी

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री खाडिलकर]

चाहिए कि हम सफलतापूर्वक चीनियों के संगठन का भली प्रकार मुकाबला कर सकें। पूरे प्रयत्नों से हमें इसके लिए संभव साधन जुटाने होंगे।

आज देश भर में जो सोना और धन एकत्रित हो रहा है, उसके लिए कोई भेदभाव का विचार नहीं होना चाहिए। जमा किये गये सोने के लिए जो रियायत दी गयी है वह जमा की गयी मुद्रा के सम्बन्ध में भी दी जानी चाहिए।

मद्यनिषेध के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। यह राजस्व का ही प्रश्न नहीं है, इसमें समाज विरोधी भावना भी है। अतः इस बारे में मेरा निवेदन है कि नीति को अधिक युक्तिपूर्ण बनाया जाना चाहिए। ऐसा करने से मेरे विचार में संयत नीति से अधिक आय प्राप्त हो सकने की सम्भावना है। युद्धकालीन संकट की दृष्टि से सरकार को मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण रखना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि मूल्यों को स्थिर रखा जाये। हमें अपने जीवन को युद्ध स्तरीय ढंग का बनाना होगा।

एक शताब्दी के बाद हम युद्ध का सामना कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमने अपनी आजादी के लिए काफी मूल्य अदा नहीं किया। आज हमें राष्ट्रीय एकता और स्वतन्त्रता के लिए पूरा बलिदान करना है केवल नारे लगाने से कुछ बनने वाला नहीं। पूरे अनुशासन के साथ हमें अपने सामाजिक व आर्थिक वातावरण का निर्माण करना है।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (करनूल) : आज तक हम शान्तिप्रिय हालात के लिए आयव्यय पारित करते रहे हैं और हमारा ध्यान देश के आर्थिक विकास की ओर रहा है परन्तु आज हमारा शत्रु हमारी सीमाओं पर आकर खड़ा हो गया है और हम उसका मुकाबला करने के लिए अनुपूरक अनुदानों को स्वीकार कर रहे हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुपूरक अनुदान तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं परन्तु आज यह भी स्पष्ट हो गया है कि चीनी हमले से देश की रक्षा करने के लिये जितने भी धन की आवश्यकता होगी उसे देने के लिये जनता खुशी से तैयार है। परन्तु इस धन को व्यय करने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में मितव्ययता बरती जानी चाहिये। इमारतों का निर्माण रोक देना चाहिये। और जो लोग दो हजार रुपये से अधिक आय कर रहे हैं उनकी आय में अनिवार्य कटौती की जानी चाहिये। हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को युद्धकालीन अर्थ व्यवस्था बनाना चाहिये। प्रतिव्यय पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिये और प्रतिरक्षा के समस्त साधनों को जुटाना चाहिये। जिस प्रकार सरकार ने छिपा हुआ सोना निकालने का उपाय किया है उसी प्रकार छिपी करंसी को भी निकालने का प्रबन्ध करना चाहिये। इसके अतिरिक्त समस्त अनावश्यक व्यय पर कर लगाया जाना चाहिये। शराब बन्दी को समाप्त कर देना चाहिये, इस आपातकालीन स्थिति में सिद्धान्त का प्रश्न नहीं बनाना चाहियें।

हमारी सरकार अखबारों में लाखों रुपये के विज्ञापन देती है परन्तु हमारी युद्धकालीन का प्रचार नहीं हो रहा। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि गैर-सरकारी उद्योगों को अखबारों में अपने प्रतिरक्षा सम्बन्धी अंशदानों को अखबारों में प्रकाशित करना चाहिये। लोगों को चन्दे

†मूल अंग्रजी में

देने के लिये कहने के विज्ञापन भी प्रकाशित होने चाहिये। अनावश्यक कामों के व्यय को बन्द कर देना चाहिये। दोहरे काम करने वाले विभाग भी बन्द कर देने चाहिय।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा०राम सुभग सिंह)**: मेरे माननीय मित्र श्री दी० चं शर्मा ने सीमा पर लड़ रहे उन लोगों के पुत्रों का उल्लेख किया है जो खेतिहर है। जिन लद्दाख और नेफा के क्षेत्रों में लड़ाई हो रही है, वहां लोग खेती ही किया करते थे। आस पास सारे क्षेत्र ही खेती के थे। तिब्बत को समाप्त कर जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब तक अधिकांश में खेतिहर ही चीनी हमलावरों के शिकार हो रहे हैं। यह आवश्यक ही प्रतीत होता है कि उन्हें दो तरफ मोर्चा लेना होगा। युद्धक्षेत्र में भी। और उत्पादन क्षेत्र में भी १०.४ लाख एकड़ भूमि दो अथवा पांच वर्ष के बाद आवश्यकता पड़ने पर पुनर्वास के लिये उपलब्ध है।

अनेक राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की योजनायें प्रारम्भ एवं क्रियान्वित की जा चुकी हैं। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय राज्यों को यह लिख चुका है कि सैनिक कर्मचारियों को सरकारी पड़ती भूमि आदि के आवन्टन की शर्तें आसान कर दी जानी चाहिये और जवानों के प्रार्थना-पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। राज्य सरकारों से यह कहा जायेगा कि वे यह प्रयत्न करें कि जवानों की भूमि के लगान की वसूली के सम्बन्ध में कोई कठिनाइयां न उत्पन्न की जायें। सरकार भूमि सम्बन्धी मुकदमेबाजी के बारे में भी उचित प्रबन्ध करेगी।

प्रत्येक केन्द्र को खाद्यान्न का संभरण करने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न करेगी कि हमारे जवानों को अपनी जरूरत की चीजें समय पर मिल जायें। यह बात असैनिक जनसंख्या पर भी लागू होती है। इस बारे में जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं उन्हें सम्भव कार्यान्वित किया जायेगा।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, हमारे फ्रंट की जो स्थिति इस समय है वह काफी गम्भीर है। मगर जो भी हमारे रिवर्सेज वगैरह हैं उन में एक चीज हमेशा आई है कि उन के पास हेवी मार्टर्स हैं, उन के पास सुपीरिअर नम्बर्स हैं। इस मामले में हम उन को मैच क्यों नहीं कर सकते? माननीय प्रधान मंत्री जी ने हाउस को जो अश्योरेंस दिया उस से तो यह पता चलता है कि डट कर चीनियों का मुकाबला करने के लिये जितनी कोशिश होनी चाहिये उतनी हम लोग कर रहे हैं, हमारी फौजें कर रही हैं और मित्र देशों से मदद ले रहे हैं। मगर इस सिलसिले में एक चीज हमारी समझ में नहीं आती है। जब भी जंग के बारे में कोई बात होती है तो हमारे नेताओं की तरफ से जो भी बातें होती हैं वे एक तरह से निगेटिव प्रकार की होती हैं। हम ने उन के स्टेटमेंट्स देखने की कोशिश की। मेरा नम्र निवेदन है कि यह निगेटिव भावना से जो स्टेटमेंट्स दिये जाते हैं वह ठीक नहीं हैं।

कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि जो लोग वार के समय में एक्स्ट्रा प्राफिट करेंगे निस्संदेह उस का १० या १५ परसेन्ट उन्हें वार फंड में देना चाहिये साथ ही जो आर्गेनाइज्ड लेबर के लोग हैं उन्हें एक्स्ट्रा ओवर्स काम करने का मौका दिया जाना चाहिये। मैं खुद भी एक सीमेन्ट फैक्ट्री यूनियन का प्रेजिडेंट हूं। वहां के मजदूरों ने मुझ से कहा कि मैं भारत सरकार से कहूं कि लोग एक्स्ट्रा ओवर्स में काम करेंगे और जो दो या तीन घंटे एक्स्ट्रा काम करने का पैसा उन को मिलेगा वह सारा का सारा वार फंड में शामिल किया जाये। इसी तरह से दूसरे कारखानों और कम्पनियों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ह० च० सौय]

में काम करने वाले भी देंगे। यह सजेशन बहुत अच्छा है और एक्स्ट्रा लेबर के लिये जो वैजेज मिलें उन को वार फंड में लगाया जाय।

अभी हमारे खाद्य मंत्री जी ने कहा कि फूड फ्रंट पर हम लोगों को जो कुछ करना चाहिये वह हम करें। उसी रूप से कम्यूनिटी डेवेलपमेंट मिनिस्ट्री ने भी सुझाव दिया कि देहात में सिविल डिफेंस कमेटी वगैरह जो हम बनाते हैं उस के साथ साथ एक लेबर बैंक की भी स्कीम होनी चाहिये। आज देश में बहुत से लोग हैं जो पैसा नहीं दे सकते हैं, मगर वे खुद शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं। इस लिये लेबर बैंक बना कर यह किया जाये कि जो इस तरह के लोग हों वे एक या दो रोज सप्ताह में वहां पर काम करें और जो भी उन का हिसाब आये कि वह इतना काम कर सके हैं और उस का इतना पैसा होता है, वह सारे का सारा लेबर बैंक में रख कर अधिक कृषि उत्पादन में लगाया जाये। इसी तरह से जितना बार्डर का इलाका है वहां पर वे सड़कें बना सकते हैं। इस तरह से वे अपना कंट्रिब्यूशन कर सकते हैं श्रमदान कर के। पहले श्रमदान नहीं हो सकता था। लोक श्रमदान देने के लिये तैयार नहीं होते थे, लेकिन देश की आज की हालत को देखते हुए हर नागरिक यह चाहता है कि वह कुछ करे। गरीब से गरीब लोग आज शारीरक मेहनत करने के लिये तैयार हैं। उन के लिये लेबर बैंक की व्यवस्था होनी चाहिये और उन को अधिक अन्न उत्पादन में लगाया जाना चाहिये।

एक और चीज कह कर मैं बैठ जाऊंगा। हमारे इलाके से जो लोग, जो जवान फ्रंट्स पर गये हैं वे अधिकतर छोटा नागपुर से गये हैं। उन की दरख्वास्त यह है जैसा कि खाद्य मंत्री जी ने कहा, जो उन की फैमिलीज हैं, उन को लगान आदि के सम्बन्ध में आसानी मिलनी चाहिये। जो लोग फ्रंट पर गये हुए हैं उन को वहां से लौटने पर अच्छी जमीन की सुविधा मिले मुझे इस की बड़ी खुशी है कि खाद्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में ऐश्योरेन्स यहां पर दिया है।

श्री गौरी शंकर कक्कड़ (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी डिमांड के जो आंकड़े हाउस के सामने रखे गये हैं उनको देखने से पता चलता कि ये साधारण वार्षिक मांगों के तौर पर रखे गये हैं। बड़ा आश्चर्य होता है जब हम इस बजट को देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हमारे सिर पर है और इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स में कोई भी ऐसे आंकड़े नहीं रखे गये हैं जिन से यह पता चले कि किस प्रकार हमारा देश रुपये बचायेगा और कौन सी ऐसी चीजें की गयी हैं जिन से कि आय बढ़े और उसे वार फंड में लगाया जाय।

मैं तो यह चाहता था कि इस युद्ध के समय जो बजट बनाया जाये वह युद्धकालीन बजट हो और उस बजट में ऐसे आंकड़े रखे जायें जिससे पता चले कि हम अस्थायी रूप से उस बजट को पूरे तौर पर चला कर विजयी होंगे।

जहां तक सुरक्षा के लिये रुपये इस में बढ़ाये गये हैं, उसका तो मैं समर्थन करता हूं, किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय देश में बड़ी बेचैनी है। इस युद्ध के छिड़ जाने के बाद समस्त राष्ट्र में एक जागृति आ गयी है, और सब से बड़ी चीज यह हुई है कि विरोधी दलों ने एक संयुक्त मोर्चा बना लिया है और इस बात का संकल्प किया है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हाथों को मजबूत बनायेंगे और चीनियों को इस देश से खदेड़ कर के बाहर कर देंगे।

आरम्भ में जब युद्ध की शुरुआत हुई तो यह कहा जाता था कि हमारे ऊपर यकायक आक्रमण हुआ, हमारी तैयारियां नहीं हुई थीं, इसलिये हमें पीछे हटना पड़ा और रिवरसेज हुए। किन्तु

एक चीज बड़ी चिन्ता की है कि उसके दस पन्द्रह दिन बाद भी जब कि हमें तैयारी करने का समय मिल गया, जब कि हमारे पास हथियार भी आ गये, फिर भी राष्ट्र यह देखता है कि हमारी सेना को महत्वपूर्ण स्थानों को छोड़ना पड़ रहा है। इस ओर मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह चीज कि चीनियों के पास फौजी ज्यादा हैं, उनके पास बीस डिवीजन हैं, उनके पास हथियार ज्यादा हैं, हम कई बार सुन चुके हैं। देश यह चाहता है कि वहां पर जिन चीजों की कमी हो उसको तत्काल पूरा किया जाये, क्योंकि अगर महत्वपूर्ण स्थानों पर युद्ध की यह दशा रहेगी तो समस्त राष्ट्र में बड़ा असंतोष होगा।

इसमें सन्देह नहीं कि हम सभी ने प्रधान मंत्री को एक नेता मान लिया है और यह तै कर लिया है कि हम यह युद्ध इस नेता की मदद से लड़ेंगे परन्तु और सब चीजों की व्यवस्था पूरे तौर से होनी चाहिये जिससे कि जो जागृति देश में आ गयी है उसमें किसी प्रकार की कमी न होने पावे। मैं यह नहीं कहता कि सदन में युद्ध का ब्यौरा न बतलाया जाये। सदन को उसके बारे में जानने का अधिकार है। अगर हमारी फोज की तादाद कम है तो सारे देशवासी फौज में भरती हो कर मोर्चे पर जाने के लिये तैयार हैं, फौजी ताकत बढ़ायी जाये, और हथियारों की जो कमी है वह पूरी की जाये ताकि मुकाबला बराबर का हो।

मैं यह देखता हूं कि चीनियों के आक्रमण के पहले जिन स्थानों को यातायात के लिये सड़क नहीं थी, उनके आक्रमण के १५ दिन के अन्दर वहां सड़क की व्यवस्था हो गयी है। और उनके द्वारा तोपें आदि आ सकती हैं। मालूम यह होता है कि उनकी स्कीम एक सिस्टमैटिक स्कीम है जिससे कि आगे बढ़ने के साथ वे उन स्थानों को जहां पहले सड़क नहीं थी सड़क बना देते हैं। जब हमारा इतना बड़ा राष्ट्र जाग उठा है तो हमको इस प्रकार की सारी तैयारी करनी चाहिये।

अब तो आसाम की लड़ाई इस कदर गम्भीर हो गयी है कि अगर इस [illegible]
नहीं होगी तो हमारे चाय के बगीचों [illegible] बड़ा आक्रमण हो सकता है। इसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

युद्धकालीन बजट के लिए अभी इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि प्राहिबिशन को स्क्रैप किया जाये। मैं इससे बिलकुल सहमत हूं। अब तो जब एक वातावरण बदल गया है, समय बदल गया है, तो यह कहना कि हम अपने पुराने दृष्टिकोण को चलायेंगे उचित नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल को यह बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों को गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, किन्तु आज हमारे बच्चे जो युद्ध के वातावरण में पल रहे हैं उनके कारण हमको अपना वह दृष्टिकोण बदलना पड़ा इसी प्रकार हम अब प्राहिबिशन को हटा कर ३०० करोड़ रुपया बचा सकते हैं मैं समझता ऐसा करना बहुत उचित होगा।

इसके साथ ही मैं यह सुझाव दूंगा कि हमारी जो भी सहकारी समितियां और ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां हैं उनके लिये यह नियम बना दिया जाना चाहिये कि वे अपने मुनाफे को डिवीडेंड के रूप में न बांट कर उसको वार फंड में दें।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो नियम रिजर्व फंड [illegible]
गये हैं उनको भी इस इमरजेंसी में रिलेक्ज कर दिया जाये और वह रुपया वार फंड में दिया जाये।

जो वा[illegible]ण्टरी कांट्रीब्यूशन हो रहा है इससे हमारा अस्थायी युद्धकालीन बजट नहीं बन सकता।

[श्री गौरी शंकर कक्कड़]

उत्पादन बढ़ाना इस इमरजेंसी के वक्त अत्यन्त आवश्यक है। इस सिलसिले में यह ध्यान रखा जाये कि कृषि उत्पादन के जो टारगेट शान्ति काल में रखे गये थे उनको ऊंचा किया जाये और अधिक उत्पादन करने पर जोर दिया जाये। इसके लिये मेरा कहना है कि आज सारे देश में साधन सहकारी समितियां बन गयी हैं। उनके द्वारा किसान को खाद आदि देने का प्रबन्ध किया जाये और देखा जाये कि प्रत्येक कृषक को आवश्यक सहायता मिलती है और वह अपना पूरा उत्पादन करता है।

वालंटरी कांट्रीब्शयून से हमारा फायदा हो रहा है और विदेशी मुद्रा की कमी किसी हद तक पूरी हो रही है। लेकिन आज देश में अनेक ऐसे लोग हैं जो टक्सों का इवेजन करते हैं, उन पर विशेष तौर से नियंत्रण किया जाये और जो इनकम टैक्स का लाखों करोड़ों रुपया बकाया है उसको तेजी से वसूल करने पर इस विपत्तिकाल में विशेष ध्यान दिया जाये।

मुझे विश्वास है कि अगर इन चीजों पर ध्यान रखा जायेगा तो हम इस काबिल बन सकते हैं कि हम यद्धकालीन बजट को अस्थायी रूप से बना कर लड़ाई को जीत सकें।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : चीन ने हमें धोखा दिया है। हम युग के उद्देश्य, तरीके और चालबाजी समझने में असफल रहे हैं। यह सम्भव है कि चीन हमारे विरुद्ध विमानों की लड़ाई आरम्भ कर दे। चीन के पास संसार का तीसरे नम्बर का विमान बल है। हमें इस का मुकाबला करने के लिए अपनी विमान शक्ति बढ़ानी होगी। हमें मित्र देशों से बड़े पैमाने पर विमान सहायता लेनी चाहिए।

हमें अपने देश में हवाई जहाज़ बनाने के लिये चार कारखाने बनाने चाहिएं। सरकार को लोगों को 'गुरिल्ला' युद्ध की शिक्षा देनी चाहिये। इस से हम शत्रु को बहुत समय तक दूर रख सकेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमें चीनियों के हृदयों में अपनी बहादुरी की बातों से डर पैदा करना चाहिए।

भारत को पनडुब्बियां अधिक से अधिक प्राप्त करनी चाहिए। इस बात की सम्भावना है कि चीनी एक बार और जोरदार प्रयत्न करें और हमारे जहाजों को नष्ट करने के लिए हमारे जलमार्ग में अपनी पनडुब्बियां भेजें।

हमें जवानों विशेषकर विमानबल सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों को नहीं भलना चाहिए। इस काम के लिए सभा को धन मंजूर करने में आपत्ति नहीं करनी चाहिये।

मैंने कई बार कहा है कि हमें अपने विमान बल को अपने समस्त पड़ोसियों से बड़ा प्रयत्न करना चाहिये।

हमें आशा है कि कुछ वर्षों में हमारा विमान बल सभी पड़ोसियों से मजबूत हो जायेगा।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : लगभग ८ करोड़ रुपये की वायु सेना के बारे में और ९ करोड़ रुपये की "प्रतिरक्षा-पूंजी व्यय" के अन्तर्गत मांगों से पता चलता है कि वायुसेना को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। वायुसेना के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है।

कई विमान मरम्मत आदि के लिए कई वर्षों से पड़े हुए हैं। ऐसे विमानों को शीघ्र से शीघ्र ठीक किया जाये। चीन का वायुसेना हम से कोई पांच गुना अधिक शक्तिशाली है। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने प्रयेक विमान का पूरा पूरा लाभ उठाएं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन के साथ हमारा युद्ध लम्बा युद्ध होगा । अतः हमें अपने प्रतिरक्षा उत्पादन को तथा प्रतिरक्षा सामरिक नीति के बारे में कई वर्षों के लिए आयोजन करना चाहिये ।

हमें अधिक आर्डिनेंस फैक्टरियों की स्थापना करनी चाहिए । आखिर में हमारी सैनिक शक्ति स्वयं हमारी अपनी आर्डनेंस फैक्टरियों में हुए आधारभूत वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर करेगी ।

सारा देश युद्ध प्रयत्नों का समर्थन करता है । यदि सरकार अधिक धन मांगती तो वो भी मंजूर कर दिया जाता ।

चीनियों के इरादों को जानने की प्रतीक्षा करना हमारे लिये हानिकारक होगा । एक बात तो स्पष्ट है कि चीन भारत को हटाना चाहता है तथा अधिकाधिक नुक्सान पहुंचाना चाहता है । अतः हमें चीन की खतरनाक से खतरनाक धमकी का सामना करने के लिये अपनी सामरिक नीति को बनाना चाहिये ।

इन अनुपूरक मांगों से भारत का चीन से लड़ने का दृढ़ संकल्प व्यक्त होता है । अतः मित्र देश हमारी अधिक से अधिक सहायता करेंगे । मित्र देशों की सहायता के लिए हम उन के आभारी हैं ।

चीनियों के साथ लड़ने के लिए युद्ध की तैयारी के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है । कोई भी बात प्रतिरक्षा के लिए धन जुटाने के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिये । इसके लिए मद्यनिषेध की नीति को भी यदि छोड़ना पड़े तो हमें बिना हिचकिचाहट के ऐसा करना चाहिये ।

अगला बजट पेश करने में अभी समय है । वित्त मंत्रालय समस्त संसाधनों की खोज करे । संसाधनों को जुटाने के लिये हमें अपनी पूर्व धारणाएं छोड़नी होंगी । धनी समितियों को अधिक अंशदान देना चाहिये । कर लगाने की प्रस्तावनाएं बनाते समय संसद् सदस्यों को अनौपचारिक रीति से विश्वास का पात्र बनाया जाये । धन इकट्ठा करने के लिए देश में एकता की भावना का भी लाभ उठाया जाना चाहिये ।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अन्त में विजय हमारी होगी ।

श्री बागड़ी : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज जबकि भारत की सीमाओं को चीरता हुआ चीन हमारी सरजमीन पर काबिज होता चला जा रहा है और उस वक्त जबकि सप्लीमेंटरी बजट पेश किया जाता है, तो उसके अन्दर कटौती का मोशन जब मैं रख रहा हूं तो कुछ माननीय सदस्यों को ताज्जुब हुआ होगा । लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि इन मांगों को पास करने में दो रायें किसी भी हिन्दुस्तानी की नहीं हो सकती हैं और जहां तक इस सदन के जिम्मेवार मैम्बरों का ताल्लुक है, उनकी तो हो ही नहीं सकती हैं और सभी यह चाहते हैं कि देश को हमें जिस तरह से भी हो बचाना है । हर कोई यह चाहता है कि देश की रक्षा हो और उसकी हिफाज़त के लिये लड़ा जाये । जब हम को देश की हिफाज़त के लिए लड़ना है तो जरुरी है कि हमें पैसा उसके लिए चाहिये । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब तक युद्ध के बारे में हमारी नीति साफ नहीं हो जाती तब तक हमारे देश का भविष्य बन नहीं सकता है ।

हमें चाहिये कि हम देखें कि चीन हमारे देश पर किस तरह से हमला करता है । जहां पर और जिस मोर्चे पर वह हमारी स्थिति को कमज़ोर पाता है, वहां पर वह हम पर हमला

[श्री बागड़ी]

करता है। लेकिन हम क्या करते हैं ? हम चीन पर इस तरीके से हमला नहीं करते हैं। जहां पर और जिस मोर्चे पर चीन कमजोर है, उस मोर्चे पर हम हमला नहीं करते हैं बल्कि हम तो जहां पर वह हमला करता है वहां पर उसका मुकाबला करते हैं और अगर हम देखते हैं कि मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अब और ज्यादा वहां उसके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं, तो पीछे हट जाते हैं। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि हमारी युद्ध नीति स्पष्ट होनी चाहिये। हमें भी चाहिये कि जहां पर चीन कमजोर हो वहां पर उसके ठिकानों पर हम हमला करें।

साथ ही साथ मैं समझता हूं कि अगर हम चीन को हराना चाहते हैं तो न सिर्फ उसको हमें अपनी सरजमीन से पीछे हटाना होगा, न सिर्फ अपनी सरजमीन से उसको पीछे धकेलना होगा बल्कि तिब्बत को भी हमें आजाद कराना है और इस काम में हमें तिब्बत की मदद करनी है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करुंगा कि वह कुछ जरुरत से ज्यादा बोल जाते हैं। जिस बात को कहने की उन्हें जरुरत नहीं होती है, उस बात को वह कह जाते हैं। तिब्बत की बात को ही आप ले लीजिये। डा० राजेन्द्र प्रसाद जो कि हिन्दुस्तान के एक्स-प्रेजीडेंट हैं, वह कहते हैं कि तिब्बत को आजाद करवाना हमारा मारल फर्ज है। इतना ही नहीं वह इसको जायज करार देते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अंग्रेजी में इसको नानसैंस कहते हैं। इस तरह की बात कहने की कोई जरुरत नहीं थी। अगर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री यह सोचते हैं कि तिब्बत चीन का है तो भी कोई जरुरी नहीं था उनके लिए यह कहना कि वह चीन का है और उनको चीन की वकालत नहीं करनी चाहिये थी। यहां पर खड़े हो कर हम जब कोई बात चीन के खिलाफ कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको नहीं मानना चाहते हैं तो न मानें लेकिन गैर जरुरी बात क्यों वह कह देते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया है। बोलते बोलते वह कह जाते हैं कि चीन के लोगों ने बीस साल तक इनकलाब किया है, बीस साल तक वे लड़े हैं, इसलिए बहादुर हो गये हैं। इस तरह की बात उनके लिए कहना जरुरी नहीं था। हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उतनी ही बात कहे जिससे हिन्दुस्तान को फायदा पहुंचे। आज ही बोलते बोलते वह कह गये कि मुझे तो तजुर्बा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उनका तजुर्बा कोई व्यक्तिगत तजुर्बा नहीं है, हिन्दुस्तान का तजुर्बा है और हिन्दुस्तान का तजुर्बा प्राइम मिनिस्टर का तजुर्बा है, ये दो बातें कोई अलग अलग नहीं हैं। इस वास्ते मैं आज आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, उन से कहना चाहता हूं कि वे ऐसी बातें न कहा करें जो गैर जरूरी हो। अगर उनकी समझ में नहीं आता है तो खुदा के लिए चुप हो जायें। किसने कहा था कि वह कहें कि तिब्बत तो ऐतिहासिक दृष्टि से चीन का हिस्सा है और जो इसके खिलाफ बात करते हैं, वे बेवकूफ हैं। मैं इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। हिन्दुस्तान का साबिक प्रेजीडेंट, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा आदमी जब कहता है कि हमने यह गलती की है और अब हमको तिब्बत को आजाद करवाना चाहिये तो हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बिगड़ कर कहते हैं अंग्रेजी में फैंटास्टिक नानसेंस। किसको उन्होंने यह कह और आया वह है या नहीं, इसमें मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कहूंगा कि कोई भी न हीं है। इस तरह के अलफाज हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहियें। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि तिब्बत चीन का है तो उनको खामोश रहना चाहिये। उनको कोई अधिकार नहीं है कि हिन्दुस्तान की जनता की तर्जुमानी इस तरह से करें या कोई ऐसी बात कहें जिसमें चीन की वकालत होती हो। हर बात में प्राइम मिनिस्टर को टांग नहीं अड़ानी चाहिये। कई बार तो वह गलत बात तक कह जाते हैं। पब्लिक मीटिंग के अन्दर कह

देते हैं कि हम कमजोर हैं। मैं कहता हूं युधिष्ठिर पुत्र मत बनो। जो बात आप कहते हैं, उस पर पहले जरा गौर....

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** (गुना) : प्रधान मंत्री ने किसी सार्वजनिक सभा में ऐसा नहीं कहा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपनी बारी पर उनके कहने का विरोध कर सकते है।

श्री बागड़ी : इसके बाद मैं हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कामथ साहब ने सवाल किया था कि क्या आप सिक्किम और भूटान को गारंटी देते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। मैं पूछता हूं कि इसका क्या मतलब है। इस सिलसिले में मैं आपको हिन्दुस्तान के इतिहास से एक उदाहरण देना चाहता हूं। गुरु गोविन्द सिंह जी ने देश को गारंटी दी और कहा था:

चिड़िया तो मैं बाज तुड़ावां

वह शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए, लेकिन उन्होंने गारंटी दी। उसीसे हिन्दुस्तान उठा है। आज हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की गारंटी देनी पड़ेगी। जब तक हिन्दुस्तान की सरकार कायम है उसको गारंटी देनी पड़ेगी, चाहे वह मर जाए, चाहे वह टूट जाए कोई परवाह की बात नहीं है। हिन्दुस्तान के हर फर्द बशर को यह हक है कि वह अपनी सरकार से अपनी जिन्दगी की हिफाजत की गारंटी की मांग कर सके। सरकार ऐसा नहीं कर सकती जैसे कि कोई गड़रिया चौराहे पर खड़ा हो कर कह दे कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है? हर एक की जिन्दगी की गारंटी सरकार को देनी पड़ेगी। यह कहना कि हम गारंटी नहीं दे सकते गैर जिम्मेवाराना बात है।

मैं अदब के साथ कहूंगा कि देश पर दया करके कम से कम हमारे प्रधान मंत्री जी इन दिनों न बोला करें और मैं अपने अपोजीशन के भाइयों से भी कहूंगा कि वे उनसे सवालात न करें क्योंकि पंडित जी तो उलट पुलट कह देते हैं। सिक्किम और भूटान के बारे में सवाल करके गलत जवाब ले लिया।

आज आसाम के हालात का बयान करते हुए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो आज आसाम के हालात हैं उनसे देश के लोगों को घबराना नहीं चाहिए। लड़ाई में कोई लड्डू नहीं बंटते, वहां कोई परमिट नहीं बंटते कि गांधी नाम जपना पराया माल अपना। लड़ाई में तो तबाही होती है। हमें फैसला करना है कि क्या हम आजादी चाहते हैं। अगर आजादी चाहते हैं तो आपको दुःख उठाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, गांव उजड़ेंगे, घर मिटेंगे, लेकिन उसका नतीजा यह होगा कि जो आजादी परम पवित्र है, और जिसको फांसी को चूम कर हमारे पुरखों ने हमको दिया है, उसकी हम हिफाजत कर सकेंगे। आपको इसके लिए गुरिल्ला दस्ते बनाने पड़ेंगे, आपको जनता को एक प्रोग्राम देना पड़ेगा, फर्ज कीजिए कि कमजोरी के नाते या और वजह से हमको पीछे हटना पड़े तो हमारी आबादी, हमारे वतन के किसान और मजदूर, गुरिल्ला दस्ते बना कर दुश्मन को निकालें। हमको दुश्मन के आगे बढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं जनरल होता तो २५ या ५० मील तो क्या चीनियों को २०० मील मैदान में घसीट लाता और फिर उनको हमला करके मारता। चूहे पहाड़ों में बच सकते हैं,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बागड़ी]

मैदान में कैसे बच सकते हैं, यहां हम उनको गोलियां डाल कर मार देंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जनता को एक मुनज्जम प्रोग्राम देना चाहिए कि उसको क्या करना है।

दूसरी बात मैं आपके मारफत प्राइम मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उनको देश को उठाना है तो थोड़ा सा दायरा बसीअ करें। कम से कम मेरी राय है कि उनको देश के एक हजार लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, उन लोगों को जो कि पुराने हैं, जो खानदान वाले लोग हैं, जो सोशल बरकर हैं, जो मजहबों के खास लोग हैं जो पेशवा हैं। ऐसे एक हजार आदमियों को इकट्ठा करो। पुराने जमाने में जब हमारे पुरखे आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो हमारे कंटेक्ट विदेशों से न होते हुए भी वे विदेशों से हथियार लाते थे। मेरी राय है कि इन एक हजार आदमियों में से कुछ को तो अपने गांवों में भेजो जो कि जाकर जनता को जगावें और कुछ को विदेशों में भेजो। जिसका जहां असर हो उसको वहां भेजो। जो हमारे सफीर बाहर बैठे हुए हैं वे तो खानदान के बच्चे हैं जिनको निकाल कर भेज दिया है। उन पर ज्यादा भरोसा न करो। उनको राजनीति में दखल नहीं है। इन पुराने लोगों में से जिसका जिस मुल्क में असर हो उसको वहां भेजो ताकि वह वहां बैठ कर उस मुल्क की सिम्पथी हासिल कर सकें। जैसे श्री जयप्रकाश नारायण को पाकिस्तान में भेजो, उनका वहां असर है और कांग्रेसी भाइयों को ऐसी जगहों पर भेजों जहां उनका असर हो। लोक सभा के मेम्बरों को भेजो।

हमारे लोकसभा के एक मेम्बर ने खड़े हो कर कहा कि मैं बन्दूक चलाने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं कि इस काम के लिए तो हमारे नौजवान बहुत हैं। आपके जिम्मे देश को जगाने का बहुत बड़ा काम है, उसके मारल का कायम रखने का काम है और पैसा इकट्ठा करने का काम है।

जहां तक पैसे का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छी बात है लोग त्याग करके थोड़ा-थोड़ा पैसा दे रहे हैं। लेकिन लड़ाई का खर्चा इस तरह से पूरा हो नहीं सकता। इसके लिए तो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा चाहे उसके कारण सरकार हरकत में आए चाहे देश के धनी लोग और राजे महाराजे हरकत में आएं, चाहे वे नबाब हैदराबाद हो, चाहे महाराजा जयपुर हों या महाराजा पटियाला हों। अगर उनके मन में देश की आजादी के लिए प्रेम है तो उनको अपने खजानों के दरवाजों को खोल देना चाहिए। और मेरे साथी लोग जो यहां बैठे हैं और जो बाहर हैं उनको अपना सरमाया आज देश के लिए लगाना चाहिए। गरीब लोगों को भी यथाशक्ति उसके अन्दर अपना हिस्सा डालना चाहिए।

दूसरी बात मैं अपने मिनिस्टर भाइयों से कहूंगा। इस समय २४ घंटे तेल फुलेल लगाने वाले तो नजर नहीं आते। मैं मिनिस्टर लोगों से कहूंगा कि भाई देश पर आपत्ति है, कुछ खरचा कम करो। अगर आप लोग तेल और पान का खरचा कम कर दोगे तो एक गरीब की आमदनी से ज्यादा हो जाएगा। मैं अर्ज करूंगा कि इस समय मिनिस्टर लोगों को खर्चा कम करके किफायत का सबूत देना चाहिए। उनको बड़ी बड़ी कोठियां छोड़नी चाहिए और देश में ला एंड आर्डर कायम रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली में अमन चैन कायम रखना हिन्दुस्तान के लिए जरूरी है। जो अफसर कायदे काननों को ठीक से नहीं चला सकते उनको बदली और जो बम केस को न पकड़ सकें उनको बदलो। आज आपके

कारपोरेशन और कमेटियां ६ लाख झुग्गी वालों के मकान तोड़ रहे हैं, उनके सामान को छीन रहे हैं, उनके बच्चों को घसीट रहे हैं। वह गलत काम है। इससे वतनियत का जज्बा टूटता है और ला एंड आर्डर टूटता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों में वतन का प्यार नहीं वतन से द्वेष पैदा होगा। जो अफसर ऐसा करते हैं वे देश द्रोह कर रहे हैं, वे चीन का साथ दे रहे हैं हिन्दुस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं :

जिनमें रक्सो रूहे आजादी राकबे इन्कलाब हैं वे लोग,
मौत उनसे जलाल मांगती है, जिन्दगी के शबाब हैं वे लोग ।

सारा देश आज इस सदन के साथ है। आज हिन्दुस्तान का जर्रा जर्रा हिन्स्दुतान की आजादी के लिए आज जो मांगो देने को तैयार है। अगर कमी होगी तो देश के गरीबों की तरफ से नहीं होगी, वह आपके हाकिमों की तरफ से होगी, जिसको आगे इतिहास बुरा कहेगा।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमांडस फार ग्रांट्स रखी गयी हैं उनको देख कर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि उनमें नैवी के लिए कुछ नहीं रखा गया है।

आप चीन की ताकत को देखिए। जो कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि चीन के पास २५ सबमैरिन हैं, १३६ मोटर टारपीडो बोट्स हैं और ५० लैंडिंग शिप्स हैं और ३५० सरफेस क्राब्ट हैं। मैं पूछता हूं कि लैंडिंग शिप्स उसके पास क्यों हैं। क्या कभी हम लोगों ने इस पर विचार किया ? १३६ टारपीडो बोट उसके पास क्यों हैं क्या आपने इस पर विचार किया ? अमरीका पर उनको हमला नहीं करना है। दूसरे देशों पर उनको आक्रमण नहीं करना है। आज हिन्दुस्तान से उनका युद्ध चल रहा है।

इसके साथ साथ आप रूस की तरफ देखिए। रूस के पास ४३० सबमैरिन हैं, ५०० मोटर टारपीडो बोट हैं और १२० लेंडिंग क्राफ्ट हैं। हममें से कुछ लोगों को आशा है कि कि रूस हमारी मदद करेगा। मैं उनको इतिहास से एक उदाहरण देना चाहता हूं। जापान और रूस में नान एग्रेशन पैक्ट था। लेकिन जब जापान पर ऐटम बम पड़ा तो उसके तीन दिन बाद रूस ने जापान पर हमला कर दिया। इस प्रकार की आशा से कि रूस हमारी मदद करेगा हमको नुक्सान हो सकता है। इस समय अवसर है कि जो कुछ भी हमारी झोली में है उसको बलिदान कर दें। हमको समझ लेना चाहिए न रूस हमारी रक्षा कर सकता है और न कोई दूसरा देश हमारी रक्षा कर सकता है।

दूसरी बात मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमने अखबार में पढ़ा है कि हम अपने शिपयार्ड में कुछ जंगी जहाज बनाने जा रहे हैं। मुझे यह पढ कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज युद्ध के समय में भी अखबार में इस प्रकार के समाचार निकलते हैं। आज तो हमको अपने डिफेंस की एक बात भी प्रकाशित नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इससे दुश्मन को फायदा हो सकता है। आप अपने शिपयार्ड का उपयोग जरूर करें। आपके पास हिन्दुस्तान शिपयार्ड है और कोचीन में दूसरा शिपयार्ड बनाने की बात हो रही है। जापान के साथ समझौता हो रहा है। इस समय हिन्दुस्तान में सिविल शिप्स या मरचेंट नैवी बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। हमारे जितने शिपयार्ड हैं उनमें हमको सबमैरिन, टारपीडो बोट और लेंडिंग क्राफ्ट बनाने चाहिए।

[श्री रघुनाथ सिंह]

आखिरकार इस चीन के आक्रमण के पीछे सिद्धान्त क्या है ? उस के आक्रमण का कारण यह है कि उन को तेल और चावल दो चीजें चाहियें । चावल खाने के लिये चाहिये और पेट्रोल युद्ध करने के वास्ते उन्हें चाहिये लिहाज़ा उन्होंने असम को लेना चाहा है और उस को हड़पने की उन की कुचेष्टा हो रही है ।

यदि बर्मा वाले समझते है कि वे बच जायेंगे तो ऐसा समझना उन की भूल होगी । बर्मा नहीं बच सकता । ईस्ट पाकिस्तान अगर यह समझ बैठा है कि वह बचा रहेगा तो वह भी नहीं बच सकेगा क्योंकि चीनियों को पोर्ट्स की जरूरत है और जो सुविधा उन्हें चिटागांव पोर्ट पर कब्जा करने से प्राप्त हो सकती है वैसी सुविधा अन्यत्र उन को प्राप्त नहीं होगी ।

अगर अंडमान निकोबार उन के पास आ जाता है तब बर्मा और मलाया की ख़ैर नहीं । सैकेंड वर्ल्ड वार में हम ने देखा कि जिस दिन अंडमान निकोबार का पतन हुआ उसी के साथ साथ बर्मा का पतन हुआ, मलाया का पतन हुआ और जितने साउथ ईस्ट एशिया के देश थ सब का पतन हो गया । अगर अंडमान निकोबार की रक्षा करने में हम असमर्थ हुए तो बंगाल की खाड़ी में चीन का एक बेस बन जायगा । अगर वह चीन का बेस बन जायगा तो यह जो आपके मद्रास,उड़ीसा और बंगाल आदि की रक्षा नहीं हो सकती है । उन के पास लैंडिंग शिप्स का जो बड़ा फ्लीट है उस का वह उपयोग करेंगे और किसी भी किनारे पर उन के पास उतर सकते है और हमारे कुछ दोस्त लोग उन की सहायता भी कर सकते है ।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि चीनी आक्रमणकारी फौजें तेजपुर की तरफ़ बढ़ रही हैं और तेजपुर अब बहुत दूर नहीं रह गया है । इस अवसर पर हम को बिलकुल मोह नहीं करना चाहिये । तेजपुर की आयल रिफायनरीज़ के दुश्मन के हाथ में पड़ जाने का यदि खतरा उत्पन्न हो गया है तो बजाये इस के कि वह दुश्मन के हाथ पड़ें, उन को डायनामाइट लगा कर उड़ा देना चाहिये । हम को कोई चीज़ और कोई भी सुविधा चीन को नहीं देनी है । जिस तेल के वास्ते आज वह असम को लेना चाहता है उस तेल की एक बून्द भी हमें उन के पास नहीं जाने देनी चाहिये ।

आप को याद होगा कि बर्मा में जब चीनियों ने आक्रमण किया तो चीनी आक्रमण के एक महीने पहले बर्मा शैल कम्पनी ने बर्मा में जितने तेल के कुएं थे सब में उन्होंने इतना सीमेंट डाल दिया था कि आज तक बर्मा में कुएं बेकार पड़े है । बर्मा जोकि पहले आयल एक्सपोर्ट करता था उसी को आयल इम्पोर्ट करना पड़ता है । आज उसी स्कौर्च्ड अर्थ पालिसी को हमें असम में अपनाना चाहिये ।

अगर हम असम की रक्षा नहीं कर सकते तो जितनी भी आयल रिफाएनरीज़ वहां पर है उन को हमें नष्ट कर देना चाहिये ताकि एक बूंद तेल भी चीन को न मिल सके । अगर चीन वालों को तेल मिलता है तो उन को शक्ति मिलती है और उस शक्ति से वे हिन्दुस्तान के और भागों पर आक्रमण कर सकते है । इसलिये मेरा कहना है कि हम को उसी स्कौर्च्ड अर्थ पालिसी को, जिसे रूस ने अपनाया था, अपनाना चाहिये । रूस द्वारा इस स्कौर्च्ड अर्थ पालिसी अपनाये जाने का ही यह नतीजा था कि हिटलर ने जब रूस में प्रवेश किया, स्टालिनग्राड पर पहुंचा तो उसे वहां उस वक्त कुछ भी न मिला । खेतों में उसे अनाज नहीं मिला, दुकानें खुली नहीं मिलीं, और कोई भी चीज़ उसे न मिली । फल यह हुआ कि हिटलर को मायूस हो कर लौटना पड़ा । आज वही पालिसी हम को अपने देश में जहां चीन के आ जाने का ख़तरा हो, अपनानी चाहिये ।

मैं अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि वे तो मराठा है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन्हीं मराठों ने मुट्ठी भर चना और तलवार ले कर मुगल साम्राज्य को हरा दिया था। हम तो मुट्ठी भर चना खा कर लड़ने वाले है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते है कि उन की लाइफ़ बड़ी सिम्पल है और हमारी लाइफ़ सिम्पल नहीं है लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि चीन वाले यदि चावल खा कर लड़ सकते है तो हम भारतवासी चना खा कर लड़ सकते है, सत्तू खा कर लड़ सकते है और बगैर कुछ खाये भी लड़ सकते है।

चीनियों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये मनोबल की आवश्यकता है। वह मनोबल आज हिन्दुस्तान में जागृत हुआ है। हिन्दुस्तान की बोधात्मा आज जागृत हुई है। उस बोधात्मा का हमें उपयोग करना है। अगर उस बोधात्मा का उपयोग आज हम नहीं करेंगे तो आने वाली संतानें हमें कभी माफ़ नहीं करने वाली है। इसलिये मैं बड़ी विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि स्कौर्च्ड अर्थ पालिसी को हमें असम और लेह में अपनाना चाहिये।

मैंने सुना है कि चुसूल की एक अग्रिम चौकी पर चीनियों का कब्जा हो गया है। वह हमारा बहुत बड़ा सप्लाई बेस है। अगर आप ऐसा सोचते हों कि वह स्थान हमारे हाथ से जाने वाला है है तो जितना भी सप्लाई का सामान वहां पर हम ने डम्प किया हुआ है उस सब सामान को नष्ट कर देना चाहिये। किसी भी हालत में दुश्मन के हाथ में हमें वह तमाम सामान नहीं पड़ने देना चाहिये। हमें स्वयं अपनी गोली से नहीं मरना है। अतएव मुझे यह निवेदन करना है कि जो भी हमारा सप्लाई का सामान शत्रु के हाथ में जाने वाला हो, उस सामान को हमें नष्ट कर देना चाहिये। अमरीका में एक कहावत थी कि अमरीका वालों ने सकेंड वर्ल्ड वार के पहले स्क्रैप बेचना शुरू कर दिया। जापान ने वह स्क्रैप अमरीका से ख़रीदा और उस स्क्रैप से जापान ने एरोप्लेन्स बनाये, उस स्क्रैप से जापान ने जहाज़ बनाये, उसी से उन्होंने बंदूकें बनाईं और उसी से उन्होंने अमरीका के ऊपर हमला किया। अमरीका जैसी स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिये। हम को सकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार से सबक़ सीखना चाहिये और इस बात की प्रत्येक सावधानी बर्तें कि दुश्मन हमारी किसी भी चीज़ का फ़ायदा न उठा सके और ऐसा कर के ही हम इस नाजुक घड़ी में अपने देश की रक्षा कर सकेंगे।

†**श्री मान सिंह पृ० पटेल** (मेहसाना): लोगों को इस बात का भी पता नहीं है कि प्रतिरक्षा निधि के लिये उन का अंशदान कितना होगा। इस बात का संकेत मिलना चाहिये ताकि प्रतिरक्षा निधि में वे तदनुसार उपयोग दे सकें।

मद्यनिषेध के प्रश्न पर तभी पुनः विचार होना चाहिये जब अन्य संसाधन न रहें। अभी तो लोगों से काफी धन एकत्र किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे है जिनकी वार्षिक-आय का १० प्रतिशत ५०० करोड़ रुपये से कम नहीं होगा। आरम्भ में हमें यह पता चलना चाहिये कि सरकार का क्या हिसाब है। फिर हम लोगों को स्वेच्छा से धन देने के लिये कह सकते है। हम प्रतिरक्षा कर लगा सकते है। यदि यह नाम अच्छा न लगता हो तो 'विजय कर' कह सकते है। आय के विभिन्न स्तरों पर "प्रतिरक्षा कर" लगाया जाना चाहिये।

बहुत सी सरकारी संस्थाएं अपनी वार्षिक आय में से अधिक से अधिक धन देना चाहती है। अतः एक उपयुक्त विधेयक लाया जाये जिस में आयकर की वद्धता से ढील दी जाय ताकि वे संस्थाएं एसा न कर सकें।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री मानसिंह पृ० पटेल]

अनुपूरक अनुदानों में कई एक ऐसी मदें हैं जिन्हें आपात के विचार से सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये था ।

हमें दिसम्बर या फरवरी तक पता लग जाना चाहिये कि सरकार लोगों से कितने धन की आशा करती है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : सरकार को "आर्डनेंस फैक्टरियों" की "यूनियन" पूर्ण औद्योगिक सहयोग से काम करेगी । इन फैक्टरियों के कर्मचारी रात दिन काम करते है । हमारे किसी जवान को हथियारों की कठिनाई नहीं होगी ।

युद्ध का सामान बनाने के लिये सेना कारखानों, आर्डनेंस फैक्टरियों तथा प्रविधिक विकास स्थापनाओं में सम्पूर्ण सहयोग होना चाहिये । इस समय प्रत्येक कारखान को युद्ध के लिये तैयार किया जाय तथा प्रत्येक मशीन को प्रयोग में लाया जाय । जो व्यक्ति इन फैक्टरियों में पहले काम कर चुके हैं और निवृत्ति पा चुके हैं उन्हें पुनः काम पर लगाना चाहिये ।

सीमान्त क्षेत्रों की सड़कों के निर्माण का काम शीघ्र पूरा किया जाये । सीमान्त सड़क संगठन का विस्तार किया जाये तथा वह अपने काम में केन्द्रीय वास्तु विभाग के सहयोग से काम करें । सैनिक इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों द्वारा पेश की गई सेवाओं का लाभ उठाया जाय ।

आर्डनेंस फैक्टरियों की तरह सैनिक कर्मशालाएं भी रात दिन काम करें । इन में तीन शिफ्टों की प्रणाली को चालू किया जाये ताकि इन में काम करने वाले लोगों को अधिक थकावट के कारण कम उत्पादन की सम्भावना से बचाव हो ।

'लाल फीताशाही' के कारण प्रतिरक्षा का सामान बनाने वाली फैक्टरियों को सामान की कठिनाई होगी । समय आ गया है कि 'लाल फीताशाही' को खत्म करना चाहिये । यदि 'लाल फीताशाही' से हमारे कुछ मूलभूत हथियारों के उत्पादन में तीन या चार वर्ष के विलम्ब की अड़चन न पड़ती, तो चीनियों से हमें कुछ बार हार न होती ।

मैं सब से प्रार्थना करता हूं कि इस पैसे में से कोई भी राशि फजूल खर्च नहीं होनी चाहिये ।

गरीब लोग प्रत्येक प्रकार की सरकार की सहायता कर रहे है, परन्तु अमीर लोगों को भी सरकार की उतनी कुर्बानी से सहायता करनी चाहिये ।

राज्य सभा और राज्यों में विधान परिषदों की अब आवश्यकता नहीं है । इन्हें कम से कम ६ या ८ महीनों के लिये बन्द कर देना चाहिये ।

राजाओ और महाराजाओं को अपनी निजी थैलियों का ५० प्रतिशत, संसद् सदस्यों को अपने दैनिक भत्ते का ५० प्रतिशत और वेतन का ३३ प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में दे देना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वेतन पाने वालों को भी स्वेच्छा से अपने वेतनों में कटौती करनी चाहिये । ये कटौतियां इस प्रकार हो सकती हैं :—

वेतन	कटौती
१००० से अधिक .	१० प्रतिशत
२५० से १००० तक .	५ प्रतिशत
१०० या इस से कम . . .	२ प्रतिशत

मद्य निषेध अच्छी चीज़ है किन्तु इस समय जबकि देश को रुपये की आवश्यकता है, इस को अस्थायी रूप से हटा लेना चाहिये ।

अन्त में, मैं प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि हमें सब अनावश्यक खर्च बन्द कर देने चाहिये ।

इन शब्दों के साथ, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरक बजट को देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद हमारे देश में अभी लड़ाई नहीं हो रही है । इस पूरक बजट में आपने ९५ करोड़ रुपया युद्ध के लिए रखा है । अभी दो तीन दिन पहले एक अखबार में यह समाचार निकला था कि क्यूबा का घेरा करने में अमरीका ने एक मिलियन डालर खर्च किया । तो क्यूबा के घेरे में जहां कि एक गोली नहीं चली एक मिलियन डालर खर्च हो सकता है, लेकिन जहां गोलियां और तोपें चल रही हैं वहां कितना खर्च होगा यह हम नहीं कह सकते । तो इस पूरक बजट को देख कर मुझे लगा कि शायद हमारी एजेंसी अभी वैसा ही अनुभव कर रही है जैसा कि आज से पांच सात साल पहले करती थी ।

इसके साथ ही यह नहीं बताया गया कि यह जो सौ करोड़ रुपए का हम पूरक बजट लाए हैं इसको पूरा किस तरह से किया जाएगा । क्या इसको सेविंग्स से पूरा करेंगे, या चन्दे से पूरा करेंगे, या अपनी अर्थ व्यवस्था में इकानमी करके इसको पूरा करेंगे, या कहीं से मांग कर लायेंगे यह नहीं बताया गया । फाइनेन्स के डिप्टी मिनिस्टर साहब बैठे हैं । मैं आशा करता हूं कि वे इसको पूरा करने का रास्ता बतायेंगे । अभी मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि जो प्राफिट्स हों उनका आधा लिया जाए । जो हो, हमको यह कहीं से लेना पड़ेगा ।

मैं देखता हूं कि आज इस युद्ध को देख कर जो हमारे लोगों में अदम्य उत्साह और त्याग की भावना पैदा हुई है वैसी हमारे जीवन में कभी नहीं हुई । हमारे जो संचालनकर्ता अधिकारी हैं उनमें उतना उत्साह नहीं है । गरीब अपना कांट्रीब्यूशन कर रहा है लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों ने कांट्रीब्यूशन किया हो इसका मुझे पता नहीं ।

मेरे पूर्ववक्ता ने कहा कि एक हजार तनख्वाह वाले दस परसेंट दें और एक हजार से कम वाले कुछ कम दें । हम उसका समर्थन करते हैं । लेकिन यह तो अपन आप आ जाना चाहिए था । सदन के अनेक सदस्यों ने अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया है लेकिन जो बड़े बड़े वेतन धारी पड़े हैं अगर उनकी तरफ से दस परसेंट आवे तो जनता के उत्साह में बड़ी वृद्धि होगी । हम उनसे मांगने जाते हैं तो वे उत्साह से देते हैं ।

[श्री सिंहासन सिंह]

एक मेरे धनी मानी भाई बैठे हैं, उन्होंने गोल्ड बांड के सम्बन्ध में एक बात कही । उन्होंने कहा कि यह अच्छा है, इसका असर अच्छा पड़ा है, लेकिन गोल्ड बांडों में लोग की रुचि कम हो रही है । उन्होंने बताया कि जब लोग अपना सोना देने जाते हैं तो उनका सोना साढ़े ६२ रुपए तोला के हिसाब से लिया जाता है । लेकिन देते समय देने वालों को यह पता नहीं चलता कि वास्तव में उसका सोना कितनी कीमत का है । उसको एक चिट मिल जाता है कि इतना सोना मिला, लेकिन उसके सोने का क्या वैल्युएशन हुआ, उसका क्या भाव से सोना लिया गया इसका उसको पता नहीं लगता । उसके सोने को गला कर बाद में उसका भाव निर्धारित किया जाएगा । इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां वह सोना दे वहीं उसको बता दिया जाए कि तुम्हारे सोने का इतना मूल्य हुआ और उसको उतने दाम का बांड मिल जाए । मेरी राय में आपने जो गोल्ड बांड जारी किया इसका यह असर पड़ा कि सोने का दाम कम हो गया ।

सरकार ने लोगों से अपील की थी कि ये सोना न खरीदें । यह बात बहुत अच्छी है । लेकिन पता चला है कि सोना बेचने वाले अब भी बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं । जो लोग शादी विवाह के सिलसिले में सोना लेने जाते हैं उनसे सोना बेचन वाले कहते हैं कि तुम सोना नहीं खरीद सकते, गवर्नमेंट का आर्डर हो गया है, हम तुम को सोना बेचेंगे तो चोरी से बेचेंगे और इस भाव बेचेंगे । आज हमारे समाज में यह व्यवस्था पहुंच गयी है कि समाज को आगे बढ़ाने के बजाए लोग अपने को आगे बढ़ाने का ही ध्यान रखते हैं । आपने सोने का फारवर्ड व्यापार रोक दिया यह अच्छा किया । लेकिन मेरा तो सुझाव है कि आपको सोने की बिक्री बिल्कुल रोक देनी चाहिए । सब का सोना लेकर उनको गोल्ड बांड दे देने चाहिएं जिससे कि बाजार में सोना न रहे और लोग ब्लैक न कर पावें । अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो लोगों को ब्लैक करने का मौका नहीं मिलेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और उसे कहते हुए मुझे लज्जा मालूम होती है, कि आज हम सदन में रक्षा के बजट पर बहस कर रहे हैं जो कि चीन के हमले से सम्बन्ध रखता है । इस समय हम लोग अनेक सुझाव देते हैं, और उनका अनेक विभागों से सम्बन्ध है लेकिन उन विभागों के मंत्री यहां नहीं है । हमारे सुझावों को उन तक कौन पहुंचाएगा और उन पर अमल कैसे होगा ।

एक माननीय सदस्य : दो मिनिस्टर बैठे हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : लेकिन और तो नहीं हैं । इस समय सारे मंत्रियों को उपस्थित रहना चाहिए था । हमारे सुझावों का औरों से भी सम्बन्ध है । हमारे वार एफर्ट का सम्बन्ध ट्रांस्पोर्ट से बहुत अधिक है लेकिन ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर यहां नहीं हैं । यहां पर दूसरे विभाग के डिप्टी मिनिस्टर्ज बैठे हैं, हमारा सन्देश उन तक कौन पहुंचाएगा ।

श्री ब० रा० भगत : हम लोग पहुंचा देंगे ।

श्री सिंहासन सिंह : ठीक है, लेकिन उनको होना चाहिए था । वह हाल में बैठे हुए काफी पी रहे होंगे । मैं उनका ध्यान ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ दिलाना चाहता था ।

मैं ने एक किताब पढ़ी है जिसको डीन आफ कैंटरबरी ने लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा कि जरमनी ने रूस की ४५ हजार मील लम्बी रेलवे लाइन नष्ट कर दी थी। लेकिन उन्होंने उसको बहुत जल्दी बना लिया। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि यह पुल दो दिन में बनेगा यह काम एक दिन में होगा। और उन्होंने बहुत जल्दी स्टेशन आदि बना लिए और गाड़ी चलने लगी। हमारे यहां भी इसी तरह से होना चाहिए।

हमारे यहां गोरखपुर में एक नेशनल हाई वे का पुल बना और वह टूट गया। उसकी जांच के लिए कमेटी बैठी। उसने आज तक रिपोर्ट ही नहीं दी। उस पुल का निर्माण अभी तक नहीं किया जा रहा है। यह वह सड़क जो आसाम को जोड़ती है। इसके लिए एक बार टेंडर मांगा गया, वह नामंजूर हो गया। नियम यह है कि जब दो चार टेंडर नामंजूर हो जाए तब वह अमानी में काम करायेंगे। इसी सिलसिले में बूढ़ी गंडक पर भी एक पुल बनने वाला था जो फौरन बनना चाहिए। घाघरा पर भी एक पुल बनना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ट्रांस्पोर्ट का इस समय बड़ा महत्व है। उधर चीन सड़कें बना रहा है और इधर हम जो पुरानी सड़कें हैं उनकी मरम्मत तक नहीं कर पा रहे। तो मेरा कहना है कि ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री के काम में तेजी हो।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि लड़ाई के समय में हमको किस परिस्थिति में काम करना चाहिए। हमारी कैबिनेट वार कैबिनेट की तरह चलनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं लाइडजार्ज के एक कथन का उद्धरण देना चाहता हूं : वह इस प्रकार है : 'युद्ध के समय एक योग्य नेता नियुक्त करना और उसे तानाशाही शक्तियां देना ठीक होता है। वह गल्तियां तो करे परन्तु वह युद्ध की तैयारी के लिए बहुत लाभदायक होगा'

†**श्री मोहसिन** (घाटवाड़ दक्षिण) : लगभग सभी सदस्यों ने जोकि बोले हैं, यह राय व्यक्त की है कि ये मांगें प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि सरकार को प्रतिरक्षा के लिए अधिक धन की मांग करनी चाहिये थी।

प्रधान मंत्री ने कहा कि यह लड़ाई जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है और कि इस को कई वर्ष लग सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा, किन्तु इतना निश्चित है कि विजय हमारी ही होती। यदि हमारे पास आण्विक शस्त्र होते चीन हम पर आक्रमण करने का साहस न करता। विश्व में युद्ध से बचने के लिये आणिवक शस्त्र जरूरी हैं तथा वे हमारे पास काफ़ी मात्रा में होने चाहियें। चीन उन्हें प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है।

इस अवसर पर सरकार को घोषित कर देना चाहिये कि एक निश्चित मात्रा से अधिक सोने को रखना अवैध होगा।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मैं सदन के सामने प्रस्तुत की गई मांग का समर्थन करता हूं।

मैं समझता हूं कि मूल्यों का स्थिरकरण हमारे राष्ट्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हमें मूल्यों को स्थिर रखना चाहिये क्योंकि अन्य बातों की तरह युद्ध की तैयारी के लिए यह उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आशा करता हूं कि मूल्य स्थिरकरण अभिकरण जो कि स्थापित किया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

है, इस बात का ख्याल रखेगा कि मूल्य न बढ़ें पिछले सप्ताह जिस नीति की घोषणा की गई हैं वह केवल अनाज, सूती कपड़े और औषधियों पर लागू होती है । मेरे विचार में यह अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसा कि मिट्टी का तेल, दियासलाई, तेल, वनस्पति, जूते, कागज़, पेटेंट खाद्य पदार्थ आदि पर भी लागू होना चाहिये ।

परिवहन की अड़चनों को दूर करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए और गोदामों तथा संरक्षण सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिये ।

मितव्ययता की आवश्यकता न केवल उपभोग में है बल्कि सरकारी खर्च में भी है । इस समय सरकारी खर्च में कमी करने की आवश्यकता जितनी अब है, पहले कभी नहीं थी । हमें उन लाइनों पर तैयारी करनी चाहिये जिन पर कि ब्रिटेन में दूसरे विश्व युद्ध के समय की गई थी ।

विदेशी सहायता के बारे में शीघ्रता से तथा क्रांतिकारी रूप से विचार करने की आवश्यकता है । विदेशों से बड़े पैमाने पर तथा निर्णयात्मक प्रकार की सहायता को प्राप्त करने के विषय में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर यह स्वाभाविक था कि वाद विवाद में भाग लेने वाले सदस्य यह कहते कि सरकार को अधिक राशि की मांग करनी चाहिय थी । इससे सदन की चिन्ता और उत्साह का पता चलता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमने केवल १०० करोड़ रुपये की मांग क्यों की है ? पूछा गया था कि प्रतिरक्षा की कुल आवश्यकताएं क्या हैं । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अनुमान केवल प्रारम्भिक है और यह आगामी महीनों की नहीं बल्कि सप्ताहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर लगाया गया है ।

ये अन्तर्देशीय संसाधन हैं अर्थात् रुपये का व्यय है । इस व्यय के अतिरिक्त देश को युद्ध की तैयारी करने के लिए हमें मित्र देशों से सहायता प्राप्त करने में कोई संकोच नहीं होगा । प्रधान मंत्री ने आज प्रातः यही कहा है । बाहर से कितनी सहायता मिलेगी, इस बात का निश्चय किया जा रहा है । चूंकि स्थिति बदलती रहेगी, इसलिए यह पूछना कि हमारी कुल आवश्यकताएं कितनी कितनी होंगी अपनी जानकारी की कमी का प्रदर्शन करना है । युद्ध स्थिति में फेर बदल के साथ साथ हमारे अनुमान भी बदलते रहेंगे । इसलिए इन मांगों को एक प्रारम्भिक कदम समझना चाहिये । जब सरकार को अधिक धन की आवश्यकता होगी, तो वह अवश्य सदन के सामने मांग पेश करेगी और सरकार को आशा है कि वह अवश्य मंजूर की जायगी । अतः इसको देश की रक्षा के लिए खर्च की पहली कड़ी समझना चाहिये ।

कुछ सदस्यों ने मांग की है कि जवानों के परिवारों, सम्पत्ति और उनके बच्चों की देखभाल लोगों और सरकार को करनी चाहिये । मेरे सहयोगी कृषि मंत्री ने उन की भूमि आदि के संरक्षण के बारे में बताया है । जहां तक जवानों के परिवारों के कल्याण का सम्बन्ध है, इनकी देखभाल जिला सैनिक, नाविक और हवाबाज़ बोर्ड कर रहा है । हम ने राज्य सरकारों को अनुदेश भेज दिये हैं कि वे बोर्डों को इस सम्बन्ध में जिलाधीश के साथ मिलकर कार्यवाही करने की हिदायत दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न राज्य सरकारों ने कदम उठा लिये हैं। पंजाब सरकार ने कहा है कि वह सीमान्त पर लड़ने वाले जवानों के परिवारों की देखभाल करेगी और मरने या अपंग होने वाले जवानों के परिवारों को वित्तीय सहायता देगी। इसी तरह उड़ीसा सरकार ने कहा है कि वह प्रादेशिक सेना के सदस्यों को पांच एकड़ भूमि निःशुल्क देगी, इसी तरह राजस्थान में भी कदम उठाये गये हैं।

जवानों के परिवारों को सुविधायें देने के प्रश्न पर राष्ट्रीय विकास परिषद में भी विचार किया गया था और मुख्य मंत्रियों ने कहा था कि हर संभव प्रयत्न किया जायें।

जहां तक बेदखली के लिए न्यायालय का सम्बन्ध है, कुछ दिन पूर्व एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अन्तर्गत, अधिनियम की धारा ७ के अधीन, सैनिक अधिकारी दीवानी या राजस्व न्यायालय को एक प्रमाणपत्र दे सकते हैं कि युद्ध में लड़ने वाले किसी सिपाही के विरुद्ध कार्यवाही स्थगित कर दी जाये। । अतः जब तक सिपाही के पास न्यायालय में आने का समय न हो, मुकदमा निलम्बित कर दिया जायेगा। सीमान्त पर लड़ने वाले सिपाहियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए योजना बना दी गई है।

उपदान और पेंशनों के बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय ने हाल में घोषणा की है कि सिपाहियों के लिए ३० रुपये से ७० रुपये तक का ऊंचाई भत्ता दिया जायगा। सिपाहियों के लिए उपदान २०० रुपये से १२०० रुपये तक और अफ़सरों के लिए १३०० रुपये से १६,००० रुपये तक होगा। ये उनके वेतन के साथ सम्बन्धित होगा। चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जवानों के परिवारों को समीप के अस्पतालों में निःशुल्क डाक्टरी सहायता दी जायगी। जवानों के परिवारों के लिए हर संभव कदम उठाया जायेगा।

जो सिपाही लड़ाई में काम आयें, उनके बच्चों की शिक्षा राज्य सरकारें अपने हाथों में ले लेंगी और उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। जब तक उनके बच्चे बड़े न हो जायें, उनके परिवारों की सहायता की जायेगी।

श्री अ० प्र० जैन ने कहा था कि कई सौ विमान मरम्मत करने के लिए पड़े हैं और इसकी जांच होनी चाहिये। यह सब कुछ किया जा रहा है। कुछ मामलों में पुर्ज़े बाहर से मंगवाये जायेंगे और संधारण सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : परिवहन मंत्री ने अभी सदन को बताया था कि बहुत से पुराने विमान बेचे जा रहे हैं।

†**श्री ब० रा० भगत** : कुछ विमान इतने पुराने हैं कि उन्हें चलाना अलाभप्रद है, किन्तु जिनका प्रयोग किया जा सकता है, उन से लाभ उठाया जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मिग समझौते के बारे में क्या स्थिति है ? क्या वे हमें मिल रहे हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : प्रधान मंत्री ने कहा है कि रूस सरकार अपने वचन को पूरा करेगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : रूसी दूतावास के अधिकारियों ने प्रधान मंत्री के वक्तव्य का खंडन किया और टाइम्स **आफ इंडिया** में इसका समाचार छपा था। क्या वह गलत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत** : माननीय सदस्य को सरकार की बात माननी चाहिये, समाचारपत्रों की नहीं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने विशेषत: आदरणीय मित्र श्री हरिश्चन्द्र ने बहुत से उपयोगी सुझाव दिये हैं । उन्होंने कहा कि बिक्री कर केन्द्र द्वारा प्रशासित होना चाहिये जिससे उनके अनुसार ३५ करोड़ रुपये और मजूरी विधेयक के १० से १५ प्रतिशत तक की राशि मिल जायेगी । उन्होंने संगठित उद्योग क्षेत्र के आंकड़े प्राय: एक हजार करोड़ बताये थे जिससे १० प्रतिशत के हिसाब से १०० करोड़ रुपये और १५ प्रतिशत के हिसाब से १५० करोड़ रुपये मिल सकते हैं । कुछ सदस्यों ने कहा कि विदित व्यय का ५० प्रतिशत इस कार्य के लिये लगाना चाहिये । इसी प्रकार अतिरिक्त अनाज के भंडार के लिए भी सुझाव दिये गये थे । श्री ए० सी० गुह जैसे आत्मसंयमी व्यक्ति ने भी कह दिया है कि मद्य निषेध समाप्त कर देना चाहिये और नमक कर लगा देना चाहिये । माननीय सदस्यों के सभी सुझावों का उद्देश्य यही है कि हमें अपने सभी संसाधनों को देश की प्रतिरक्षा में लगा देना चाहिये । इस समय तो मैं इन सुझावों के बारे में हां या नहीं कह सकता और न ही यह कह सकता हूं कि सरकार क्या प्रयत्न कर रही है और कराधान के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव कर रही है । किन्तु इन सब सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायगा सदस्यों को विदित ही है कि युद्धकाल की वित्त-व्यवस्था का भी एक ढंग होता है । हमें युद्ध व्यवस्था के लिए सभी प्रकार की तैयारी करनी है । मूल्यों को बढ़ने न देना, उत्पादन संभरण और संचार की व्यवस्था यह सब जटिल व्यवस्था है और इसे तैयार करके हमें आधुनिक प्रकार का युद्ध लड़ना है । इसलिये इस समग्र युद्ध कहा जाता है जिसमें समस्त लोगों और सरकार को अपने अपने प्रयत्नों द्वारा योग देना है । शान्ति-काल की विलम्बकारी व्यवस्था के स्थान पर द्रुतगामी तथा कुशल युद्ध व्यवस्था की स्थापना करनी है । सरकार के संसाधन बढ़ाने, मूल्यों के नियंत्रण करने या उत्पादन की व्यवस्था करने में सरकार की सारी व्यवस्था को लगाना है और समय समय पर हम अपनी योजनाएं सभा को बताते रहेंगे । इस समय जब कि वे योजनाएं तैयार की जा रही हैं उन्हें नहीं बताया जा सकता ।

मूल्य नियंत्रण के बारे में मैं संक्षेप में कुछ कहूंगा । योजना मंत्री ने योजना के प्रथम भाग के बाद में बता दिया है । माननीय सदस्य ने और वस्तुओं को उसमें शामिल करने का सुझाव दिया है । उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है । मैं उनसे सहमत हूं कि मूल्य नियंत्रण हमारी नीति का महत्वपूर्ण अंग है । क्योंकि मूल्य नियंत्रण के बिना सारे प्रयत्न में गड़बड़ पैदा हो जाती है । पिछले युद्ध का उदाहरण हमारे समक्ष है । हम परतंत्र थे और भारत मध्य पूर्व दूर पूर्व के लिए संभरण का अड्डा था । संभरण के बदले में हमें मुद्रा मिलती थी जिससे मूल्य बहुत बढ़ गये थे । दूसरी ओर इंगलैंड, अमरीका और कुछ यूरोपीय देशों ने समग्र युद्ध लड़ा था जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो गई थी और मूल्य बहुत अधिक नहीं बढ़े । हमें उसी का अनुसरण करना है और मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था करनी है । यह तो है इस समस्या का नकारात्मक पहलू । प्रतिरक्षा के लिए जो भी निधि प्राप्त की गई—उदाहरणत:-हम यदि ५०० करोड़ रुपया लगायें— उसे लोगों से लेना चाहिये चाहे तो उनकी बचत से, कराधान द्वारा या उत्पादन में वृद्धि द्वारा । आगामी वर्षों में देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें बहुत अधिक होंगी क्योंकि लड़ाई तब तक होगी जब तक हम सफल नहीं होते और यह देर तक चलेगी और इसके लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए हमें कोई व्यवस्था करनी होगी । मूल्य नियंत्रण और उत्पादन व्यवस्था के लिये कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन का बहुत महत्व है । गत युद्ध में इंगलैंड और अमरीका के उत्पादन के आधार में विस्तार हो गया था और कुल उत्पादन में वृद्धि हुई थी । उसी प्रकार हमारा कृषि और उद्योग का उत्पादन बढ़ना चाहिय ताकि प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें कम से कम रुपये की आवश्यकताएं पूरी हो जायें ।

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार हमें बचत के सम्बन्ध में प्रयत्न करने हैं। लोगों में अभतपूर्व उत्साह है। हमें प्रतिरक्षा निधि के लिये ५½ करोड़ रुपया मिल चुका है। सोना बंध पत्र और अन्य उपाय अपनाये गये हैं। १२, १० और ५ वर्ष के लिये विभिन्न प्रतिरक्षा बंध-पत्र जारी किये गये हैं जिन से संसाधन मिलेंगे। देश भक्ति के फल स्वरुप इस ५½ करोड़ रुपये की राशि में काफी वृद्धि होनी चाहिये और हमें लोगों के उत्साह का और अधिक बचत के लिये उपयोग करना चाहिये।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मयम) : क्या सरकार ने प्रतिरक्षा निधि का कोई नमूना निर्धारित किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : नमूना यही है कि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर ले जाना है और निधि में अधिकाधिक दान देना है। यह—गरीब, अमीर, उद्योगपति, कृषक—सब के लिये है। जो कुछ फालतू है उसे देश को दे दिया जाये। राष्ट्र के हित के समय सब हित न्यून हैं।

यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रतिरक्षा से भिन्न खर्चों को कम करने के लिये क्या किया जा रहा है। इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार किया गया था। न केवल भारत सरकार प्रत्युत सभी राज्य सरकारों में सारी प्रशासन व्यवस्था में यह जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अनावश्यक खर्च कौन से हैं ताकि उन्हें समाप्त कर दिया जाये। और इतना ही नहीं बल्कि योजना में उपयुक्त परिवर्तन करने और उसमें काट छांट करने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि प्रतिरक्षा हेतु अधिकतम संसाधन मिल सकें। योजना में परिवर्तन का कार्य तो काफी हो भी चुका है। यह निर्णय किया गया है कि अगले आय-व्ययक में सरकार की कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं में १० प्रतिशत की कटौती की जाये और सब मंत्रालयों को तदनुसार प्राक्कलन में कमी करने का आदेश दे दिया गया है। लगभग ८०० अतिरिक्त पदों की सूची गृह-कार्य मंत्रालय को दी जा चुकी है।

कागज के व्यय में बचत के लिये भी हिदायतें दे दी गई हैं। बिजली, सभाओं, सम्मेलनों दौरों और रेलवे के वातानुकूलित डिब्बों में भी बचत का प्रयत्न कया जा रहा है।

हमने अतिरिक्त व्यय के बारे में निरंतर पता लगाने के बारे में ताकि उन में कांट छांट की जा सके विभिन्न संगठन स्थापित किये हैं। वित्त मंत्रालय के वित्त पुनर्गठन विभाग, योजना आयोग की योजना परियोजना समिति और प्रत्येक विभाग के बचत विभाग को प्रत्येक स्तर पर ऐसी प्रक्रिया का सुझाव देने के लिये कहा गया है कि कार्यावधि में अधिकाधिक कमी हो और अतिरिक्त व्यय को समाप्त किया जा सके।

अधिकांश मंत्रियों ने एक मास का वेतन दिया है कुछ ने अधिक भी दिया है। उनके वेतन में १० प्रतिशत कटौती पहले ही कर दी गई है।

मेरे माननीय मित्र श्री खाडिलकर ने सोना बंधपत्रों की ओर निर्देश करते हुए कहा था कि हम ने उन के बारे में कहा है कि उन में जो भी पूंजी विनियोजन होगा अर्थात् यदि ऐसा सोना भी लगाया जायेगा जो पहले किसी हिसाब में नहीं है तब भी हम नहीं पूछेंगे कि वह कहां से आया है। उन्होंने कहा कि मुद्रा के बारे में भी ऐसी ही सुविधा देनी चाहिये अर्थात् काले धंधे की या अन्यथा बिना हिसाब की मुद्रा के बारे में भी न पूछा जाये कि विनियोजक के पास वह कहां से आये। मेरे मित्र अर्थ शास्त्री हैं उन्हें मुद्रा और सोने में अन्तर समझना चाहिये क्यों कि सोना विदेशी मुद्रा है जिसकी हमें आज अत्यधिक आवश्यकता है। अतः हम चाहते हैं कि लोग स्वेच्छा से सोना दे दें। कुछ सदस्यों

†मूल अंग्रेजी में

ने किसी गलत धारणा के कारण कहा कि किसी को भी सोना खरीदने और बेचने की अनुमति न दी जाये और कि इन सुझावों को माने बिना बंध-पत्रों की योजना विफल हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि यदि लोगों का उत्साह वास्तविक है यदि देशभक्ति लोगों के हृदय में निहित है तो गरीब अमीर सभी लोग इस योजना में रुपया देंगे। काले धंधे के पैसे को वैसी सुविधायें देने से काम नहीं होगा और उस से हमें विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी।

मैं समझता हूं कि मैं ने सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

†**श्री मा० श्री० अणे** (नागपुर) : श्री रघुनाथ सिंह की साड़ फूंक नीति सम्बन्धी बात का उत्तर नहीं दिया गया।

†**श्री ब० रा० भगत** : नीति और चाल में अन्तर को समझना चाहिये। यहां कई प्रश्न उठाये गये हैं कि हम साड़ फूंक नीति को अपनायेंगे या नहीं, तिब्बत को आजाद करायेंगे या नहीं। यह बातें प्रतिरक्षा नीति की नहीं है। प्रतिरक्षा नीति के अनुसार तो हम सब आक्रांताओं को देश से निकाल देंगे। किन्तु हमें क्या चालें अपनानी चाहियें यह निर्णय तो प्रतिरक्षा करने वाले संस्थाओं और युद्ध नीति बनाने वालों पर छोड़ना होगा। आज ही सुबह अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सदस्यों को वाद-विवाद में स्वयं ही अत्यंत संयम अपनाना चाहिये। अतः युद्ध की चालों और युद्ध नीति की बातों से लाभ की बजाय राष्ट्र को हानि होगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): क्या उप मंत्री महोदय बतायेंगे कि आजाद हिन्द फौज के प्रयोग और आपातकाली में मद्य निषेध को समाप्त करने के बारे सरकार का क्या रवैया है।

†**श्री ब० रा० भगत** : मद्य निषेध और नमक कर आदि के बारे में जैसा मैं ने पहले कहा है वित्त मंत्री विचार करेंगे और आजाद हिन्द फौज को उपयोग में लाने के प्रयत्न अवश्य किये जायेंगे।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : जिस प्रकार दूसरे महायुद्ध में हाउस आफ कामन्स में किया गया था यहां भी युद्ध के खर्च की जांच के लिये एक प्रवर समिति नियुक्त की जायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह बाद में देखा जायेगा।

†**श्री विक्रम प्रसाद** (लालगंज) : उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के पास ५५ करोड़ रुपये की बोनस निधि पड़ी है।

†**श्री ब० रा० भगत** : वह सब वित्त मंत्री की दृष्टि में है और सभी कहीं से इसे प्राप्त किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं श्री स० मो० बनर्जी के कटौती प्रस्ताव संख्या १ से ६ और १५ से ५० मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्षमहोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

श्री हरि विष्णु कामत के कटौती प्रस्ताव संख्या २४, २५, २६, २७ और ३२ सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना .	६७,००,००,०००
११	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायु सेना .	८,००,००,०००
२५	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क . . .	४०,००,०००
२६	निगम कर आदि सहित आय पर कर .	३९,५०,०००
४९	मंत्रिमण्डल	३,००,०००
९७	भारतीय डाक तथा तार विभाग . .	४,५०,००,०००
१११	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	५६,०००
११४	प्रतिरक्षा पर पूंजी परिव्यय	२०,००,००,०००
१४४	अणुशक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . . .	१,०००

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले धियक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से भुगतान विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से भुगतान विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खण्ड २, ३, और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २, ३ और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सीमा शुल्क विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रुप में विचार किया जाये।"

१९ जून, १९६२ को सीमा शुल्क, विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। प्रवर समिति ने प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत कर दिया है। विधेयक के स्वरुप को दृष्टिगत रखते हुए प्रवर समिति ने प्रेस विज्ञप्ति द्वारा लोगों की राय मांगी थी जिसके उत्तर में ४५ ज्ञापन मिले थे। समिति ने १९ व्यापार मंडलों और संस्थाओं तथा एक व्यक्ति को मौखिक साक्ष्य देने का अवसर दिया था।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रवर समिति के प्रतिवेदन में समिति द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों के कारण बताये गये हैं। उन में से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की ओर निर्देश करने और विमति टिप्पण में उल्लिखित बातों पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता है। मैं पहले व्यापार सम्बन्धी परिवर्तनों को लूंगा और फिर तस्कर व्यापार विरोधी उपायों को।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरःस्थापित विधेयक के खण्ड १३ में उपबंध था कि यदि गोदी में माल चोरी हो जाता है तो उस पर देय शुल्क आयात कर्ता को दना होगा। ऐसा इस लिये किया गया था कि ऐसे माल का उपयोग किया जाता है उस पर सीमाशुल्क मिलना चाहिये। इस से अधिक प्रबन्ध कारण यह था कि गोदी में आयातक अधिक जल्दी माल उठा लिया करें। किन्तु साक्षियों ने कहा कि वह माल आयात कर्ता के नियंत्रण में नहीं होता अतः माल चोरी होने पर उन से शुल्क लेना न्याय संगत नहीं। प्रवर समिति ने इसे स्वीकार करके खण्ड में तदनुसार संशोधन कर दिया है।

खण्ड १२८ में अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित किये गये हैं। यह अभ्यावेदन दिया गया था कि आयकर के मामलों की ही तरह सीमा शुल्क के मामलों के लिये भी अलग अपीलीय प्राधिकारी होने चाहियें। समिति इस से सहमत है और उसने सिफारिश की है कि सीमा शुल्क समाहर्ता के पद के नीचे के पदाधिकारियों के आदशों के विरुद्ध सीमा शुल्क समाहर्ता से अपील की जा सकती है।

खण्ड १३१ में उपबंध है कि अपील के आदेश का जिस व्यक्ति पर प्रभाव पड़े वह केन्द्रीय सरकार से अपील कर सकता है। सर्वश्री बड़े, कामत और नरेन्द्र सिंह महीडा ने विमति टिप्पण में कहा है कि ऐसे प्रार्थनापत्रों की सुनवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं बल्कि स्वतन्त्र न्यायाधिकरण द्वारा होनी चाहिये। उन्होंने कराधान जांच आयोग की सिफारिश की ओर निर्देश किया है। आयोग की सिफारिश के समय उस पर सरकार ने ध्यान पूर्वक विचार किया था और कई कारणों से इसे स्वीकार न करने का निर्णय किया गया था। आयोग ने स्वयं कहा था कि यदि सीमाशुल्क के व्यय में दक्षता करनी है तो इसे प्रविधिकाओं से नहीं जकड़ना चाहिये। सोने का तस्कर व्यापार, निषिद्ध वस्तुओं का अयात, व्यय मूल्य में वस्तुओं का निर्यात ऐसी प्रमुख समस्यायें हैं जिनको सीमाशुल्क विभाग के हाथ करना है। उन से न केवल सरकार के राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि विदेशी मुद्रा के संसाधनों पर भी प्रभाव पड़ता है। इन अपराधियों के लिये दण्ड बदलती हुई प्रवृत्तियों के अनुसार निर्धारित करना है। कुछ अनुषांगिक बातों पर विचार करना है। यदि न्यायाधिकरण स्थापित किया जाय तो वह प्रक्रिया के प्रविधिक पहलुओं पर बल देगा और स्वयं निष्पादन असम्भव होगा। तब तो विधि का अतिक्रमण अनुपयुक्त रूप में सैधांतिक बन जायेगा। न्यायालयों के कई निर्णयों से पता लगता है कि आय कर के मामलों में न्यायाधिकरण का न्याय सम्बन्धी अनुभव कैसा है। उसके विपरीत अपील पर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड और सरकार द्वारा पुनरीक्षण के मामले में किये गये निर्णयों के विश्लेषण से पता लगता है कि इन मामलों के निर्णय में राजस्व की बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष राजस्व के मामलों की बजाय अत्यंत अप्रत्यक्ष मामलों में प्रश्न विधि की व्याख्या का नहीं रहा बल्कि तथ्यों को समझने के बारे में है। इसके अतिरिक्त विधि की बातों पर लेख पत्र का आवेदनपत्र द्वारा न्यायालयों में उपचार करवाया जा सकता है और वैसा किया जा रहा है।

अन्य बात जो समिति के समक्ष थी और जिस पर जोर दिया गया था वह क्लियरिंग एजेन्ट के दायित्वों के बारे में था। खंड १४७(३) में क्लियरिंग एजेन्ट के दायित्वों का वर्णन है। यह उपखंड समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४ की तरह है। ये क्लियरिंग एजेन्ट किसी प्रकार की कोई कमी बढ़ती का उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं। श्री बड़े और श्री मेहता ने विरोध टिप्पण देते हुये उनका समर्थन किया। क्लियरिंग एजेन्टों ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय में भी उठाया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया और वर्तमान उपबन्ध को संविधान के विरुद्ध बताया। समिति के विचार में केवल इतनी ही रियायत की जा सकती थी कि उन मामलों को छोड़ कर जिनमें कम वसूली क्लियरिंग एजेन्ट की गलती के कारण हुई है, उससे वसूली तब ही की जानी चाहिये जब कि ऐसी वसूली आयातक से करना असम्भव हो।

इस विधेयक का सब से अधिक महत्वपूर्ण भाग तस्कर व्यापार विरोधी कार्यवाही को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना है। हमें बड़े साहस से इस समस्या को हल करना है। इस के लिये जो अधिकार अधिकारियों को दिये गये हैं खंड १०५ के विवरण में इसका सविस्तार उल्लेख है। खंड १३६ के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा इस अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के बारे में व्यवस्था की गयी है। हमें अपन प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति इतना अविश्वास प्रकट नहीं करना चाहिये। इससे इनकी कानून तोड़ने वालों को पकड़ने की भावना कुचली जाती है। अधिकारियों को तलाशी इत्यादि लेने का अधिकार दिया गया है। बहुत से संरक्षणों से भी काम चलता नहीं।

समिति ने खंड १०७ के उपखंड (ग) को समाप्त कर देने की सिफारिश की थी। इसमें विशेष रूप से प्राधिकृत सीमा शुल्क अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति से तस्कर व्यापार सम्बन्धी किसी जांच के सम्बन्ध में एक लिखित बयान लेने और ऐसे बयान पर हस्ताक्षर कराने की शक्ति प्रदान की गयी है।

इसके अतिरिक्त खंड ११८ पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था। यह समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा १६८ के उपबन्ध के समान है। समिति ने इसमें इस प्रकार संशोधन किया है कि उसका क्षेत्र चोरी से लाये गये साथ के माल तक सीमित हो जाता है। संशोधित उपबन्ध में इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसी व्यक्ति को खामखां परेशानी न हो। अपने विरोध टिप्पण में श्री बड़े तथा श्री महीड़ा ने जो बातें कही हैं उसका उनमें पूरा ध्यान रखा गया है। यह कहा गया था कि खंड २० के उपखंड (२) में जो व्यवस्था है उससे कई कठिनाइयां आ जाने की सम्भावना है। इस कारण इस परन्तुक को पुनः प्रारूपित किया गया।

खंड १२३ समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम की धारा १७८ के अनुरूप है। इस बारे में जो विभिन्न दिशाओं से सुझाव प्राप्त हुये हैं उन्हें मानने में एक सब से बड़ी कठिनाई यह है कि साबित करने की जिम्मेदारी कब निभाई गयी समझ ली जाये। इस बारे में निश्चित नियम बना लेना बहुत कठिन ही नहीं व्यवहारिक भी नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहता हूं कि धारा १७८(क) के विरुद्ध कुछ व्यापारियों ने उच्चतम न्यायालय में भी आवेदन पत्र दिया था परन्तु उच्चतम न्यायालय ने उस आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया।

अब मैं खंड १३५ की बात करता हूं। इसमें तस्करों को सजा देने की व्यवस्था है। मूल रूप में इस के अन्तर्गत दो वर्ष की सजा की व्यवस्था थी। परन्तु तस्करता को रोकने के लिये समिति के मत में कड़ी सजा की आवश्यकता थी। इस कारण समिति की स्वीकृति से उपबन्धित दंड बढ़ा दिये गये हैं ताकि कोई व्यक्ति इस प्रकार कार्य करने का साहस न कर सके। इन अपराधों के लिये जमानत लेने अथवा न लेने का अधिकार भी दंडाधिकारी को दिया गया है। यह है इस प्रवर समिति से आये हुये विधेयक की कुछ प्रमुख बातें जिसे मैं सदन के समक्ष पुरःस्थापित करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। आज का जो वर्तमान कानून है वह ८० वर्ष पुराना है। पुराना कानून समाप्त करके नया बनाना ठीक ही है और इस काल में बहुत बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन भी हुये हैं। अतः कानून का भी इन ऐतिहासिक घटनाओं का समन्वय होना ही चाहिये। तस्करता को समाप्त करना राष्ट्रीय महत्व की चीज है। हमारे व्यापार में भी इन ८० वर्षों में जो परिवर्तन हुये हैं उनकी दृष्टि से यह सर्वथा उचित है कि विधेयक को मुख्य अधिनियम के कार्यकरण के गत अनुभव पर आधारित किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य व्यापार के साथ साथ एक तस्कर व्यापार चल रहा है जो अवैध है और अनैतिक है। विधेयक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग इस तस्कर व्यापार रोकने के आशय का है। परन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वास्तविक व्यापारियों एवं पर्यटकों को परेशानी न हो। जहां तक माल और यात्रियों की निकासी का सम्बन्ध है यह पुराने कानून से अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि फर्मों की संख्या कम की जानी चाहिये। आयातकों और निर्यातकों की अपने माल के अधिक या कम बीजक दिखाने की प्रवृत्ति को कुचल देना चाहिये। यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली बात है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे अपने माल का सही मूल्य बताये।

तस्कर व्यापार को रोकने के उद्देश्य से विधेयक में एक दंड सम्बन्धी खंड रखा गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह दंड अधिकाधिक कठोर बनाना चाहिये ताकि तस्कर व्यापारी प्रोत्सहान न प्राप्त कर सके। यह भी सरकार को देखना चाहिये कि तस्कर व्यापार के मामलों का निपटारा शीघ्रता से हो जाय और सम्बन्धित पक्षों को कड़ा दंड दिया जाये। परन्तु इस पर भी मेरा मत यह है कि सीमा शल्क अधिकारी को संदिग्ध तस्कर व्यापारी के स्थान की बिना वारन्ट के तलाशी लेने की जो शक्ति दी गयी है वह नहीं दी जानी चाहिये थी। यह उपबन्ध किया जाना चाहिये कि वह तलाशी पूरी करके उसके सम्बन्ध में दंडाधिकारी को सूचना दे दे।

मामले को साबित करने की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़ी जानी चाहिये जिस पर कोई सन्देह की गुंजाइश हो। माल के उद्गम स्थान की सूचना दे देने पर उनको छोड़ दिया जाना चाहिये। अभिभोक्ताओं को यह साबित करना चाहिये कि जिस व्यक्ति पर सन्देह है वह व्यक्ति तस्कर व्यापार करता है। और इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहियें कि अपीलीय न्यायाधिकरण में व्यापारियों अथवा आयातकों का कोई प्रतिनिधि नहीं होना चाहिय। इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय का एक अधिकारी न्यायाधिकरण में होना चाहिये। एक बार १ लाख की चीज, ३ लाख की बन गयी थी।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** (आनन्द): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कुछ संशोधनों की ओर भी ध्यान दिया गया है। इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चोरी छिपे वस्तुओं के लाने के सम्बन्ध में दंड के बढ़ने के कानून का स्वागत है, परन्तु हमें यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि दंड उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में दोषी हों। किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। सजा तो २ वर्ष से ५ वर्ष कर ही दी गयी है, जुर्माना की राशि भी बढ़ा देनी चहिए। इसके बारे में मैं वित्त मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि चोरी छिपे लाई–ले जाई गयी वस्तु के बारे में प्रमाण का दायित्व वादी पर होना चाहिए तथा संदिग्ध व्यक्ति पर नहीं। किसी बक्से को केवल एक ही शक वाली वस्तु के होने पर जब्त कर लेना ठीक नहीं। इसका सम्बन्ध खंड १२३ से है। एक बात याद रखनी चाहिए कि तस्कर व्यापार देश के भीतर नहीं तट पर होती है। चौर्यानयन को रोकने का सही तरीका यह है कि लांचे रखी जायें और बन्दरगाहों तथा हवाई अड्डों को सुरक्षित रखने के लिए अधिक कड़े उपाय किये जायें।

मुझे आश्चर्य है कि सोने का चौर्यानयन इतने समय से जारी है और बहुत सा सोना पकड़ा भी गया है। हाल में बम्बई में ३५ लाख रुपये का सोना पकड़ा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि विदेशों में रहने वाले भारतीय वापस आने पर समुद्रीय पत्तनों या हवाई अड्डों पर अपने साथ लाये हुए सोने और हीरों की घोषणा करें, तो क्या इन्हें जब्त कर लिया जायेगा या उन्हें प्रतिरक्षा बांडों या स्वर्ण बांडों में विनियोजित करने दिया जायेगा।

यह देखकर और भी आश्चर्य होता है कि आदरणीय व्यक्ति भी चौर्यानयन की कार्य वाहियां करते हैं। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय साधनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों—विदेशियों—और विदेशों में जाने वाले भारतीयों की जांच के लिए बहुत कड़े पग उटाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी खयाल रखा जाना चाहिये कि निर्दोष व्यक्तियों को जैसा कि सामान्य व्यापारियों को परेशान न किया जाये।

मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्रालय खंड १२३ पर पुनर्विचार करे और सिद्ध करने का भार व्यापारियों पर न डाला जाये। इस खंड को वर्तमान रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिये।

खंड १३१ के बारे में मेरा सुझाव यह है कि केन्द्रीय सरकार एक न्यायाधिकरण बनाये, जिसमें एक न्यायिक सदस्य हो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवा निवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए और एक सदस्य ऐसा होना चाहिये जिसको सीमाशुल्क प्रशासन का अनुभव हो और एक आयात तथा निर्यात व्यापार संघ का प्रतिनिधि होना चाहिये। ऐसे मामले इस न्यायाधिकरण के सामने पेश होने चाहिये।

खंड १०५ में सीमाशुल्क पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसके मकान की तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है। यह शक्तियां बहुत अधिक हैं और इनको कम किया जाना चाहिये। मैं सदन से अपील करूंगा कि दंड न्यायाधीश से वारंट प्राप्त किये बिना किसी के मकान की तलाशी न ली जाये, और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को ऐसी शक्तियां न दी जायें। सरकार को खंड १०५ और खंड १२३ में उपयुक्त संशोधन करने चाहिये।

श्री बड़े (खारगोन): अध्यक्ष महोदय, यह जो कस्टम्स बिल हाउस के सामने आया है उसके वास्ते मैं शासन को बधाई देना चाहता हूं। इसका कारण यह है कि ८० सालों के बाद शासन ने जागरुक हो कर सी, लैंड और एअर तीनों के कस्टम्स लाज को एक जगह लाने का कष्ट किया है।

इस बिल के लिये जो सेलेक्ट कमेटी नियुक्त की गई थी, मैं भी उसका मेम्बर था। इसलिये जिन क्लासेज से मेरा मतभेद था उनके सम्बन्ध में मैंने डिसेंटिंग नोट दिया है। जब यह कस्टम्स बिल यहां लाया गया था तो मुझे ऐसा लगा कि कस्टम का जो उद्देश्य होता है, वह उससे पूरा नहीं हुआ। यह सिर्फ एक ऐन्टी स्मगलिंग लेजिस्लेशन है, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, और इसीलिये मैंने इस पर बहुत से अमेंडमेंट दिये थे और कमेटी ने उनके ऊपर विचार भी किया।

कस्टम का उद्देश्य यह है. . . .

श्री ब० रा० भगत: कमेटी ने इनकी सराहना भी की है।

श्री बड़े: जी हां मेरी सराहना की है और मैं कमेटी को धन्यवाद देता हूं. . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : कमेटी आपको धन्यवाद देती है और आप कमेटी को धन्यवाद देते हैं।

श्री बड़े : मैं कमेटी को धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं केवल ५० या ६० फीसदी धन्यवाद ही दे सकता हूं। अगर उसने मेरे तमामा अमेंडमेंट्स पूरे के पूरे सौ फीसदी मान लिये होते तो मैं उसको सौ फीसदी धन्यवाद दे देता लेकिन चूंकि उसने सबके सब नहीं मानें हैं इसलिए मेरा धन्यवाद भी १०० फीसदी न होकर ५० फीसदी ही है।

कस्टम्स बिल जिस रूप में पेश किया गया है और उसमें स्मगलिंग आदि की जो डेफनीशन दी गई है उससे यह बिल मुझे तो एक ऐंटी लेजिस्लेशन बिल लगता है। कस्टम्स बिल के पेज ४ पर स्मगलिंग की डेफनीशन दी गई है।

यह लेजिस्लेशन स्मगलिंग चेक करने के वास्ते बना है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि यह स्मगलिंग की डेफनीशन दूसरे ऐक्टों में जो बाहर के ऐक्टस हैं उनसे अलग है। इसमें केवल यह दिया है कि जो गुड्स कनफिस्केशन के लायेंक हैं वही स्मगल्ड गुड्स हैं अब कनफिस्केशन के लायक गुड्स दूसरे भी होते हैं जिन पर कि ड्यूटी नहीं दी जाती है। कुछ अन्य अन्य तरह के गुड्स इसमें दिये हुए हैं जोकि स्मगल्ड गुड्स होते हैं। अब कस्टम का उद्देश्य इम्पोर्ट और ऐक्सपोर्ट की बराबर कायम रखना होता है और ट्रेड को लाभप्रद बनाना होता है। ट्रेड को उत्तेजना देने के वास्ते कस्टम और टैरिफ के कानून बनाये जाते हैं। कस्टम के कानन को जब कोई तोड़ना चाहे और स्मगलिंग करना चाहे तो उसके वास्ते पनिशमेंट रक्खा जाता है। कस्टम कानून के बनाने का यह उद्देश्य होता है लेकिन स्मगलिंग की जो डफनीशन इसमें दी हुई है उसको कैसे चेक किया जाना है उसको देखने से तो मुझे एक अमरीकन न्यूजपेपर में "दी सशपिशस ट्रेन" के नाम से जो कार्टून छपा था, उसकी याद आ जाती है। हम चाहते हैं कि स्मगलिंग चेक हो लेकिन हमारी हालत उस कार्टून की तरह हो रही है कि गार्ड को ड्राइवर पर शक था, ड्राइवर को गार्ड पर शक था और यात्री को दोनों पर शक था। वही चीज इसमें दिखाई दे रही है। सरकार को व्यापारियों पर शक था, व्यापारियों को सरकार पर शक था और हमें दोनों पर था। इस तरह की स्थिति इस कमेटी में हो रही थी। मैं यह चाहता था कि गवर्नमेंट जो व्यापारियों की तरफ इतनी स्ट्रिक्ट हो रही है वह नहीं होनी चाहिए। ट्रेडर्स की कमेटी के सामने जो गवाही हुई उसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इस तरह का लेजिस्लेशन पास करके हमारे ऊपर अन्याय कर रही है। मौजूदा शक्ल में बिल पास करके गवर्नमेंट सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जलाना चाहती है। हम यह चाह रहे थे कि दोनों के बीच में कोई गोल्डेन मीन निकल आये लेकिन जब गवर्नमेंट ने कोई तबदीली इसमें नहीं की तो लाचार होकर मुझे यह डिस्सैंटिंग नोट देना पड़ा। शासन इस पर बिलकुल ऐडामैंट रहा कि नहीं यह इसी रूप में रहना चाहिए तब मैंने अपना यह डिस्सटिंग नोट दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जब मैंने यह देखा कि इसमें यह दिया हुआ है कि प्रिल्फैज और थैफ्ट्स होने पर भी ड्यूटी लेनी चाहिए, तो मैंने इस बारे में अमेंडमेंट दिया और कमेटी ने उसे मान्यता दे दी। मैंने बतलाया कि यू० के० के ऐक्ट में प्राविजन नहीं है और यह खुशी की बात है कि कमेटी ने मेरा सुझाव मान लिया और पिल्फैज के सैक्शन में उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया है। शासन ने मेरे अमेंडमेंट को मान लिया है।

इसके साथ ही साथ मुझे यह निवेदन करना है कि पैकेज के बारे में इसमें एक विचित्र सैक्शन रक्खा हुआ है। अगर एक पैकेज में २० डायमंड हों और उन २० में से एक डायमंड स्मगल्ड हो वह पूरा डायमंड का पैकेज स्मगल्ड समझा जायगा। सारे पैकेज को जब्त कर लिया जायेगा। मैंने इसके बारे में अपनी डिफिकल्टी कमेटी के सामने रक्खी थी और आज फिर उसे हाउस के सामने रखता हूं कि यदि एक पैकेज में २०–२५ डायमंड हों और उनमें से एक डायमंड स्मगल्ड हो तो पूरा का पूरा पैकेज कैसे कौनफिसिकेट हो सकता है? यह आखिर कैसा न्याय है?....

अध्यक्ष महोदय : अभी आपने कहा कि सूखी लकड़ी के साथ गीली भी जलेगी।

श्री बड़े : ऐसा नहीं होना चाहिए यह मेरा कहना है।

श्री शिवनारायण : उसकी चैकिंग के लिए आप क्या उपाय बतलाते हैं?

श्री बड़े : सुनिये मैं बतलाता हूं पैकेज की डेफ़नीशन कोई नहीं है। मैं ने शासन से इसकी डैफ़नीशन के बारे में पूछा तो बतलाया गया कि पैकेज माने बंडल और बंडल यानी पकेज और यह तो ठीक वही बात हुई कि अम्बरैला माने छतरी और छतरी माने अम्बरैला। उस के आगे शासन नहीं जाता है। मैं ने कहा कि यह प्राविज़न दूसरे ऐक्ट्स में नहीं है। उनमें यह प्राविज़न ऐसे हैं यह जानते हुए कि यह चोरी से लाया गया हीरा है, यह पैकेज में बन्द किया जाता है, फिर इसे जब्त किया जा सकता है। इस तरह का प्राविज़न इस में होना चाहिए था लेकिन चूंकि शासन ने इसे नहीं माना इसलिए मैं ने इस के बारे में अपना डिस्सैंटिंग नोट दिया है। ऐसा प्राविज़न किसी ऐक्ट में नहीं है और मौजूदा शक्ल को क़ायम रखना ट्रेडर्स के साथ अन्याय करना है। मैं कहता हूं कि फौरेन ऐक्ट्स आप सारे देख लीजिये। मैं ने खुद उनको स्टडी किया है लेकिन इस तरह का प्राविज़न कहीं नहीं है। शासन की इस प्रकार की ऐंग्ज़ाइटी कि तमाम जितनी भी स्मगलिंग है उसको हम बंद कर दें, उस के लिए इस प्रकार का हार्श और सख्त क़ानून बनाना मुझे कुछ उचित नहीं मालूम देता है और मैं तो समझता हूं कि कानून जितना सख्त बनाया जायेगा करप्शन उस से उतना ज्यादा बढ़ेगा। उस में से लूपहोल्स निकल आयेंगे। तमाम लूपहोल्स को अलग करना मुश्किल है। इसके लिए मेरा तो अपना विचार यह है कि शासन को जनता की औनेस्टी में और ईमानदारी में विश्वास करना चाहिए जो कि इसमें नहीं किया जा रहा है। सैक्शन १२३ में बर्डन औफ प्रूफ़ के बारे में प्राविज़न दिया हुआ है :—

मैंने औबजैक्शन यह लिया कि स्टोलन प्रापरटी रक्खी है तो क्रिमिनल प्रोसीज्योर ऐक्ट में और एविडेंस ऐक्ट के मुताबिक स्टोलन प्रापरटी यदि कोई व्यक्ति लेता है, यदि मैं स्टोलन प्रापरटी ले लूं तो मेरी बाबत प्रौसीक्यूशन को यह साबित करना पड़ेगा कि मेरे को यह नौलिज थी कि यह स्मगल्ड गुड्स हैं। अगर प्रौसीक्यूशन यह साबित कर देता है और knowing that it was stolen properly उसे मैं ले लेता हूं तो यह गुनाह है। लेकिन इस में यह साबित करने का बर्डन कि वे स्मगल्ड गुड्स नहीं हैं यह उन लोगों पर पड़ेगा जिनके कि क़ब्ज़े से वह सामान पकड़ा जायेगा। इस बारे में मेरा सुझाव था कि अगर यह बतला दे कि कहां से वह प्राप्त हुआ है सोर्स बतला दे तो उसे काफ़ी समझा जाय। मसलन मेरे पास से डायमंड या वाच बरामद होती है और मैंने कह दिया कि इन्हें मैंने एक्स से लिया है और एक्स ने कह दिया कि वाई से लिया तो यह सफिशिऐंट प्रूफ़ है। लेकिन यदि मौजदा शक्ल को बरकरार रखा गया और

बर्डन औफ प्रूफ़ लोगों पर डाला गया तो इससे लोगों के प्रति अन्याय होने की सम्भावना है ।

पकेज़ेज के बारे में मैंने यह कहा था कि उसकी डफ़ेनीशन कर देनी चाहिए । अगर पैकेज की डेफ़नीशन नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट में इसके उल्टे सीधे मतलब निकाले जायेंगे और जो शासन चाहता है वह होगा नहीं ।

डा० मा० श्री० अणे : यदि वह माल जिस पर यह धारा लागू होती है इस खयाल से कि यह चोरी से लाया गया माल है, छीन लिया जाता है--इस बात पर आप जिरह कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई कारण नहीं है । सिद्धि का भार अभियुक्त पर नहीं होगा ।

श्री बड़े : मेन बर्डन औफ प्रूफ़ किस पर जायगा ? अभियुक्त को सदा निर्दोष समझा जाता है जब वह कटहरे में खड़ा होता है प्रौसीक्यूशन को यह साबित करना पड़ेगा कि उसको नौलेज थी कि यह स्मगल्ड गुड्स हैं लेकिन यहां यह न होकर सिद्धि का भार पहले अभियुक्त पर होगा जो आर्डिनेरी प्रिंसिपल जस्टिस का है वह इस बिल में निहित नहीं किया गया है । इस वास्ते मैंने अपना यह डिस्सैंटिंग नोट दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, इस के बाद १३१ के बारे में मैंने डिस्सैंटिंग नोट दिया है । एपलेट एथारिटी के लिए एक स्पेशल ट्रिब्युनल मुकर्रर होना चाहिए । इस बारे में अभी एक माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया वह ऐसा कहते थे कि इस ट्रिब्युनल में जो ट्रेडर्स की असोसियेशन है उन का एक रिप्रेंजेंटेटिव क्यों होना चाहिए । यदि इसी एगज़म्प्शन, प्रिज़म्प्शन या इनफेरेंस पर चलें कि यहां से वहां तक सब डिस-आनेस्ट हैं, तब तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है । इतना ही नहीं, बधवार कमेटी ने पेज ८१ पर यही सिफ़ारिश की है, जिस का मैंने क्वोटेशन दिया है । अगर बधवार कमेटी के सदस्य भी यही समझते हैं और ट्रेडर्ज़ और दूसरे लोगों ने भी यही कहा है, तो फिर हमारे मेम्बर साहबान जो कुछ कहते हैं, उस को बराबर नहीं मानना चाहिए । वे चाहते हैं कि जितने भी व्यापारी स्मगलर्ज़ हैं, उन सब को पर्ज करना चाहिए । जो इस दृष्टि से चलते हैं, जिन के ऐसे आइडियाज़ हैं, वे ज़रूर यही कहेंगे कि ट्रेडर्ज़ की एसोसियेशन का कोई आदमी नहीं होना चाहिए । उस में दो आदमी रखे गये हैं--एक हाई कोर्ट का जज और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन या कस्टम्ज़ का एक आफ़िसर । मैं शासन को धन्यवाद देता हूं कि उसने ऐपेलेट अथारिटीज़ की बहुत चेंजिज़ की हैं । अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि **दि इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर शुड बि दि एडजुकेटिंग आफ़िसर** । इसलिए कस्टम्ज़ कमिश्नर का जजमेंट क्वैश किया गया और फिर प्रकरण वापस भेज दिया गया । उन्होंने अलग अलग आथर्ज़ के क्वोटेशन्ज़ दिये और कहा कि कस्टम्ज़ बिल हो या कोई फ़िस्कल मा हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव आफ़िसर होगा, वह कभी भी एडजुडिकेटिंग आफ़िसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से उस में बायस और जांडिस्ड आई रहती है और वह उस के मुताबिक ही जजमेंट देता है ।

जहां तक डीले का प्रश्न है, बधवार कमेटी ने कहा है कि इस में बहुत देर लगती है । हमने भी कहा है कि ट्रिब्यूनल होना चाहिए । वह ट्रिब्यूनल रिवज़नरी अथारिटी पर रखा हुआ है, लोअर कस्टम आफ़िसर्ज का नहीं । अभी शासन ने इस बिल में प्राविज़न रखा है कि जो इन्वेस्टीगेटिंग आफ़िसर होगा, वह न होते हुए ऐपेलेट अथारिटी अलग रहेगा । कस्टम आफ़िसर्ज़ में ही रहेगा, ऐसा प्राविज़न रखा है, क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट आने से शासन ज्यादा हुशियार हो गया है और उस ने इस बिल में यह प्राविज़न डाल दिया है । पेज ८१ पर लिखा है, "डीले इन ऐपेलेट एंड रिविज़िन प्रोसीडिंग्ज़ ।"

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य दो तीन मिनट में ख़त्म कर देंगे ?

श्री बड़े : नहीं, मैंने अभी पांच प्राविज़न्ज़ पर बोलना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक सभा की बैठक बुधवार, [२१ नवम्बर, १९६२/कार्तिक ३०, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई] ।

---

†हिन्दी अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २० नवम्बर, १९६२
२९ कार्तिक, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६२	वस्तुओं के मूल्य	१०३३–३५
२६३	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए एवरो–७४८	१०३५–३६
२६४	भूखों को खिलाओ आन्दोलन	१०३६–३८
२६५	बिजली से रेलें चलाने का कार्यक्रम	१०३८–४०
२६६	भाप के इंजनों का निर्यात	१०४०–४१
२६७	विभागातिरिक्त कर्मचारी	१०४१
२६८	विदेशी कलाकारों को नियुक्त करने पर पाबन्दी	१०४२
२६९	रेलों की जोन-व्यवस्था	१०४३–४४
२७२	कच्ची चीनी का निर्यात	१०४५–४६
२७३	अमरीका से चावल का आयात	१०४६–४७
२७४	रेलवे वर्कशापों द्वारा रद्दी इस्पात (स्टील स्क्रैप) का इस्तेमाल	१०४७–४८
२७५	पांडीचेरी पत्तन	१०४८–४९
२७६	जयन्ती शिपिंग कारपोरेशन के लिये नागासाकी (जापान) में जहाज का समुद्र में उतारा जाना	१०४९–५०
२७७	परदीप पत्तन	१०५०–५२
२७८	दण्डकारण्य का सर्वेक्षण	१०५२
२७९	कच्ची चीनी का निर्यात	१०५२–५३
२८०	मध्य प्रदेश से बाहर भेजे गये खाद्यान्न	१०५३–५४
२८१	एयर इंडिया पर यात्रा प्रतिबन्ध का प्रभाव	१०५५
२८२	डाक तथा तार विभाग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था का ऋण	१०५६–५७
२८४	फसल का बीमा	१०५७–५९
२८६	बिजली के इंजनों का उत्पादन	१०५९
२८७	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	१०५९–६०
२८८	अन्तर्राष्ट्रीय गन्ना प्रौद्योगविज्ञ समाज	१०६०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२७० विमान निगमों को स्वीकृत राज सहायता . १०६१
२७१ रेलवे यात्रियों के लिये दुर्घटना बीमा . . . १०६१
२८३ फतेहपुर-चुरु लाइन पर रेलवे का किराया . १०६१–६२
२८५ अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन . . १०६२
२८६ चावल का स्टाक . . . १०६२–६३

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५६२ पौधों की कृषि पर संगीत का प्रभाव . . . १०६३
५६३ उर्वरकों का मूल्य १०६३
५६४ भूमि कटाव १०६४
५६५ सिंचाई योजनायें . . . १०६४–६५
५६६ त्रिपुरा सर्वेक्षण तथा निपटान विभाग के कर्मचारी . १०६५
५६७ रेढ़ी वालों की सहकारी समितियां . १०६५–६६
५६८ त्रिपुरा में मोटर परिवहन १०६६
५६९ डाक व तार कर्मचारी १०६६–६७
५७० फार्म की उपज १०६७
५७१ पंजाब में रेलवे के लाइनों का निर्माण . . १०६७
५७२ फीरोजपुर डिवीजन में स्टेशन खोलना . . . १०६७–६८
५७३ वैतरणी रोड रेलवे स्टेशन के यात्री प्लेटफार्म पर छत डालना . १०६८
५७४ तम्बाकू की खपत १०६८
५७५ तम्बाकू की अग्रिम परियोजनायें . . . १०६८–६९
५७६ पी० सी० एण्ड कम्पनी का मामला . . . १०६९
५७७ डिब्बों में बन्द फलों का उत्पादन . . . १०६९
५७८ बन लकड़ी (लट्ठे) १०६९–७०
५७९ केन्द्रीय मत्स्यपालन कार्यकर्ता प्रशिक्षण संस्था . १०७०
५८० केरल में नारियल की खेती . १०७०–७१
५८१ विदेशों में जहाजों का निर्माण . . . १०७१
५८२ कंक्रीट के स्लीपर . . . १०७१–७२
५८३ रेलवे इंजन बनाने का लागत १०७२

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५८४	अलितालिया विमान की दुर्घटना . . .	१०७२
५८५	कोंकण तटीय सेवा	१०७२–७३
५८६	मद्रास से आकोणम सेक्शन का विद्युतीकरण . .	१०७३
५८७	मुरादाबाद के निकट एक रेलवे स्टेशन का लूटा जाना . .	१०७३
५८८	लखनऊ के निकट मल्हौर स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	१०७३
५८९	सुपर मार्केट . . .	१०७४
५९०	खेत्री तांबा परियोजना	१०७४
५९१	भद्रक-स्टेशन पर बुक हुए माल से वसूल हुआ भाड़ा . .	१०७४–७५
५९२	झूमियों और जोनदारों के बीच झगड़ा . . .	१०७५
५९३	त्रिपुरा में बस व्यवस्था . . .	१०७५
५९४	चन्द्रपुर बस्ती	१०७५–७६
५९५	नौवहन माल भाड़ा दरें	१०७६–७७
५९६	रंगून बन्दरगाह पर भारतीय जहाज का रोका जाना	१०७७–७८
५९७	पटसन बीज फार्म	१०७८
५९८	मिरज-लतूर में इंजन का फेल हो जाना . .	१०७८
५९९	संतरों की बरबादी	१०७८–७९
६००	इंधन संकट	१०७९
६०१	धोंड–मनभाड़ मार्ग पर तेज गाड़ियों . . .	१०७९
६०२	अगरतल्ला में खास भूमि का बन्दोबस्त . . .	१०७९–८०
६०३	भूमिहीन मजदूर	१०८०
६०४	केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड की बैठक . . .	१०८०–८१
६०५	वन नियम	१०८१
६०६	उद्योग का विकास	१०८१
६०७	अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन . .	१०८१–८२
६०८	उड़ीसा में चावल का संग्रह	१०८२–८३
६०९	खाद्य उत्पाद में वृद्धि के उपाय . .	१०८३–८४
६१०	पंचायती राज . . .	१०८४
६११	पर्यटन विकास परिषद् . .	१०८४–८६
६१२	पर्यटकों से आय .	१०८६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६१३	विस्तार निदेशालय	१०८६–८७
६१४	जोत भूमि पर कब्जा	१०८७
६१५	मुकेरियां–तलवाड़ा रेलवे लाइन	१०८७
६१६	औद्योगिक लकड़ी की जरुरत	१०८८
६१७	परासिद्धा से नागपुर की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	१०८८
६१८	डाक टिकट	१०८८–८९
६१९	सवारी गाड़ियों में सशस्त्र रक्षक	१०८९
६२०	मालगाड़ी द्वारा व्यापार	१०८९
६२१	कामरहटी में डाक घर	१०८९–९०
६२२	कामरहटी में सार्वजनिक टेलीफोन	१०९०
६२३	बेलघरिया और सोदपुर स्टेशनों पर ऊपरी पुल	१०९०
६२४	मत्स्य पालन	१०९०–९१
६२५	गाजीपुर में डाकघर की इमारत	१०९१
६२६	राज्य सड़क परिवहन निकायों के लिये केन्द्रीय एकक	१०९१
६२७	महाराष्ट्र में पुल	१०९२
६२८	तटवर्ती व्यापार के लिये जहाजों का क्रय	१०९२
६२९	चीनी कारखानों को उत्पादन प्रोत्साहन	१०९३
६३०	पटसन का उत्पादन	१०९३–९४
६३१	सहकारी कृषि समितियां	१०९४
६३२	सेवा सहकारी समितियां	१०९४–९५
६३३	पंचायतों के मंत्री	१०९५
६३४	दिल्ली में सड़क के पुल	१०९५
६३५	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार	१०९५–९६
६३६	पहिये निकले हुए रेलवे माल डिब्बे	१०९६
६३७	तृतीय योजना में उड़ीसा में रेलवे लाइनें	१०९६–९७
६३८	मध्य प्रदेश में यंत्रीकृत फार्म	१०९७
६३९	दिल्ली में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१०९७
६४०	अत्यावश्यक वस्तुओं के संभरण के लिये अभिकरण	१०९७–९८
६४१	पर्यटक परामर्शदात्री समिति	१०९८

विषय पृष्ठ

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . १०९८-११०३

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) ने नेफा (पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी) और लद्दाख की स्थिति के बारें में एक क्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गय पत्र ११०३-०५

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक ३१ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४५६ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (ग्यारहवां संशोधन) नियम, १९६२।

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(तीन) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास की ३ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०१५ में प्रकाशित वणिक् नौवहन (समुद्र में टक्करों की रोक) विनियम, १९६०।

(दो) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९—क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई की ३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(तीन) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखपटनम् के वर्ष १९६१—६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(चार) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६१—६२ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(जारी)

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७७ जिसमें दिनांक ८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(दो) दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४४६ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

(४) भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की धारा ८२-जे के अन्तर्गत दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३४०१ में प्रकाशित रेलवे दुर्घटनायें (प्रतिकर) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(५) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४६० में प्रकाशित गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६२ की एक प्रति ।

(६) भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४-क के अन्तर्गत भारतीय विमान नियम, १९३७ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित :—

(एक) दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२३८ ।

(दो) दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १२९६ ।

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ११०५—०६

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा को विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि राज्य सभा बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(तीन) कि राज्य सभा समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(चार) कि राज्य सभा हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा पोषण (संशोधन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

विषय पृष्ठ

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया . . ११०६

परिसीमन विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया ।

लोक लेखा समिति का प्रतिदवेन--उपस्थापित . . ११०६

पहला प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापि ११०६

तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन--स्वीकृत . . ११०६–०७

नवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२-६३ . . ११०७–२९

वर्ष १९६२–६३ के आयव्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

विधेयक पुरस्थापित ११२९

विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२ ।

विधेयक पारित ११२९

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन . . . ११२९–३८

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि सीमा शुल्क विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार २१ नवम्बर, १९६२/३० कार्तिक १८८४ (शक) के लिये कार्यवली

सीमा शुल्क विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर चर्चा तथा पारित किया जाना; और भारत के प्रतिरक्षा विधेयक पर विचार तथा उसका पारित किया जाना ।

	पृष्ठ
श्री अ० प्र० जैन	१११२–१३
श्री बागड़ी	१११३–१७
श्री रघुनाथ सिंह	१११७–१९
श्री मान सिंह पृ० पटेल	१११९–२०
श्री स० मो० बनर्जी	११२०–२१
श्री सिंहा न सिंह	११२१–२३
श्री मोहसिन	११२३
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	११२३–२४
श्री ब० रा० भगत	११२४–२९
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित तथा पारित सीमा शुल्क विधेयक— .	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव . .	११२९
श्री ब० रा० भगत	११२९–३२
श्री वारियर	११३२–३३
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	११३३–३४
श्री बड़े	११३४–३८
दैनिक संक्षेपिका	११३९–४५
समेकित विषय सूची [८ से २० नवम्बर, १९६२/१७ से २९ कार्तिक १८८४ (शक)]	१–८

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।